रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-28102026-277455
CG-DL-E-28102026-277455

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 328] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2026/कार्तिक 4, 1948
No. 328] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2026/KARTIKA 4, 1948

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

प्रारंभिक जांच परिणाम

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2026

मामला सं. सीवीडी (ओआई)-07/2025

सेतु आवेदन सं.: CVD/OI/15122025/01

विषय: चीन जन. गण. के मूल में अथवा वहां से निर्यातित "पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन" के आयातों से संबंधित प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच।

क. मामले की पृष्ठभूमि

फा. सं. 06/67/2025-डीजीटीआर.— सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा गया है) तथा सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडीकृत वस्तुओं पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क की पहचान, आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे "सीवीडी नियमावली" अथवा "नियमावली"

कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए, निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे "प्राधिकारी" कहा गया है) अपने प्रारंभिक जांच परिणाम निम्नानुसार दर्ज करते हैं।

1. केमप्लास्ट कुड्डालोर विनाइल्स लिमिटेड, डीसीएम श्रीराम लिमिटेड और डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (जिन्हें आगे सामूहिक रूप से "आवेदक" अथवा "घरेलू उद्योग" अथवा "डीआई" कहा गया है) ने टीपीएम कंसल्टेंट्स के माध्यम से प्राधिकारी के समक्ष एक आवेदन दायर कर चीन जन. गण. (जिसे आगे "संबद्ध देश" कहा गया है) के मूल में अथवा वहां से निर्यातित "पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन" (जिसे आगे "संबद्ध वस्तुएं" अथवा "विचाराधीन उत्पाद" अथवा "पीयूसी" कहा गया है) के आयातों पर प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच की शुरुआत का अनुरोध किया।

2. जांच की शुरुआत से पूर्व, भारत सरकार ने सब्सिडी और प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी डब्ल्यूटीओ करार (जिसे आगे "एससीएम करार" कहा गया है) के अनुच्छेद 13.1 के अनुसार चीन जन. गण. की सरकार (जिसे आगे "जीओसी" कहा गया है) को परामर्श हेतु आमंत्रित किया। जीओसी को आमंत्रण 09.01.2026 को प्राप्त हुआ; परामर्श 20.01.2026 को आयोजित किए गए और जीओसी ने आवेदन पर लिखित टिप्पणियां प्रस्तुत कीं। परामर्श में जीओसी ने कुछ कार्यक्रमों के अस्तित्व, कुछ आरोपित कार्यक्रमों के लाभ उठाए जाने तथा कुछ कार्यक्रमों के अंतर्गत नगण्य से अधिक सब्सिडी के अस्तित्व से इनकार किया; तथापि, कार्यक्रमों के अस्तित्व से इनकार करने वाला कोई प्रथमदृष्टया साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया।

3. विधिवत् प्रमाणित आवेदन के आधार पर, प्राधिकारी ने नियमावली के साथ पठित अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत दिनांक 26.02.2026 की अधिसूचना सं. 06/67/2025-डीजीटीआर के माध्यम से जांच शुरू की। जांच शुरुआत अधिसूचना में अनजाने में मामला संख्या "CVD 02/2025" तथा सेतु केस आईडी "CVD/OI/1522025/01" उल्लिखित हो गई थी; सही मामला संख्या सीवीडी (ओआई)-07/2025 है तथा सही सेतु आवेदन सं. CVD/OI/15122025/01 है, जिसका उल्लेख हितबद्ध पक्षकार आगे के सभी पत्राचार और अनुरोधों में करेंगे।

ख. प्रक्रिया

4. इस जांच में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

 क) प्राधिकारी ने नियमावली के अनुसार दिनांक 27.02.2026 के ई-मेल द्वारा भारत में चीन जन. गण. के दूतावास को जांच की शुरुआत की सूचना दी तथा आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति अग्रेषित की।

 ख) प्राधिकारी ने दिनांक 27.02.2026 के ई-मेलों द्वारा जांच शुरुआत अधिसूचना तथा आवेदन के अगोपनीय रूपांतर की एक प्रति संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, भारत के ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं, संबंधित मंत्रालय तथा घरेलू उद्योग को अग्रेषित की। प्राधिकारी ने जांच शुरुआत से पूर्व दिनांक 05.02.2026 के ई-मेलों द्वारा अन्य ज्ञात घरेलू उत्पादकों, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, को भी लिखा था; कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

 ग) प्राधिकारी ने जांच से संबंधित सूचना मांगते हुए ज्ञात पक्षकारों तथा जीओसी को निर्यातक प्रश्नावली, आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली तथा सरकारी प्रश्नावली भेजी। भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया कि वह उत्पादकों/निर्यातकों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दे। चीन जनवादी गणराज्य के वाणिज्य मंत्रालय के व्यापार उपचार एवं अन्वेषण ब्यूरो ने वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकार के रूप में पंजीकरण कराया है।

 घ) प्रश्नावली के उत्तर दायर करने की समय-सीमा दिनांक 17.04.2026 (29.04.2026 तक) तथा 30.04.2026 (05.05.2026 तक) की सूचनाओं द्वारा बढ़ाई गई।

 ङ) जीओसी तथा खंड छ.1 में सूचीबद्ध उत्पादकों, निर्यातकों और व्यापारियों ने बढ़ाई गई समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली के उत्तर दायर किए।

च) निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयातक/प्रयोक्ता प्रश्नावली के उत्तर दायर किए: संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, आरएमजी पॉलीविनाइल इंडिया लिमिटेड तथा वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड।

छ) प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों तथा संबंधित मंत्रालय को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की। घरेलू उद्योग तथा ट्राइकॉन ड्राई केमिकल्स एलएलसी द्वारा उत्तर दायर किए गए।

ज) हितबद्ध पक्षकारों को विचाराधीन उत्पाद के दायरे तथा पीसीएन पद्धति पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित किया गया और इस संबंध में 27.03.2026 को एक बैठक आयोजित की गई। प्रस्तुत अनुरोधों के आधार पर, प्राधिकारी ने दिनांक 02.04.2026 की अधिसूचना द्वारा विचाराधीन उत्पाद के दायरे को अंतिम रूप दिया तथा पीसीएन न अपनाने का निर्णय लिया।

झ) घरेलू उद्योग ने गोपनीयता के दावों पर टिप्पणियां दायर कीं, जिनके उत्तर शांक्सी बेइयुआन, शंघाई क्लोर-अल्कली, ग्वांगशी हुआयी, सीएनएसआईजी जिलानताई तथा झोंगताई समूह द्वारा दायर किए गए।

ञ) प्राधिकारी ने 18.08.2026 / 19.08.2026 को हितबद्ध पक्षकारों की सूची परिचालित की। वानहुआ समूह के अधिवक्ता तथा तियानचेन केमिकल कं., लि. (सूची में "तियानकेम" के रूप में दर्ज) से सुधार के अनुरोध प्राप्त हुए।

ट) दिनांक 25.09.2026 की सूचना द्वारा, उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों की बड़ी संख्या को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी ने व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन के निर्धारण हेतु तीन उत्पादकों/निर्यातकों (उनके संबंधित पक्षकारों सहित) का नमूना चुना। चिर्पिंग शिनफा समूह, संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड तथा घरेलू उद्योग से टिप्पणियां प्राप्त हुईं। हितबद्ध पक्षकारों की टिप्पणियों, जिनमें चयनित नमूने की प्रतिनिधिकता संबंधी टिप्पणियां भी शामिल हैं, जांचाधीन सब्सिडी कार्यक्रमों की संख्या तथा उत्तर देने वाले उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा अपनाए गए उत्पादन मार्गों पर विचार करने के पश्चात्, प्राधिकारी ने दिनांक 05.10.2026 की सूचना द्वारा नमूना चयन वापस ले लिया और निम्नलिखित तेरह उत्पादकों/निर्यातकों, उनके संबंधित पक्षकारों सहित, के लिए व्यक्तिगत सब्सिडी मार्जिन निर्धारित करने का निर्णय लिया: (1) चिंगदाओ हाईवान केमिकल कं., लि.; (2) तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कं., लि.; (3) जुनझेंग समूह (इनर मंगोलिया जुनझेंग केमिकल इंडस्ट्री कं., लि. तथा ऑर्डोस जुनझेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.); (4) चिर्पिंग शिनफा समूह (चिर्पिंग शिनफा हुआशिंग केमिकल कं., लि. तथा चिर्पिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कं., लि.); (5) वानहुआ समूह (वानहुआ केमिकल (फुजियान) कं., लि. तथा वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स कं., लि.); (6) इनर मंगोलिया एर्डोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कं., लि.; (7) शिनजियांग शेंगशियोंग क्लोर-अल्कली कं., लि.; (8) सीएनएसआईजी जिलानताई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; (9) ग्वांगशी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि. तथा शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; (10) शांक्सी बेइयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं., लि.; (11) तियानचेन केमिकल कं., लि. (तियानये); (12) इनर मंगोलिया यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.; तथा (13) यिबिन हाइफेंग हेरुई कं., लि.। उत्पादकों/निर्यातकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई कि उनके उत्तर, जिनमें संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन और बिक्री में शामिल सभी संबंधित पक्षकारों के उत्तर भी शामिल हैं, सभी प्रकार से पूर्ण हों। इनमें से कुछ उत्पादकों/निर्यातकों के उत्तर बाद में खंड छ.2 में दिए गए कारणों से अस्वीकार किए गए हैं।

ठ) प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन प्रश्नावलियों के माध्यम से अतिरिक्त सूचना मांगी; अन्य के साथ-साथ एर्डोस, वानहुआ, ग्वांगशी हुआयी/शंघाई क्लोर-अल्कली, शांक्सी बेइयुआन तथा तियानचेन समूहों से उत्तर प्राप्त हुए, तथा चिंगदाओ हाईवान, तियानजिन बोहुआ, चिर्पिंग शिनफा, यिबिन हाइफेंग हेरुई तथा तियानचेन से संशोधित सब्सिडी गणनाएं प्राप्त हुईं। घरेलू उद्योग तथा उत्तर देने वाले

उत्पादकों की सूचना का, आवश्यक समझी गई सीमा तक, अंतिम जांच परिणामों से पूर्व सत्यापन किया जाएगा।

ङ) घरेलू उद्योग ने मूल्य श्रृंखला, नमूना चयन, पूर्व निर्णयों, बेंचमार्क तथा सब्सिडी गणनाओं पर अतिरिक्त अनुरोध दायर किए।

ढ) क्षति अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों के सौदा-वार ब्यौरे हेतु वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) से अनुरोध किया गया, जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया है।

ण) प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराए। सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने अनुरोधों के अगोपनीय रूपांतर सेतु प्लेटफॉर्म पर दायर करने का निर्देश दिया गया तथा प्रत्येक हितबद्ध पक्षकार को उन तक पहुंच प्रदान की गई।

त) जांच की अवधि (पीओआई) 01.10.2024 से 30.09.2025 (12 माह) है। क्षति जांच अवधि में 2022-23, 2023-24, 2024-25 तथा पीओआई शामिल हैं। गैर-आवर्ती सब्सिडी की जांच के लिए, पीओआई से पूर्व परिसंपत्तियों के औसत उपयोगी जीवनकाल के अनुरूप अवधि की सूचना भी मांगी गई है।

थ) अपनाई गई विनिमय दरें हैं: (i) प्रति अमरीकी डॉलर 86.76 रुपये, जो पीओआई के लिए केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा आयातों हेतु अधिसूचित विनिमय दरों का औसत है (https://foservices.icegate.gov.in/#/services/viewExchangeRate पर उपलब्ध); तथा (ii) प्रति थाई बाट 0.2165 आरएमबी, जो यूरोपीय केंद्रीय बैंक की यूरो विदेशी मुद्रा संदर्भ दरों से व्युत्पन्न मासिक क्रॉस-दरों (सीएनवाई प्रति यूरो ÷ टीएचबी प्रति यूरो; https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html पर उपलब्ध) का पीओआई के लिए औसत है, क्योंकि थाई बाट सीबीआईसी द्वारा अधिसूचित मुद्राओं में शामिल नहीं है। इस दर का उपयोग थाईलैंड बेंचमार्कों को आरएमबी में परिवर्तित करने के लिए किया गया है।

द) इन प्रारंभिक जांच परिणामों में *** किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत तथा नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

5. जांच शुरुआत के चरण में, विचाराधीन उत्पाद को निम्नानुसार परिभाषित किया गया था:

विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपॉलिमर (सस्पेंशन ग्रेड) है, जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन के रूप में भी जाना जाता है, जो सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित होता है तथा जिसका के-वैल्यू 55 से अधिक और 77 तक है।

विचाराधीन उत्पाद के दायरे में 55 से कम और 77 से अधिक के-वैल्यू वाले पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन शामिल नहीं हैं। इसके अतिरिक्त, विशेष पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन जैसे क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी, क्लोरीनेटेड पीवीसी (सीपीवीसी), विनाइल क्लोराइड – विनाइल एसीटेट कोपॉलिमर (वीसी-वीएसी), पीवीसी पेस्ट रेज़िन / इमल्शन रेज़िन, मास पॉलिमराइज़ेशन पीवीसी तथा पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेज़िन भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।

विचाराधीन उत्पाद सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया का उपयोग करके विनिर्मित किया जाता है। इमल्शन पॉलिमराइज़ेशन, बल्क मास पॉलिमराइज़ेशन तथा माइक्रो सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित पीवीसी भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर है।

संबद्ध वस्तुएं सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की अनुसूची I के अध्याय 39 के अंतर्गत सीमा शुल्क वर्गीकरण 3904 10 20 के अंतर्गत वर्गीकृत हैं। तथापि, विचाराधीन उत्पाद का आयात एचएस कोड 3904 10 10, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00, 3904 90 10 तथा 3904 90 90 के अंतर्गत भी किया जा रहा है। तदनुसार, वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ 4-अंकीय स्तर पर एचएस कोड, अर्थात 3904, पर विचार किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

6. विचाराधीन उत्पाद विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपॉलिमर (सस्पेंशन ग्रेड) है, जो सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित होता है तथा जिसका के-वैल्यू 55 से अधिक और 77 तक है, उन अपवर्जनों के साथ जिन्हें प्राधिकारी ने 02.04.2026 को अंतिम रूप दिया। यह शुल्क तालिका के अनुसार शीर्ष 3904 (मुख्यतः टैरिफ मद 3904 10 20) के अंतर्गत वर्गीकृत है; वर्गीकरण केवल सांकेतिक है। कोई पीसीएन नहीं है।

ग.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

7. आवेदकों ने अनुरोध किया कि एथिलीन और कैल्शियम-कार्बाइड मार्गों से उत्पादित रेज़िन तुलनीय और परस्पर विनिमेय है। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि इमल्शन, बल्क मास तथा माइक्रो-सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन से उत्पादित पीवीसी रेज़िन, तथा क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी, सीपीवीसी, वीसी-वीएसी, पीवीसी पेस्ट रेज़िन, मास पॉलिमराइज़ेशन पीवीसी और पीवीसी ब्लेंडिंग रेज़िन अपवर्जित हैं; कि उत्पाद की एक विशिष्ट टैरिफ मद 3904 10 20 है, यद्यपि पीओआई में लगभग 17% आयात अन्य उप-शीर्षों के अंतर्गत किए गए; कि 55 के-वैल्यू वाले रेज़िन को अपवर्जित माना जा सकता है; कि पूर्ववर्ती पाटनरोधी जांच में अपनाई गई परिभाषा अपनाई जा सकती है; कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित वस्तुएं आयातित वस्तुओं के समान वस्तु हैं; तथा कि पीसीएन-वार विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है।

ग.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. चिंगदाओ हाईवान ने जांच शुरुआत अधिसूचना में ठीक 55 के-वैल्यू वाले रेज़िन के संबंध में असंगति की ओर ध्यान दिलाया। संदीप ऑर्गेनिक्स ने अनुरोध किया कि उत्पादन मार्ग एक प्रौद्योगिकीय विशेषता है और अपने आप में सब्सिडी स्थापित नहीं कर सकता।

ग.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

9. हितबद्ध पक्षकारों से प्राप्त टिप्पणियों के उपरांत, विचाराधीन उत्पाद के दायरे को 02.04.2026 को निम्नानुसार अंतिम रूप दिया गया:

"विनाइल क्लोराइड मोनोमर का होमोपॉलिमर (सस्पेंशन ग्रेड), जिसे पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन के रूप में भी जाना जाता है, जो सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित होता है तथा जिसका के-वैल्यू 55 से अधिक और 77 तक है। वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं: (i) अल्ट्रा-लो के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन (के-वैल्यू 55 तक); (ii) अल्ट्रा-हाई के-वैल्यू पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन (के-वैल्यू 77 से अधिक); (iii) क्रॉस-लिंक्ड पीवीसी; (iv) क्लोरीनेटेड पीवीसी (सीपीवीसी); (v) विनाइल क्लोराइड - विनाइल एसीटेट कोपॉलिमर (वीसी-वीएसी); (vi) पीवीसी पेस्ट रेज़िन/इमल्शन रेज़िन; (vii) मास पॉलिमराइज़ेशन पीवीसी; (viii) पॉलीविनाइल क्लोराइड ब्लेंडिंग रेज़िन। इसके अतिरिक्त, इमल्शन पॉलिमराइज़ेशन द्वारा विनिर्मित पीवीसी रेज़िन, बल्क मास पॉलिमराइज़ेशन द्वारा विनिर्मित पीवीसी रेज़िन तथा माइक्रो सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनिर्मित पीवीसी रेज़िन भी विचाराधीन उत्पाद के दायरे से बाहर हैं।"

10. संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन के लिए, सस्पेंशन पॉलिमराइज़ेशन प्रक्रिया द्वारा विनाइल क्लोराइड मोनोमर (वीसीएम) को विनाइल पॉलिमर में परिवर्तित किया जाता है। वीसीएम का उत्पादन या तो एथिलीन

डाइक्लोराइड (ईडीसी) से अथवा कैल्शियम कार्बाइड से किया जाता है। एथिलीन मार्ग तथा कार्बाइड मार्ग, दोनों से उत्पादित पीवीसी विचाराधीन उत्पाद के दायरे में है।

11. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने पीसीएन बनाने का अनुरोध नहीं किया है, तथा घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि पीसीएन-वार विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, वर्तमान जांच में पीसीएन निर्धारित नहीं किए गए हैं।

12. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित तथा संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुएं भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से तुलनीय हैं। यद्यपि भिन्न-भिन्न विनिर्माण प्रक्रियाएं/प्रौद्योगिकियां प्रयुक्त होती हैं, तथापि अंतिम उत्पाद के विनिर्देश तुलनीय हैं और इनका परस्पर विनिमेय रूप से उपयोग किया जाता है; दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।

13. दायरे में 55 से अधिक और 77 तक के-वैल्यू वाला रेज़िन शामिल है। उत्पादन मार्ग उन आदानों और कार्यक्रमों के लिए प्रासंगिक है जिनसे लाभ प्राप्त हो सकता है, न कि दायरे के लिए। प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं नियमावली के अर्थ में विचाराधीन उत्पाद के समान वस्तु हैं।

घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार

घ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोध

14. जीओसी ने अनुरोध किया कि आवेदकों का भारतीय उत्पादन में 30-40% हिस्सा है और वे नियमावली तथा एससीएम करार के अनुच्छेद 11.4 की "प्रमुख अनुपात" संबंधी अपेक्षा को पूरा नहीं करते। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अनुरोध किया कि प्राधिकारी यह जांच कर सकते हैं कि क्या डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने घरेलू बाजार में विनिर्माताओं, व्यापारियों अथवा आयातकों से संबद्ध वस्तुएं खरीदीं और, यदि उसने आयातित वस्तुएं प्राप्त कीं, तो उसे घरेलू उद्योग का भाग बनने के लिए अपात्र माना जाए; तथा कि भारत के सबसे बड़े उत्पादक रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को अधिक गंभीर क्षति दर्शाने के लिए जानबूझकर अपवर्जित किया गया है, जबकि उसके आयात उसके उत्पादन का केवल 1-10% हैं और उसे आयातक माने जाने को उचित नहीं ठहराते।

घ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

15. आवेदकों ने अनुरोध किया कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नियमित आयातक हैं तथा घरेलू उद्योग का भाग बनने के लिए अपात्र हैं; डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के गैर-संबद्ध देश से आयात नगण्य हैं। उन्होंने आगे अनुरोध किया कि अन्य उत्पादकों ने आवेदन का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध; कि दो नए उत्पादक, मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, क्षमताएं स्थापित कर रहे हैं; कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने उत्पादन के लगभग 90% का कैप्टिव उपभोग करती है; कि केमप्लास्ट कुडुालोर विनाइल्स लिमिटेड तथा डीसीएम श्रीराम लिमिटेड ने पीओआई में संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया तथा आवेदक भारत के किसी आयातक अथवा संबद्ध देश के किसी निर्यातक से संबंधित नहीं हैं; कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने क्षति अवधि के दौरान घरेलू बाजार में भी संबद्ध वस्तुएं खरीदीं; तथा कि यदि अन्य उत्पादकों को अपवर्जित किया जाए तो आवेदकों का घरेलू उत्पादन में 100% हिस्सा है, और किसी भी स्थिति में उसका प्रमुख अनुपात है।

घ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

16. प्राधिकारी ने जांच शुरुआत के चरण में आवेदकों के आधार की जांच की थी और पाया था कि आवेदन नियमावली की अपेक्षाओं को पूरा करता है। इस चरण पर ऐसी कोई सूचना रिकॉर्ड पर नहीं रखी गई है जो उस निर्धारण को परिवर्तित करे।

17. नियमावली का नियम 2(ख) घरेलू उद्योग को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

> *"(ख) "घरेलू उद्योग" से अभिप्राय समान वस्तु के विनिर्माण में लगे समग्र घरेलू उत्पादकों से है अथवा उन उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उस वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख अनुपात है, सिवाय उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित सब्सिडीकृत वस्तु अथवा अन्य देशों से समान वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित हों अथवा स्वयं उसके आयातक हों, ऐसी स्थिति में "घरेलू उद्योग" शब्द का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।"*

18. आवेदकों के अतिरिक्त, भारत में संबद्ध वस्तुओं के दो अन्य उत्पादक हैं, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड; मुंद्रा पेट्रोकेम लिमिटेड तथा इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड संबद्ध वस्तुओं के विनिर्माण हेतु संयंत्र स्थापित कर रहे हैं। आवेदकों ने अनुरोध किया है कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने पीओआई के दौरान विचाराधीन उत्पाद का आयात किया। प्राधिकारी ने दिनांक 05.02.2026 के ई-मेलों द्वारा फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से संबद्ध वस्तुओं के उत्पादक और/अथवा आयातक के रूप में अपनी स्थिति की पुष्टि करने, निर्धारित सूचना प्रस्तुत करने तथा यह बताने का अनुरोध किया कि वे आवेदन का समर्थन करते हैं अथवा विरोध। उनमें से किसी से भी कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना से यह प्रकट होता है कि दोनों उत्पादकों ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तुओं का उल्लेखनीय मात्रा में आयात किया, जो उनके स्वयं के उत्पादन की तुलना में नगण्य नहीं है। अतः प्राधिकारी ने आधार के निर्धारण के प्रयोजनार्थ इन्हें अनंतिम रूप से अपात्र माना है।

19. केमप्लास्ट कुडुालोर विनाइल्स लिमिटेड तथा डीसीएम श्रीराम लिमिटेड ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तुओं का आयात नहीं किया है तथा वे संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी उत्पादक अथवा भारत के किसी आयातक से संबंधित नहीं हैं।

20. डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने पीओआई के दौरान संबद्ध वस्तुओं की अल्प मात्रा का आयात किया, और वह भी केवल एक गैर-संबद्ध देश (ताइवान) से। ये आयात उसके उत्पादन और बिक्री तथा भारत में कुल आयातों की तुलना में नगण्य हैं। उसने क्षति अवधि के दौरान घरेलू बाजार से भी संबद्ध वस्तुएं प्राप्त कीं। चूंकि उसके आयात नगण्य हैं, अतः डीसीडब्ल्यू लिमिटेड को घरेलू उद्योग का भाग बनने के लिए अनंतिम रूप से पात्र माना गया है।

21. इस तर्क के संबंध में कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा घरेलू खरीद अप्रत्यक्ष आयात हो सकती है, नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत अपवर्जन तब लागू होता है जब कोई घरेलू उत्पादक स्वयं आरोपित सब्सिडीकृत वस्तु का आयातक हो। पीओआई के दौरान डीसीडब्ल्यू लिमिटेड के आयात एक गैर-संबद्ध देश से थे तथा उसके उत्पादन का नगण्य हिस्सा (0-5%) हैं; घरेलू बाजार में की गई खरीद उसे संबद्ध वस्तुओं का आयातक नहीं बनाती।

22. तदनुसार, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, संबद्ध वस्तुओं के आयातक होने के कारण, नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग से अपवर्जित हैं, तथा तीनों आवेदक, जिनका समान वस्तु के पात्र घरेलू उत्पादन में 100% हिस्सा है, घरेलू उद्योग का गठन करते हैं। आधार के संबंध में, नियमावली के नियम 6(3) में यह अपेक्षित है कि आवेदन को ऐसे घरेलू उत्पादकों का समर्थन प्राप्त हो जिनका सामूहिक उत्पादन, घरेलू उद्योग के उस भाग द्वारा उत्पादित समान वस्तु के कुल उत्पादन के 50% से अधिक हो जिसने आवेदन का समर्थन अथवा विरोध व्यक्त किया है, तथा आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करने वाले घरेलू उत्पादकों का समान वस्तु के कुल उत्पादन में हिस्सा 25% से कम न हो। आधार की जांच कुल भारतीय उत्पादन, अर्थात फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के उत्पादन को शामिल करते हुए, अधिक सतर्क आधार पर की गई है।

23. यह देखा गया है कि (क) आवेदक, जो आवेदन का स्पष्ट रूप से समर्थन करते हैं, कुल भारतीय उत्पादन का 30-40% हिस्सा रखते हैं, जो 25% की न्यूनतम सीमा से अधिक है; तथा (ख) फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आवेदन का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध, अतः समर्थन अथवा विरोध व्यक्त करने वाले घरेलू उत्पादकों के उत्पादन में आवेदकों का हिस्सा 100% है, जो अपेक्षित 50% से अधिक है। अतः आवेदन कुल भारतीय उत्पादन के आधार पर भी आधार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है। इस तर्क के संबंध में कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को जानबूझकर अपवर्जित किया गया है तथा आवेदकों का भारतीय उत्पादन में केवल 30-40% हिस्सा है, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को नियमावली के नियम 2(ख) के अंतर्गत घरेलू उद्योग से इसलिए अपवर्जित किया गया है क्योंकि वे स्वयं संबद्ध वस्तुओं के आयातक हैं, न कि उनके आकार अथवा जांच में उनके भाग न लेने के कारण। उनका भाग न लेना केवल इस सीमा तक प्रासंगिक है कि उन्होंने आवेदन का न तो समर्थन किया है और न ही विरोध, तथा उन्होंने अपने आयातों संबंधी सूचना पर कोई आपत्ति नहीं की है। पीओआई के दौरान एर्डोस द्वारा आवेदकों में से एक को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री को नोट किया गया है; उस आवेदक की पात्रता पर इसके प्रभाव, यदि कोई हो, की अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी। प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि आवेदक नियमावली के नियम 2(ख) के अर्थ में घरेलू उद्योग का गठन करते हैं तथा आवेदन नियमावली के नियम 6(3) की आधार संबंधी अपेक्षाओं को पूरा करता है।

ङ. गोपनीयता से संबंधित मुद्दे

ङ.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

24. घरेलू उद्योग ने उत्तर देने वाले निर्यातकों द्वारा उत्पादक की पहचान, कच्ची सामग्री, स्वामित्व तथा संबंधित पक्षकारों के संबंध में दावा की गई अत्यधिक गोपनीयता पर आपत्ति की। जिन दावों पर आपत्ति की गई उनमें उत्पादक इकाई का नाम, स्वामित्व संरचना और संबंधित पक्षकार, उत्पादन सुविधाओं/शाखा कंपनियों का स्थान, उत्पादन प्रक्रिया, प्रमुख कच्ची सामग्री, एचएस कोड, उत्पाद विनिर्देश और कैटलॉग, परिसंपत्तियों का औसत उपयोगी जीवनकाल, प्राप्त अन्य सब्सिडी की सूची तथा अनुदानों से संबंधित सरकारी विनियम और अभिलेख, वितरण चैनल तथा सामान्य लेखा अवधि शामिल हैं। उसने अनुरोध किया कि उचित अगोपनीय रूपांतर के बिना प्रस्तुत उत्तरों को रिकॉर्ड पर न लिया जाए।

ङ.2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

25. उत्तरदाताओं ने अनुरोध किया कि अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराए गए थे।

ङ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

26. नियमावली का नियम 8 निम्नानुसार उपबंध करता है:

> *"(1) नियम 7 के उप-नियम (1), (2), (3) और (7), नियम 14 के उप-नियम (2), नियम 17 के उप-नियम (4) तथा नियम 19 के उप-नियम (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 6 के उप-नियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों की प्रतियां अथवा जांच के दौरान किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रदान की गई कोई अन्य सूचना, उसकी गोपनीयता के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी के संतुष्ट होने पर, उसके द्वारा गोपनीय मानी जाएगी तथा ऐसी कोई सूचना, उसे प्रदान करने वाले पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना, किसी अन्य पक्षकार को प्रकट नहीं की जाएगी।*
>
> *(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश ऐसे पर्याप्त ब्यौरे में प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकते हैं जिससे गोपनीय सूचना के सार की उचित समझ हो सके, और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांश नहीं बनाया जा सकता, तो ऐसा पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को कारणों का विवरण प्रस्तुत कर सकता है कि सारांश बनाना क्यों संभव नहीं है।*

(3) उप-नियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध उचित नहीं है अथवा सूचना का प्रदाता सूचना को सार्वजनिक करने अथवा उसे सामान्यीकृत या सारांश रूप में प्रकट करने हेतु प्राधिकृत करने का इच्छुक नहीं है, तो वे ऐसी सूचना की उपेक्षा कर सकते हैं।"

27. प्राधिकारी ने गोपनीयता के उन दावों को स्वीकार किया है जहां उचित कारण दर्शाया गया तथा पर्याप्त अगोपनीय सारांश प्रस्तुत किए गए। स्वामित्व तथा उन संबंधित पक्षकारों की सूचना, जिनके माध्यम से वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, उत्पादक समूहों तथा मूल्य श्रृंखला के निर्धारण के लिए आवश्यक है, और उस सीमा तक उस पर निर्भर किया गया है। एर्डोस द्वारा दायर एक प्रदर्श में किसी अन्य उत्तर देने वाले उत्पादक (इनर मंगोलिया यिहुआ) की गोपनीय शीट शामिल हैं; इनका उपयोग नहीं किया गया है।

28. अत्यधिक गोपनीयता के संबंध में घरेलू उद्योग के तर्कों के संबंध में, उत्तर देने वाले पक्षकारों को अपने उत्तरों के पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर दायर करने का निर्देश दिया गया था। घरेलू उद्योग द्वारा दायर टिप्पणियों के आधार पर, प्राधिकारी नोट करते हैं कि मांगी गई सूचना के प्रकट न किए जाने से उसे कोई हानि नहीं हुई है; निर्धारण के लिए आवश्यक सूचना इन जांच परिणामों में प्रतिबिंबित है।

च. विविध अनुरोध

च.1. चीन जन. गण. की सरकार द्वारा किए गए अनुरोध

क) आवेदन में कार्यक्रमों और साक्ष्यों के बीच एक-से-एक संगति का अभाव है; कुछ लिखत समाप्त हो चुके हैं (उदाहरणार्थ Caishui [2015] No. 37)।

ख) अन्य प्राधिकारियों के निर्धारण वर्तमान मामले में कार्यक्रमों को स्थापित नहीं कर सकते।

ग) उसी उत्पाद पर दिनांक 14.08.2025 के पाटनरोधी अंतिम जांच परिणामों को प्रभावी नहीं किया गया; 02.04.2026 से 30.06.2026 तक मूल सीमा शुल्क से छूट दी गई थी।

च.2. संदीप ऑर्गेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (आयातक) द्वारा किए गए अनुरोध

क) प्रतिसंतुलनकारी शुल्क केवल ऐसी सब्सिडी पर लगाया जा सकता है जो स्थापित और परिमाणित हो (वित्तीय अंशदान, लाभ, विनिर्दिष्टता); कम कीमतें, कम लागत, सरकारी नीति, राज्य का स्वामित्व अथवा उत्पादन प्रौद्योगिकी अपने आप में सब्सिडी स्थापित नहीं करते।

ख) वस्तुओं और सेवाओं के प्रावधान हेतु लाभ का निर्धारण प्रचलित बाजार स्थितियों के संदर्भ में पर्याप्त पारिश्रमिक की तुलना में किया जाना चाहिए; विनिर्दिष्टता को पृथक रूप से स्थापित किया जाना चाहिए।

ग) नमूना चयन सब्सिडी का निष्कर्ष नहीं है; क्षति सब्सिडी के प्रभावों के माध्यम से सब्सिडीकृत आयातों द्वारा होनी चाहिए तथा अन्य ज्ञात कारकों का आरोपण नहीं किया जाना चाहिए (एससीएम करार का अनुच्छेद 15); शुल्क स्थापित सब्सिडी से अधिक नहीं हो सकता; आवश्यक तथ्यों का प्रकटन अपेक्षित है।

घ) आयातक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी, (2006) 10 SCC 368; रियलस्ट्रिप्स लि. बनाम भारत संघ (गुजरात उच्च न्यायालय, SCA No. 4495/2022, 02.09.2022); तथा वेदांता लि. बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी (सेस्टेट अंतिम आदेश सं. 50079/2023, 18.01.2023) पर निर्भरता व्यक्त की है।

च.3. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

क) घरेलू उद्योग को अतीत में पाटनरोधी शुल्क द्वारा संरक्षण प्राप्त रहा है और वह आयातों से निरंतर संरक्षण चाह रहा है।

ख) वित्त मंत्रालय ने दिनांक 14.08.2025 के अंतिम जांच परिणामों द्वारा की गई पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश को स्वीकार नहीं किया; 15.05.2023 को अनुशंसित रक्षोपाय (मात्रात्मक प्रतिबंध) अधिरोपित नहीं किया गया; तथा पॉली विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) होमोपॉलिमर (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2024 को 12.11.2025 को निरस्त कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान जांच घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर पुनः मुकदमेबाजी का प्रयास है।

च.4. प्राधिकारी द्वारा जांच

29. जांच शुरुआत के समय साक्ष्यों की पर्याप्तता वर्तमान निर्धारण से भिन्न है, जो प्रस्तुत सूचना के आधार पर कार्यक्रम-वार और समूह-वार किया गया है। पाटनरोधी शुल्क का अधिरोपण न किया जाना तथा अन्य व्यापार-नीति उपाय निर्णायक नहीं हैं। चूंकि संबद्ध वस्तुओं पर कोई पाटनरोधी शुल्क प्रवृत्त नहीं है, अतः पाई गई निर्यात-आकस्मिक सब्सिडी (निर्यात विक्रेता ऋण - जुनझेंग समूह; निर्यात अनुदान - तियानजिन बोहुआ) के लिए अधिनियम की धारा 9ख के अंतर्गत दोहरे उपचार हेतु समायोजन का प्रश्न फिलहाल उत्पन्न नहीं होता।

30. इस तर्क के संबंध में कि वर्तमान जांच पाटनरोधी जांच में जांची गई क्षति पर पुनः मुकदमेबाजी का प्रयास है, पाटनरोधी और प्रतिसंतुलनकारी शुल्क जांच अधिनियम की क्रमशः धारा 9क और 9 के अंतर्गत पृथक कार्यवाहियां हैं, जो भिन्न अनुचित व्यापार प्रथाओं, अर्थात पाटन और सब्सिडीकरण, से संबंधित हैं। अधिनियम और नियमावली किसी उत्पाद पर केवल इस कारण प्रति-सब्सिडी जांच को वर्जित नहीं करते कि वह उत्पाद पूर्व में पाटनरोधी जांच के अधीन था, अथवा ऐसी जांच में की गई सिफारिश स्वीकार नहीं की गई। वर्तमान मामले में पीओआई (अक्टूबर 2024 - सितंबर 2025) पाटनरोधी जांच की अवधि (अक्टूबर 2022 - सितंबर 2023) से भिन्न है। प्राधिकारी ने सब्सिडीकरण, क्षति और कारणात्मक संबंध के प्रथमदृष्टया साक्ष्य से संतुष्ट होने पर वर्तमान जांच शुरू की है तथा उनसे रिकॉर्ड पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर गुण-दोष पर मामले का निर्धारण अपेक्षित है। मात्रात्मक प्रतिबंधों का अधिरोपण न किया जाना तथा गुणवत्ता नियंत्रण आदेश का निरसन प्रतिसंतुलनीय सब्सिडी के अस्तित्व अथवा सब्सिडीकृत आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति पर कोई प्रभाव नहीं डालते।

छ. सब्सिडी और सब्सिडी मार्जिन का निर्धारण

छ.1. उत्तर देने वाले पक्षकार, उत्पादक समूह और उत्तरों की स्थिति

31. निम्नलिखित उत्पादक समूहों ने उत्तर दायर किए। संबंधित इकाइयों को किसी समूह का भाग केवल तभी माना गया है जहां संबंधित-पक्षकार प्रकटन उस संबंध की पुष्टि करते हैं।

क्र. सं.	उत्पादक समूह	उत्तर देने वाली इकाइयां	स्थिति (प्रारंभिक)
1	चिंगदाओ हाईवान	चिंगदाओ हाईवान केमिकल कं., लि.	स्वीकृत। असंबंधित व्यापारियों के माध्यम से भी निर्यात; ऐसे व्यापारियों की पुनर्विक्रय सूचियां उत्पादक द्वारा प्रस्तुत की गईं।
2	तियानजिन बोहुआ	तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कं., लि.	स्वीकृत। ट्राइकॉन, स्टेवियन, मारुबेनी (उत्तर दायर) तथा अन्य व्यापारियों के माध्यम से भी निर्यात।
3	जुनझेंग समूह	इनर मंगोलिया जुनझेंग केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.; ऑर्डोस जुनझेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.	स्वीकृत।

4	चिपिंग शिनफा समूह	चिपिंग शिनफा हुआशिंग केमिकल कं., लि.; चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कं., लि.	स्वीकृत।
5	वानहुआ समूह	वानहुआ केमिकल (फुजियान) कं., लि.; वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स कं., लि.; वानहुआ केमिकल (सिंगापुर) प्रा. लि. (संबंधित निर्यातक); वानहुआ इंटरनेशनल (इंडिया) प्रा. लि. (संबंधित आयातक)	स्वीकृत। वानहुआ केमिकल ग्रुप कं., लि. (मूल कंपनी, यानताई को बिजली आपूर्तिकर्ता भी) ने उत्तर दायर नहीं किया।
6	एर्डोस	इनर मंगोलिया एर्डोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कं., लि. (क्लोर-अल्कली केमिकल ब्रांच कंपनी)	स्वीकृत।
7	झोंगताई समूह	शिनजियांग शेंगशियोंग क्लोर-अल्कली कं., लि.; शिनजियांग झोंगताई इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कं., लि.; झोंग ताई इंटरनेशनल डेवलपमेंट (एचके) लि.	अस्वीकृत - उपलब्ध तथ्य (खंड छ.2 देखें)।
8	सीएनएसआईजी जिलानताई	सीएनएसआईजी जिलानताई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; चाइना सॉल्ट केमिकल इंटरनेशनल ट्रेडिंग कं., लि.	अस्वीकृत - मूल्य श्रृंखला अपूर्ण (खंड छ.2 देखें)।
9	क्लोर-अल्कली केमिकल समूह	ग्वांगशी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.	स्वीकृत। असूचीबद्ध अनुदान उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जोड़े गए (छ.5)।
10	शांक्सी बेइयुआन	शांक्सी बेइयुआन केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप कं., लि.	अस्वीकृत - प्रमुख आदानों की खपत का खरीद से मिलान नहीं (खंड छ.2 देखें)।
11	तियानचेन समूह	तियानचेन केमिकल कं., लि.; शिनजियांग तियानयू शिनके न्यू मैटेरियल्स कं., लि.; शिनजियांग तियानये फॉरेन ट्रेड कं., लि.	स्वीकृत। भारत को सभी वस्तुओं का पुनर्विक्रय चोंगकिंग चुआनडोंग केमिकल (ग्रुप) कं., लि. (असंबंधित व्यापारी) द्वारा किया गया।
12	यिहुआ	इनर मंगोलिया यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.	स्वीकृत।
13	यिबिन तियानयुआन समूह	यिबिन हाइफेंग हेरुई कं., लि.; यिबिन तियानयुआन ग्रुप कं., लि.; यिबिन तियानयुआन मैटेरियल्स इंडस्ट्री ग्रुप लि.	स्वीकृत।

32. असंबंधित व्यापारी: ट्राइकॉन ड्राई केमिकल्स एलएलसी (अमरीका), स्टेवियन केमिकल जेएससी (वियतनाम) तथा मारुबेनी इनोवेक्सिस कॉर्पोरेशन (जापान) ने उत्तर दायर किए; चोंगकिंग चुआनडोंग केमिकल (ग्रुप) कं., लि. ने तियानचेन की वस्तुओं के असंबंधित व्यापारी के रूप में फॉर्मेट C, D और E दायर किए। टेक्सपो इंटरनेशनल लि. तथा झेजियांग जियाहुआ एनर्जी केमिकल इंडस्ट्री कं., लि. ने पंजीकरण कराया परंतु कोई उत्तर दायर नहीं किया।

छ. 2. उत्तरों की अस्वीकृति

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

33. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि चीन से अधिकांश आयात (द्वितीयक आंकड़ों के अनुसार लगभग *** व्यापारियों के माध्यम से लगभग *** मी.ट.) ऐसे व्यापारियों के माध्यम से किए गए जिन्होंने भाग नहीं लिया; कि उत्तर देने वाले उत्पादकों ने प्रत्यक्ष रूप से केवल लगभग *** मी.ट. का निर्यात किया; कि जहां मूल्य श्रृंखला अपूर्ण है, वहां सीआईएफ तथा क्षति मार्जिन के निर्धारण हेतु उत्तर पर निर्भर नहीं किया जा सकता; तथा Isobutylene-Isoprene Rubber (फा. सं. 6/05/2023-डीजीटीआर, 29.06.2024), Hot-rolled flat products from Vietnam (फा. सं. 06/15/2024-डीजीटीआर, 13.08.2025), Uncoated Copier Paper (फा. सं. 6/32/2017-डीजीएडी, 30.08.2018 - जहां 32-43% निर्यात असहयोगी असंबंधित निर्यातकों के माध्यम से हुए थे, वहां अस्वीकृति) तथा Emulsion SBR (फा. सं. 6/07/2025-डीजीटीआर, 20.03.2026) में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर निर्भरता व्यक्त की। उसने उदाहरण के रूप में चिंगदाओ हाईवान का नाम लिया।

ख. प्राधिकारी द्वारा जांच

34. सीएनएसआईजी जिलानताई / चाइना सॉल्ट केमिकल इंटरनेशनल ट्रेडिंग. चाइना सॉल्ट का फॉर्मेट E पीओआई में भारत को *** मी.ट. का निर्यात दर्शाता है, जिसमें से *** मी.ट. (***%) टेक्सपो इंटरनेशनल लि., हांगकांग को बेचा गया, जो एक असंबंधित व्यापारी है जिसने पंजीकरण तो कराया परंतु उत्तर दायर नहीं किया। आगे की मात्राएं *** (*** मी.ट., ***%), *** (*** मी.ट., ***%) तथा *** (*** मी.ट., ***%) को बेची गईं, जिनमें से किसी ने भी उत्तर दायर नहीं किया। उत्पादक द्वारा इन व्यापारियों की पुनर्विक्रय सूचना प्रस्तुत नहीं की गई। प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि निर्यातों के एक बड़े भाग की मूल्य श्रृंखला अपूर्ण है, कि उन निर्यातों के लिए भारत को निर्यात कीमत स्थापित नहीं की जा सकती, और उत्तर को अस्वीकार करते हैं। इस समूह पर अवशिष्ट शुल्क लागू होगा।

35. शांक्सी बेइयुआन. शांक्सी बेइयुआन द्वारा अपने प्रमुख आदानों और उपयोगिताओं की खपत तथा प्राप्ति के संबंध में प्रस्तुत सूचना का मिलान नहीं होता: खरीदी गई के रूप में सूचित मात्राएं संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन में खपत की गई मात्राओं का केवल एक छोटा भाग हैं, तथा शेष मात्रा की आपूर्ति का स्रोत और शर्तें प्रकट नहीं की गई हैं। इस सूचना के अभाव में, संबंधित कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभ का निर्धारण नहीं किया जा सकता तथा उत्तर पर निर्भर नहीं किया जा सकता। प्राधिकारी अनंतिम रूप से उत्तर को अस्वीकार करते हैं तथा नियमावली और एससीएम करार के अनुच्छेद 12.7 के अनुसार उपलब्ध तथ्यों को लागू करते हैं।

36. झोंगताई समूह (शिनजियांग शेंगशियोंग, झोंगताई आईएंडई, झोंग ताई एचके). तीनों इकाइयों ने उत्तर दायर किए। शेंगशियोंग ने भारत के लिए अपनी वस्तुओं का ***% झोंगताई आईएंडई को तथा ***% झोंग ताई एचके को बेचा; झोंगताई आईएंडई ने ***% झोंग ताई एचके को बेचा। झोंग ताई एचके ने *** मी.ट., अर्थात अपने *** मी.ट. का ***%, भारत से बाहर के असंबंधित क्रेताओं (***) को बेचा, जिनमें से किसी ने भी उत्तर दायर नहीं किया; पुनर्विक्रय आंकड़े केवल *** (*** मी.ट.) के लिए प्रस्तुत किए गए। चूंकि समूह के भारत को निर्यातों के अधिकांश भाग की मूल्य श्रृंखला अपूर्ण है, अतः उन निर्यातों के लिए भारत को निर्यात कीमत स्थापित नहीं की जा सकती, और प्राधिकारी अनंतिम रूप से उत्तर को अस्वीकार करते हैं। इस समूह पर अवशिष्ट शुल्क लागू होगा।

37. मूल्य श्रृंखला की पूर्णता. प्रत्येक उत्पादक समूह पर, भारत को उसके निर्यातों के उस हिस्से के संदर्भ में, एक ही परीक्षण लागू किया गया है जो ऐसे असंबंधित मध्यस्थों के माध्यम से बेचा गया जिन्होंने न तो उत्तर दायर किया और न ही जिनकी पुनर्विक्रय सूचना प्रस्तुत की गई। सीएनएसआईजी जिलानताई (40-50%) तथा झोंगताई समूह (50-60%) के लिए, ऐसे निर्यात भारत को उनके निर्यातों का लगभग आधा हैं, जिससे उनके निर्यातों के एक बड़े भाग के लिए निर्यात कीमत स्थापित नहीं की जा सकती, और उनके

उत्तर अस्वीकार किए जाते हैं। अन्य समूहों के लिए, प्रस्तुत पुनर्विक्रय सूचना सहित रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना इस प्रारंभिक चरण पर पर्याप्त मानी गई है। इस विषय की अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी।

छ.3. गणना पद्धति

38. सब्सिडी तब विद्यमान होती है जब किसी सरकार अथवा सार्वजनिक निकाय द्वारा वित्तीय अंशदान (अथवा आय/कीमत समर्थन) किया जाता है, उससे लाभ प्रदान होता है, तथा सब्सिडी विनिर्दिष्ट है (अधिनियम की धारा 9 तथा नियमावली)। प्रत्येक समूह के लिए लाभ का परिमाणन निम्नलिखित आधार पर किया गया है, जो नीचे मद i) में उल्लिखित के सिवाय सभी समूहों पर लागू है:

क) अनुदान: पीओआई में प्राप्त और व्यय की गई राशियां; 10 वर्ष के एयूएल के भीतर प्राप्त परिसंपत्ति-संबंधी अनुदान सीधी-रेखा पद्धति से आवंटित (सकल / 10)।

ख) आयकर कार्यक्रम: कर वर्ष 2024 की विवरणी में बचाया गया कर (एचएनटीई 15% दर, पश्चिमी क्षेत्र 15% दर, लागू दर पर अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती, विशेष-उपकरण क्रेडिट)।

ग) ऋण, बिल भुनाई तथा निर्यात विक्रेता ऋण: बेंचमार्क ***% प्रति वर्ष (डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की अल्पकालिक दर, जैसा घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया); लाभ = (बेंचमार्क - वास्तविक दर) x पीओआई में बकाया मूलधन-वर्ष। चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ के लिए, मद i) देखें।

घ) बिजली (एलटीएआर): बेंचमार्क आरएमबी 0.8836/किलोवाट-घंटा (वैट को छोड़कर), जो पीओआई के लिए थाईलैंड के मासिक राष्ट्रीय औसत टैरिफ (ईआरसी आधार टैरिफ + एफटी) का औसत है तथा मासिक आरएमबी/टीएचबी दर पर परिवर्तित है; लाभ = (बेंचमार्क - वैट को छोड़कर तथा शुल्कों सहित भुगतान की गई कीमत) x किलोवाट-घंटा, न्यूनतम शून्य, जो सभी आपूर्तिकर्ताओं पर लागू है, चाहे राज्य-स्वामित्व वाले हों अथवा गैर-राज्य-स्वामित्व वाले, कैप्टिव और संबंधित आपूर्तिकर्ताओं सहित।

ङ) स्टीम कोयला (एलटीएआर): बेंचमार्क आरएमबी ***/टन (वैट को छोड़कर) (पीओआई के दौरान किसी उत्तर देने वाले उत्पादक द्वारा भुगतान की गई उच्चतम सुपुर्द कीमत), सभी आपूर्तिकर्ताओं पर लागू, कैलोरिफिक-मूल्य समायोजन के बिना।

च) भूमि उपयोग अधिकार (एलटीएआर): अधिग्रहण के वर्ष के लिए थाईलैंड औद्योगिक भूमि कीमत (नाइट फ्रैंक), पीओआई की औसत दर पर परिवर्तित; प्रति भूखंड लाभ = (बेंचमार्क - भुगतान की गई कीमत) प्रति वर्ग मीटर x क्षेत्रफल, भूमि-उपयोग अवधि पर विस्तारित (जहां उल्लिखित न हो वहां 50 वर्ष); केवल सरकारी अंतरणकर्ता। चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ के लिए, मद i) देखें।

छ) भाजक: बिजली लाभ को कंपनी के कुल कारोबार से विभाजित किया गया है, सिवाय वानहुआ समूह तथा ग्वांगशी हुआयी / शंघाई क्लोर-अल्कली समूह के, जिनके लिए, इस चरण पर, सूचित सभी किलोवाट-घंटा पर लाभ को विचाराधीन उत्पाद के कारोबार से विभाजित किया गया है। इन उत्पादकों द्वारा सूचित बिजली के कवरेज, तथा लाभ के कारोबार के साथ उपयुक्त मिलान, की अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी। अन्य सभी घरेलू कार्यक्रमों को कंपनी के कुल कारोबार से तथा निर्यात-आकस्मिक कार्यक्रमों को कुल निर्यात कारोबार से विभाजित किया गया है। उत्पादक समूहों के लिए, लाभों और कारोबार को समेकित करके एकल मार्जिन निर्धारित किया गया है।

ज) जिन आदानों के संबंध में जांच शुरू नहीं की गई (ईडीसी, वीसीएम, कैल्शियम कार्बाइड, नमक, कोक/सेमी-कोक, चूना, एचसीएल) उनका इन जांच परिणामों में प्रतिसंतुलन नहीं किया गया है। एथिलीन की जांच खंड छ.5(vii) में की गई है; मद j) देखें।

झ) चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ ने अपने स्रोत आंकड़ों से जुड़ी पूर्ण कार्यक्रम-वार गणनाएं प्रस्तुत कीं। इन दो उत्पादकों के लिए प्राधिकारी उनकी अपनी गणना - उनकी मात्राएं, कीमतें, कवरेज तथा भाजक (भारत को निर्यात कीमत पर कंपनी की कुल बिक्री मात्रा) - अपनाते हैं और केवल बेंचमार्कों को प्राधिकारी द्वारा अपनाए गए बेंचमार्कों से प्रतिस्थापित करते हैं (बिजली आरएमबी 0.8836/किलोवाट-घंटा वैट को छोड़कर; स्टीम कोयला आरएमबी ***/टन; उनके द्वारा सूचीबद्ध ऋण राशियों पर ब्याज ***% प्रति वर्ष; अधिग्रहण वर्ष के थाईलैंड बेंचमार्क पर भूमि, क्षेत्रफल द्वारा भारित, 50 वर्षों में विस्तारित)। अनुदान और कर कार्यक्रम उनके द्वारा की गई गणना के अनुसार लिए गए हैं; जल तथा जिन आदानों के संबंध में जांच शुरू नहीं की गई वे अपवर्जित हैं; एथिलीन मद j) के अनुसार है।

ञ) एथिलीन (एलटीएआर): बेंचमार्क = पीओआई में उत्पादक की अपनी एथिलीन की भारित आयात कीमत (सीएफआर, वैट को छोड़कर); प्रत्येक घरेलू आपूर्तिकर्ता के लिए लाभ = (बेंचमार्क - भुगतान की गई भारित कीमत) x टन, न्यूनतम शून्य; रिकॉर्ड पर एथिलीन खरीद वाले प्रत्येक उत्पादक समूह पर लागू; कंपनी के कुल कारोबार से विभाजित (तियानजिन बोहुआ: उसका अपना भाजक, मद i))।

छ.4. चीन सरकार का सहयोग

39. जीओसी ने उत्तर दायर किया परंतु अनुदान कार्यक्रमों के लिए कंपनियों के उत्तरों का संदर्भ दिया, तथा एलटीएआर कार्यक्रमों (जल, भूमि, स्टीम कोयला, बिजली) के लिए आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व और बाजार-हिस्से के आंकड़े, कीमत-निर्धारण संबंधी सूचना अथवा उन बाजारों में जीओसी की भूमिका की सूचना प्रस्तुत नहीं की। प्राधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर (एससीएम करार का अनुच्छेद 12.7 तथा नियमावली) अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि (i) ग्रिड कंपनियां तथा ऋणदाता बैंक सार्वजनिक निकाय हैं; (ii) देश में बिजली और भूमि की कीमतें जीओसी की प्रधान भूमिका के कारण विकृत हैं, जिससे देश के बाहर के बेंचमार्क अपेक्षित हैं; तथा (iii) अनुदान विनिर्दिष्ट हैं, क्योंकि जीओसी ने पात्रता मानदंड रोक लिए हैं।

छ.5. सब्सिडी कार्यक्रमों की जांच

(i) कार्यक्रम (i) से (viii): पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं और सेवाओं का प्रावधान (जल, भूमि, राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों को अधिमानी भूमि, स्टीम कोयला, बिजली, औद्योगिक क्षेत्रों में भूमि, कास्टिक सोडा, क्लोरीन)

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

40. आवेदकों ने आरोप लगाया कि जीओसी, प्रत्यक्ष रूप से तथा राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों के माध्यम से, पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर जल, भूमि उपयोग अधिकार, स्टीम कोयला, बिजली, कास्टिक सोडा और क्लोरीन प्रदान करती है, तथा ये कार्यक्रम उद्योगों और क्षेत्रों के लिए विनिर्दिष्ट हैं। आवेदक जल कानून, प्रांतीय योजनाओं तथा यूरोपीय आयोग और अमरीकी वाणिज्य विभाग के निर्धारणों पर निर्भर हैं। अपने अतिरिक्त अनुरोधों में, आवेदकों ने बिजली (थाईलैंड यूएसडी 0.127/किलोवाट-घंटा अथवा भारत यूएसडी ***/किलोवाट-घंटा) तथा भूमि (थाईलैंड टीएचबी 250/वर्ग मीटर अथवा भारत आईएनआर ***/वर्ग मीटर) के लिए बेंचमार्क प्रस्तावित किए, तथा भूमि बेंचमार्क के रूप में थाईलैंड हेतु Atrazine Technical (22.08.2019) तथा Digital Offset Printing Plates (28.03.2025) में प्राधिकारी के जांच परिणामों पर निर्भरता व्यक्त की।

ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

41. जीओसी ने अनुरोध किया कि साक्ष्य पुराने हैं अथवा अन्य उद्योगों से संबंधित हैं; कि जल और बिजली की कीमतें प्रयोक्ता श्रेणियों के भीतर एकसमान हैं तथा 2021 से बाजार-निर्धारित हैं; कि भूमि सार्वजनिक बोली के माध्यम से आवंटित की जाती है; कि किसी उत्तरदाता ने कास्टिक सोडा अथवा क्लोरीन नहीं

खरीदा; तथा कि कोई भी कार्यक्रम विनिर्दिष्ट नहीं है। उत्तर देने वाले उत्पादकों ने अनुरोध किया कि उन्होंने अपने क्षेत्र के अन्य प्रयोक्ताओं पर लागू दरों पर जल और बिजली खरीदी, कि भूमि समनुदेशन द्वारा अधिग्रहित की गई, कि कोयला निविदाओं के माध्यम से खरीदा जाता है, तथा कि कोई लाभ प्राप्त नहीं हुआ। वानहुआ ने अनुरोध किया कि उसके आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक निकाय नहीं हैं तथा विदेशी निर्धारणों को अंतरित नहीं किया जा सकता।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

42. कैल्शियम-कार्बाइड मार्ग वाले समूह (जुनझेंग, चिपिंग शिनफा, एर्डोस, सीएनएसआईजी जिलानताई, शांक्सी बेइयुआन, तियानचेन, यिहुआ, यिबिन हाइफेंग हेरुई) स्टीम कोयला, कैल्शियम कार्बाइड तथा बड़ी मात्रा में बिजली, जो प्रायः कैप्टिव अथवा संबंधित इकाइयों से होती है, का उपयोग करते हैं; एथिलीन मार्ग वाले समूह (चिंगदाओ हाईवान, तियानजिन बोहुआ, वानहुआ, ग्वांगशी हुआयी/शंघाई क्लोर-अल्कली) एथिलीन/ईडीसी तथा ग्रिड अथवा संबंधित-पक्षकार बिजली का उपयोग करते हैं। नीचे कार्यक्रमों की जांच आदान-वार की गई है।

(क) पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर बिजली (कार्यक्रम v)

हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

43. उत्तर देने वाले उत्पादकों ने अनुरोध किया कि बिजली अन्य प्रयोक्ताओं पर लागू दरों पर खरीदी गई तथा कोई लाभ उत्पन्न नहीं हुआ। अपनी स्वयं की गणनाओं में, चिंगदाओ हाईवान, तियानजिन बोहुआ, चिपिंग शिनफा, यिबिन हाइफेंग हेरुई तथा तियानचेन ने अपनी स्वयं की कीमत x 1.01 के बराबर बेंचमार्क तथा कंपनी की कुल बिक्री का उपयोग किया; एर्डोस ने पीयूसी कारोबार पर अपनी संपूर्ण कंपनी की खपत का उपयोग किया; वानहुआ समूह ने चीनी एकल-भाग/द्वि-भाग टैरिफ औसत (आरएमबी ***/किलोवाट-घंटा) के बराबर बेंचमार्क का उपयोग किया तथा लाभ को पीयूसी कारोबार से विभाजित किया (फुजियान ***%, यानताई ***%; सभी कार्यक्रमों के लिए समूह का दावा ***%); सीएनएसआईजी, क्लोर-अल्कली समूह तथा बेइयुआन ने कहा कि कार्यक्रम का लाभ नहीं उठाया गया। ट्राइलीगल द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए कुछ उत्पादकों ने अनुरोध किया कि कुल कारोबार सही भाजक है, जबकि अन्य ने पीयूसी कारोबार का उपयोग किया। वानहुआ ने अनुरोध किया कि उसके आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक निकाय नहीं हैं तथा बेंचमार्क के रूप में मलेशियाई टैरिफ (आरएमबी ***/किलोवाट-घंटा) पर निर्भरता व्यक्त की।

घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

44. घरेलू उद्योग ने यूएसडी 0.127/किलोवाट-घंटा (globalpetrolprices.com) का थाईलैंड बेंचमार्क अथवा, वैकल्पिक रूप से, यूएसडी ***/किलोवाट-घंटा (आईएनआर ***/किलोवाट-घंटा, डीसीडब्ल्यू लिमिटेड) की भारतीय कीमत प्रस्तावित की, तथा मार्ग-वार खपत मानदंडों (कार्बाइड मार्ग के लिए *** किलोवाट-घंटा/मी.ट.; एथिलीन मार्ग के लिए *** किलोवाट-घंटा/मी.ट.) पर, आरएमबी ***/किलोवाट-घंटा की अनुमानित चीनी कीमत पर, यूएसडी ***/मी.ट. के सीआईएफ पर लाभ की गणना की।

प्राधिकारी द्वारा जांच

45. उत्पादक की स्वयं की कीमत के बराबर अथवा चीनी विनियमित टैरिफ के बराबर बेंचमार्क उन टैरिफ द्वारा प्रदत्त लाभ को नहीं माप सकता, तथा वानहुआ समूह द्वारा जिस मलेशियाई टैरिफ पर निर्भरता व्यक्त की गई है उसका तुलनीय बाजार स्थितियों को प्रतिबिंबित करना नहीं दर्शाया गया है; इनमें से कोई भी नहीं अपनाया गया है। चूंकि चीन में बिजली की कीमतें सरकार और उसकी एजेंसियों द्वारा निर्धारित की जाती हैं, तथा आपूर्ति मुख्यतः राज्य-स्वामित्व वाले ग्रिड उद्यमों द्वारा की जाती है, अतः ऐसी कोई बाजार-निर्धारित घरेलू कीमत उपलब्ध नहीं है जिसके सापेक्ष पारिश्रमिक की पर्याप्तता को मापा जा सके, तथा देश के बाहर के बेंचमार्क की आवश्यकता है। प्राधिकारी ने थाईलैंड का चयन इसलिए किया है क्योंकि (i) यह विकास के तुलनीय चरण पर स्थित एक एशियाई अर्थव्यवस्था है; (ii) इसके बिजली टैरिफ एक स्वतंत्र विनियामक, ऊर्जा विनियामक आयोग, द्वारा प्रकाशित लागत आधार पर निर्धारित किए जाते हैं,

जिसमें ईंधन समायोजन प्रभार (एफटी) प्रत्येक चार माह में संशोधित किया जाता है, तथा पीओआई के प्रत्येक माह के आधिकारिक टैरिफ निर्णय रिकॉर्ड पर हैं; (iii) थाईलैंड में घरेलू पीवीसी और क्लोर-अल्कली उद्योग है, जिससे उसके औद्योगिक टैरिफ तुलनीय प्रयोक्ताओं की स्थितियों को प्रतिबिंबित करते हैं; तथा (iv) किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने इससे अधिक उपयुक्त बेंचमार्क रिकॉर्ड पर प्रस्तुत नहीं किया है। प्राधिकारी पीओआई के लिए आरएमबी 0.8836/किलोवाट-घंटा (वैट को छोड़कर) के थाईलैंड राष्ट्रीय औसत टैरिफ को अपनाते हैं, थाईलैंड वह बेंचमार्क देश है जिसे घरेलू उद्योग ने भी प्रस्तावित किया है, तथा इसे अनुमानित कीमतों अथवा खपत मानदंडों के बजाय प्रत्येक उत्पादक की वास्तविक खरीद पर लागू करते हैं। भाजक खंड छ.3 (मद g और i) में निर्धारित अनुसार हैं। परिणामी बिजली लाभ और दरें निम्नानुसार हैं:

समूह	**किलोवाट-घंटा (मिलियन)**	**भुगतान की गई कीमत, वैट को छोड़कर (आरएमबी/किलोवाट-घंटा)**	**लाभ (आरएमबी मिलियन)**	**दर (%)**
चिंगदाओ हाईवान	***	***	***	5-10%
तियानजिन बोहुआ	***	***	***	1-5%
जुनझेंग समूह	***	***	***	10-20%
चिपिंग शिनफा समूह	***	***	***	10-20%
वानहुआ समूह	***	***	***	20-30%
एर्डोस	***	***	***	50-60%
क्लोर-अल्कली समूह	***	***	***	10-20%
तियानचेन समूह	***	***	***	70-80%
यिहुआ	***	***	***	50-60%
यिबिन तियानयुआन समूह	***	***	***	20-30%

(ख) पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर स्टीम कोयला (कार्यक्रम iv)

प्राधिकारी द्वारा जांच

46. रिकॉर्ड पर उपलब्ध कोयला खरीद की जांच आरएमबी ***/टन के बेंचमार्क पर की गई (खंड छ.3, मद e)। परिणामी दरें हैं: चिंगदाओ हाईवान 0-1% (उसकी अपनी गणना पर, राज्य-स्वामित्व वाले आपूर्तिकर्ताओं से उसकी खरीद को कवर करते हुए); जुनझेंग समूह 0-1%; तथा यिबिन हाइफेंग हेरुई 1-5% (संबंधित कंपनियों से खरीद)। तियानचेन, यिहुआ तथा एर्डोस कोक/सेमी-कोक खरीदते हैं अथवा समूह की खदानों का उपयोग करते हैं, शांक्सी बेइयुआन कार्बाइड खरीदता है, तथा एथिलीन-मार्ग वाले समूहों ने स्टीम कोयले की कोई खरीद सूचित नहीं की। कैप्टिव अथवा संबंधित विद्युत संयंत्रों द्वारा उपभुक्त कोयले का पृथक रूप से प्रतिसंतुलन नहीं किया गया है, क्योंकि उनके द्वारा आपूर्त बिजली की तुलना पहले ही बिजली बेंचमार्क से की जा चुकी है (खंड छ.3, मद d)। किसी भी पक्षकार द्वारा कैलोरिफिक-मूल्य समायोजन प्रमाणित नहीं किया गया है।

(ग) पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकार (कार्यक्रम ii, iii, vi)

प्राधिकारी द्वारा जांच

47. सरकारी अंतरणकर्ताओं से अधिग्रहित भूखंडों की तुलना अधिग्रहण वर्ष के थाईलैंड बेंचमार्क से की गई; निजी अथवा संबंधित अंतरणकर्ताओं से प्राप्त भूखंड तथा पीओआई के पश्चात के भूखंड अपवर्जित किए गए। दरें (कंपनी का कुल कारोबार; चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ उनकी अपनी गणना और भाजक पर): चिंगदाओ हाईवान 0-1%; तियानजिन बोहुआ 0-1%; जुनझेंग समूह 0-1%; चिपिंग शिनफा समूह 0-1%; वानहुआ समूह 0-1%; एर्डोस 0-1% (मूल कंपनी को आवंटित तथा शाखा को पट्टे पर दिए गए चार भूखंड, क्षेत्रफल के अनुपात में लिए गए); क्लोर-अल्कली समूह 0-1%; यिहुआ 0-1%; यिबिन हाइफेंग हेरुई 0-1%; तियानचेन समूह शून्य (संबंधित अंतरणकर्ता से अधिग्रहित भूखंड, इस चरण पर प्रतिसंतुलित नहीं)। घरेलू उद्योग का थाईलैंड टीएचबी 250/वर्ग मीटर (सीबीआरई एशिया मार्केटव्यू, 2010) अथवा आईएनआर ***/वर्ग मीटर (भारत) का विकल्प, पुराना अथवा तुलनीय न होने के कारण, नहीं अपनाया गया है; प्राधिकारी घरेलू उद्योग से सहमत हैं कि Digital Offset Printing Plates में दर्ज कारणों से थाईलैंड एक उपयुक्त बेंचमार्क देश है।

(घ) जल (कार्यक्रम i)

प्राधिकारी द्वारा जांच

48. किसी भी पक्षकार द्वारा जल के लिए कोई बेंचमार्क रिकॉर्ड पर नहीं रखा गया है; इस चरण पर कार्यक्रम का परिमाणन नहीं किया गया है।

(ङ) कास्टिक सोडा और क्लोरीन (कार्यक्रम vii, viii)

प्राधिकारी द्वारा जांच

49. उत्तर देने वाले उत्पादक एकीकृत क्लोर-अल्कली उत्पादक हैं जो क्लोरीन और कास्टिक सोडा का स्वयं उत्पादन करते हैं; प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि कोई लाभ उत्पन्न नहीं होता।

(ii) कार्यक्रम (ix) से (xxxi): कर और वैट प्रोत्साहन

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

50. आवेदकों ने 23 कर कार्यक्रमों का आरोप लगाया, जिनमें अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती, उच्च एवं नई प्रौद्योगिकी उद्यमों (एचएनटीई) के लिए 15% की घटी हुई दर, पश्चिमी क्षेत्र कर रियायत तथा विशेष उपकरण की खरीद पर कर क्रेडिट शामिल हैं, तथा अनुरोध किया कि सत्यापित आदान-खपत प्रणाली के अभाव में आयात-शुल्क छूट प्रतिसंतुलनीय हैं। अपने अतिरिक्त अनुरोधों में, आवेदकों ने मूल कंपनियों की वार्षिक रिपोर्टों से आयकर तथा "अतिरिक्त वैट" लाभों की गणना की (उदाहरणार्थ अतिरिक्त वैट हेतु सीआईएफ का शंघाई क्लोर-अल्कली 7.23%, झोंगताई 4.07%, यिबिन तियानयुआन 3.03%, तियानजिन बोहाई 2.84%, एर्डोस 2.52%, वानहुआ 1.95%, जुनझेंग 1.23%)।

ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

51. जीओसी ने अनुरोध किया कि किसी भी उत्तरदाता ने कार्यक्रम (x)-(xxi), (xxv), (xxvii)-(xxix), (xxxi) का उपयोग नहीं किया, तथा शेष कार्यक्रम सामान्य रूप से उपलब्ध हैं। उत्तर देने वाले उत्पादकों ने अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती (ix), एचएनटीई 15% दर (xxii), पश्चिमी क्षेत्र 15% दर (xxiii), विशेष-उपकरण कर क्रेडिट (xxvi) तथा लाभांश छूट (lxv) के उपयोग की सूचना दी; कुछ उत्तरदाताओं ने कर वर्ष 2024 के लिए कोई आयकर देय न होने की सूचना दी।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

52. कर रियायतें सरकारी राजस्व के परित्याग के रूप में वित्तीय अंशदान हैं तथा बचाए गए कर के बराबर लाभ प्रदान करती हैं। एचएनटीई 15% दर तथा पश्चिमी क्षेत्र 15% दर विनिर्दिष्ट हैं (विधितः / क्षेत्रीय);

अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती तथा विशेष-उपकरण क्रेडिट को अनंतिम रूप से विनिर्दिष्ट माना गया है, क्योंकि जीओसी ने पात्रता मानदंड प्रस्तुत नहीं किए। दरें (कंपनी के कुल कारोबार पर; चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ उनके अपने भाजक पर): एचएनटीई - तियानजिन बोहुआ 0-1%, जुनझेंग समूह 0-1%, चिपिंग शिनफा समूह 1-5%, क्लोर-अल्कली समूह 0-1%, यिबिन हाइफेंग हेरुई 0-1%; अनुसंधान एवं विकास - चिंगदाओ हाईवान 0-1%, जुनझेंग समूह 0-1%, चिपिंग शिनफा समूह 0-1%, एर्डोस 0-1%, क्लोर-अल्कली समूह 0-1%, यिबिन हाइफेंग हेरुई 0-1%; विशेष उपकरण - चिंगदाओ हाईवान 0-1%, जुनझेंग समूह 0-1%, चिपिंग शिनफा समूह 0-1%, क्लोर-अल्कली समूह 0-1%; पश्चिमी क्षेत्र - एर्डोस 0-1%। उत्तरदाताओं द्वारा सूचित वैट वापसी / अतिरिक्त वैट क्रेडिट: चिपिंग शिनफा समूह 0-1%; वानहुआ समूह 0-1%; यिबिन हाइफेंग हेरुई 1-5%। निवासी उद्यमों के बीच लाभांश छूट दोहरे कराधान से बचाती है तथा इसका प्रतिसंतुलन नहीं किया गया है।

53. घरेलू उद्योग के मूल-कंपनी स्तर के आंकड़े यथावत नहीं अपनाए गए हैं: वे उत्तरदाताओं के अपने आंकड़ों के बजाय मूल कंपनियों के समेकित राजस्व, कर और अनुदानों पर आधारित हैं। घरेलू उद्योग द्वारा दावा किया गया "अतिरिक्त वैट क्रेडिट" जांच शुरू किए गए कार्यक्रमों के अंतर्गत आता है अथवा नहीं, इसकी अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी।

(iii) कार्यक्रम (xxxii) से (xxxvii): अधिमानी ऋण और उधार

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

54. आवेदकों ने रासायनिक उद्योग को राज्य-स्वामित्व वाले बैंकों द्वारा नीतिगत ऋण, राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों को अधिमानी ऋण तथा ब्याज भत्तों का आरोप लगाया, तथा कोई थाई ब्याज दर उपलब्ध न होने के कारण डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की अल्पकालिक उधार दर (***%) को बेंचमार्क के रूप में प्रस्तावित किया।

ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

55. जीओसी ने अनुरोध किया कि वाणिज्यिक बैंक सार्वजनिक निकाय नहीं हैं तथा एलपीआर बाजार-निर्धारित है। अनेक उत्तरदाताओं ने कहा कि उनके ऋण पीबीओसी बेंचमार्क/एलपीआर पर अथवा उससे अधिक पर हैं; उत्तरदाताओं की अपनी गणनाओं में भिन्न बेंचमार्कों का उपयोग किया गया (उदाहरणार्थ समूह द्वारा भुगतान की गई उच्चतम दर, अथवा एलपीआर)।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

56. उत्तर देने वाले उत्पादकों को उधार मुख्यतः राज्य-स्वामित्व वाले वाणिज्यिक बैंकों, नीतिगत बैंकों तथा समूह वित्त कंपनियों द्वारा दिया गया है; अनेक समूहों (जुनझेंग, वानहुआ फुजियान, यिहुआ, एर्डोस, तियानजिन बोहुआ) ने एलपीआर से कम घोषित मार्जिन पर उधार लिया, तथा वानहुआ फुजियान को प्रांतीय ब्याज सब्सिडी (कार्यक्रम xxxv) प्राप्त हुई। ***% के बेंचमार्क पर दरें (कंपनी का कुल कारोबार; चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ उनकी अपनी गणना, अर्थात (बेंचमार्क - दर) x ऋण राशि, और उनके अपने भाजक पर) हैं: चिंगदाओ हाईवान 5-10%; तियानजिन बोहुआ 5-10%; जुनझेंग समूह 1-5% तथा बिल भुनाई 0-1%; चिपिंग शिनफा समूह 0-1%; वानहुआ समूह 1-5%; एर्डोस 0-1% (एक संबंधित कंपनी द्वारा आगे उधार दिए गए ऋण) तथा बिल भुनाई 0-1%; क्लोर-अल्कली समूह 1-5% (एक समूह वित्त कंपनी से ऋणों सहित); यिहुआ 1-5%; यिबिन हाइफेंग हेरुई 1-5%; तियानचेन समूह 1-5%।

(iv) कार्यक्रम (xxxviii) से (liv): अनुदान

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

57. आवेदकों ने अनुदानों का आरोप लगाया, जिनमें प्रसिद्ध-ब्रांड पुरस्कार, अनुसंधान एवं विकास सहायता, निर्यात सहायता, अंतरराष्ट्रीय बाजार निधियां, प्रमुख उद्योगों हेतु विशेष निधियां, ट्रेजरी-बॉन्ड अनुदान तथा प्रांतीय/नगरपालिका अनुदान शामिल हैं। अपने अतिरिक्त अनुरोधों में, आवेदकों ने

तियानजिन बोहुआ की मूल कंपनी तियानजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप के अनुदानों को आस्थगित अनुदानों को शामिल करने के लिए संशोधित किया।

ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

58. जीओसी ने कंपनियों के उत्तरों का संदर्भ दिया। उत्तर देने वाले उत्पादकों ने प्राप्त अनुदानों की सूचियां प्रस्तुत कीं, जिनमें उच्च-गुणवत्ता विनिर्माण विकास हेतु विशेष निधियां, उपकरण नवीकरण हेतु अति-दीर्घकालिक विशेष ट्रेजरी बॉन्ड निधियां, ऊर्जा-बचत और प्रौद्योगिकी-नवीकरण निधियां, रोजगार स्थिरीकरण सब्सिडी तथा निर्यात सहायता अनुदान शामिल हैं।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

59. अनुदान निधियों के प्रत्यक्ष अंतरण हैं तथा प्राप्त राशि के बराबर लाभ प्रदान करते हैं; 10 वर्ष के एयूएल के भीतर प्राप्त परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदान एयूएल पर आवंटित किए गए हैं (खंड छ.3, मद a)। जीओसी से पात्रता मानदंड के अभाव में, उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अनुदानों को अनंतिम रूप से विनिर्दिष्ट माना गया है। दरें (कंपनी के कुल कारोबार पर; चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ उनके अपने भाजक पर) हैं: चिंगदाओ हाईवान 0-1% (एयूएल के भीतर आरएमबी *** मिलियन के परिसंपत्ति अनुदानों सहित); तियानजिन बोहुआ 0-1%; जुनझेंग समूह 0-1%; चिपिंग शिनफा समूह 0-1%; वानहुआ समूह 0-1%; एर्डोस 0-1%; क्लोर-अल्कली समूह 0-1%; तियानचेन समूह 0-1%; यिहुआ 0-1%; तथा यिबिन हाइफेंग हेरुई 0-1%। क्लोर-अल्कली समूह के लिए, आस्थगित आय के रूप में दर्ज शंघाई क्लोर-अल्कली के परिसंपत्ति अनुदान (आरएमबी *** मिलियन) तथा उसकी अनुदान सूची में शामिल न किए गए पीओआई आय अनुदान (आरएमबी *** मिलियन) उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उसके लेखापरीक्षित लेखों से लिए गए हैं। तियानजिन बोहुआ द्वारा प्राप्त साइनोश्योर प्रीमियम वापसी निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक है तथा 0-1% (उसके अपने भाजक पर) की दर देती है। एर्डोस की अनुदान सूची औसत उपयोगी जीवनकाल की अवधि के एक भाग के दौरान कोई अनुदान प्राप्त न होना दर्शाती है; अंतिम चरण में इस सूची का उसके लेखापरीक्षित लेखों से मिलान किया जाएगा। तियानजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्री ग्रुप के लिए आवेदकों के संशोधित आंकड़े मूल कंपनी के समेकित लेखों पर आधारित हैं तथा, कर कार्यक्रमों के मामले के समान, यथावत नहीं अपनाए गए हैं; मूल कंपनी द्वारा प्राप्त कोई अनुदान तियानजिन बोहुआ को आरोप्य है अथवा नहीं, इसकी अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी।

(v) कार्यक्रम (lv) से (lix): निर्यात वित्तपोषण और निर्यात ऋण

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

60. आवेदकों ने चीन के निर्यात-आयात बैंक से निर्यात विक्रेता और क्रेता ऋण, निर्यात ऋण बीमा सब्सिडी (साइनोश्योर) तथा ऋण गारंटियों का आरोप लगाया।

ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

61. जीओसी ने उत्तरदाताओं द्वारा इन कार्यक्रमों के उपयोग से इनकार किया। जुनझेंग समूह ने 1-वर्षीय एलपीआर से कम मार्जिन पर एक्ज़िम बैंक निर्यात विक्रेता ऋण की सूचना दी; वानहुआ फुजियान तथा यिहुआ ने साइनोश्योर से खरीदे गए निर्यात ऋण बीमा की सूचना दी; तियानजिन बोहुआ को साइनोश्योर प्रीमियम वापसी प्राप्त हुई।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

62. निर्यात विक्रेता ऋण तथा प्रीमियम वापसी निर्यात निष्पादन पर आकस्मिक हैं तथा विनिर्दिष्ट हैं। ***% के बेंचमार्क पर जुनझेंग समूह के निर्यात विक्रेता ऋण पर लाभ निर्यात कारोबार का 1-5% है; तियानजिन बोहुआ को प्रीमियम वापसी को निर्यात-आकस्मिक अनुदान माना गया है (ऊपर)। साइनोश्योर प्रीमियमों की पर्याप्तता के लिए साइनोश्योर की दीर्घकालिक परिचालन लागतों और हानियों की सूचना अपेक्षित है, जो जीओसी ने प्रस्तुत नहीं की है; इस चरण पर इसका परिमाणन नहीं किया गया है।

(vi) कार्यक्रम (lx) से (lxv): इक्विटी निवेश तथा संबंधित कार्यक्रम

क. घरेलू उद्योग द्वारा किया गया अनुरोध

63. आवेदकों ने ऋण-के-बदले-इक्विटी विनिमय, इक्विटी निवेश, अदत्त लाभांश, ऋण माफी, विलेख-कर छूट तथा लाभांश छूट का आरोप लगाया।

ख. चीन जन. गण. की सरकार / अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया अनुरोध

64. जीओसी ने अनुरोध किया कि जिस विलेख-कर सूचना पर निर्भरता व्यक्त की गई है वह 2017 में समाप्त हो गई। इनर मंगोलिया यिहुआ ने एयूएल के दौरान अपनी मूल कंपनी द्वारा पूंजी अंशदान की सूचना दी; मूल कंपनी का एक राज्य-नियंत्रित शेयरधारक है।

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

65. विलेख-कर छूट को अनंतिम रूप से पीओआई के दौरान उपयोग न किया गया माना गया है। यिहुआ को पूंजी अंशदान निजी निवेशकों की सामान्य निवेश प्रथा के असंगत था अथवा नहीं, इसके लिए इक्विटी-योग्यता मूल्यांकन अपेक्षित है; इस चरण पर इसका परिमाणन नहीं किया गया है। लाभांश छूट (lxv) - ऊपर कर कार्यक्रम देखें।

(vii) पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर एथिलीन

ग. प्राधिकारी द्वारा जांच

66. एथिलीन मार्ग वाले उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत खरीद आंकड़े दर्शाते हैं कि उस मार्ग की प्रमुख कच्ची सामग्री एथिलीन घरेलू आपूर्तिकर्ताओं, जो राज्य-स्वामित्व वाले अथवा राज्य-निवेशित उद्यम हैं (साइनोपेक समूह की कंपनियां, तियानजिन दागू इंटरनेशनल तथा वानहुआ समूह की मूल कंपनी), तथा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं, दोनों से खरीदी गई। कुछ घरेलू आपूर्तिकर्ताओं के मामले में भुगतान की गई कीमतें उन कीमतों से कम थीं जिन पर उन्हीं उत्पादकों ने पीओआई के दौरान एथिलीन का आयात किया।

67. इस प्रथा का आवेदन में विशेष रूप से उल्लेख नहीं किया गया था; यह जांच के दौरान उत्तर देने वाले उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत सूचना से प्रकाश में आई। जीओसी ने घरेलू एथिलीन आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व, कीमत निर्धारण तथा भूमिका की सूचना प्रस्तुत नहीं की है (खंड छ.4)। प्राधिकारी जीओसी को इस प्रथा तथा इसकी अनंतिम जांच की सूचना दे रहे हैं, तथा जीओसी को परामर्श का और सभी हितबद्ध पक्षकारों को टिप्पणी करने का अवसर प्रदान कर रहे हैं। प्राप्त टिप्पणियों के आलोक में अंतिम चरण में इस विषय की आगे जांच की जाएगी।

68. उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी खंड छ.4 में दिए गए कारणों से अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि संबंधित घरेलू आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक निकाय हैं अथवा जीओसी के निर्देश पर कार्य करते हैं, तथा यह प्रावधान एथिलीन का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए विनिर्दिष्ट है। बेंचमार्क के रूप में, प्राधिकारी पीओआई में प्रत्येक उत्पादक की अपनी एथिलीन की भारित औसत आयात कीमत को अपनाते हैं, जो उसी आदान के लिए उसी उत्पादक द्वारा भुगतान की गई वास्तविक कीमत है (सीएफआर, वैट को छोड़कर)। प्रत्येक घरेलू आपूर्तिकर्ता के लिए, लाभ उस बेंचमार्क और भुगतान की गई भारित कीमत के अंतर को मात्रा से गुणा करके, जहां धनात्मक हो, निकाला गया है। यही नियम रिकॉर्ड पर एथिलीन खरीद वाले प्रत्येक उत्पादक समूह पर लागू किया गया है; तियानजिन बोहुआ ने स्वयं अपनी गणना में अपने आयात औसत को बेंचमार्क के रूप में प्रयुक्त किया। चिंगदाओ हाईवान ने अपनी एथिलीन खरीद की सूचना नहीं दी है; इस चरण पर उसके लिए कोई लाभ निर्धारित नहीं किया गया है, तथा उससे यह सूचना प्रस्तुत करने की अपेक्षा है। परिणाम निम्नानुसार हैं:

समूह	घरेलू आपूर्तिकर्ता (यथा सूचित)	टन (पीओआई)	भुगतान की गई कीमत (आरएमबी/टन)	उत्पादक की आयात कीमत (आरएमबी/टन)	लाभ (आरएमबी मिलियन)
क्लोर-अल्कली समूह (शंघाई क्लोर-अल्कली)	शंघाई सेक्को पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड	***	***	***	***
क्लोर-अल्कली समूह (शंघाई क्लोर-अल्कली)	चाइना जिनशान एसोसिएटेड ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन	***	***	***	शून्य
क्लोर-अल्कली समूह (ग्वांगशी हुआयी क्लोर-अल्कली)	साइनोपेक केमिकल सेल्स कं., लि. ईस्ट चाइना ब्रांच	***	***	***	***
तियानजिन बोहुआ	साइनोपेक आईएनईओएस (तियानजिन) पेट्रोकेमिकल कं., लि.	***	***	***	***
तियानजिन बोहुआ	तियानजिन दागू इंटरनेशनल कं., लि.	***	***	***	शून्य
तियानजिन बोहुआ	तियानजिन बोहाई केमिकल इंडस्ट्रीज इम्प. एंड एक्सप. कॉर्प.	***	***	***	शून्य
वानहुआ समूह (वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स)	वानहुआ केमिकल ग्रुप कं., लि.	***	***	***	***
वानहुआ समूह (वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स)	वानहुआ केमिकल (यानताई) पेट्रोकेमिकल कं., लि.	***	***	***	शून्य
वानहुआ समूह (वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स)	साइनोपेक केमिकल सेल्स कं., लि. ईस्ट चाइना ब्रांच	***	***	***	शून्य
वानहुआ समूह (वानहुआ केमिकल (फुजियान))	वानहुआ केमिकल (फुजियान) गैस कं., लि.	***	***	***	शून्य

69. परिणामी दरें हैं: क्लोर-अल्कली समूह 0-1%, तियानजिन बोहुआ 0-1% (उसके अपने भाजक पर) तथा वानहुआ समूह 0-1%।

छ.6. सहयोगी उत्पादक समूहों के सब्सिडी मार्जिन

70. उपर्युक्त आधार पर, तथा प्रस्तुत सूचना के आधार पर, अंतिम चरण पर सत्यापन के अधीन, सहयोगी उत्पादक समूहों के सब्सिडी मार्जिन (% यथामूल्य) निम्नानुसार हैं:

चिंगदाओ हाईवान केमिकल कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	5-10
(iv)	एलटीएआर पर स्टीम कोयला	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (स्टीम कोयला) का प्रावधान	0-1
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	5-10
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
(xxvi)	विशेष-उपकरण कर क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - विशेष उपकरण की खरीद हेतु क्रेडिट	0-1
कुल			**10-20**

तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	1-5
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	5-10
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(xxii)	एचएनटीई 15% दर	परित्यक्त राजस्व - 25% के स्थान पर 15% की दर से आयकर	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	-
(xxxviii)-(liv)	निर्यात-आकस्मिक अनुदान (साइनोश्योर प्रीमियम वापसी)	निधियों का निर्यात-आकस्मिक प्रत्यक्ष अंतरण	0-1
छ.5(vii)	एलटीएआर पर एथिलीन	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (एथिलीन) का प्रावधान	0-1
कुल			**10-20**

जुनझेंग समूह: इनर मंगोलिया जुनझेंग केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.; ऑर्डोस जुनझेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	10-20
(iv)	एलटीएआर पर स्टीम कोयला	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (स्टीम कोयला) का प्रावधान	0-1
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxii)-(xxxvii)	बिल भुनाई	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर बिलों की भुनाई	0-1
(lv)-(lix)	निर्यात विक्रेता ऋण	चीन के निर्यात-आयात बैंक से निर्यात-आकस्मिक ऋण (निर्यात कारोबार पर)	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(xxii)	एचएनटीई 15% दर	परित्यक्त राजस्व - 25% के स्थान पर 15% की दर से आयकर	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
(xxvi)	विशेष-उपकरण कर क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - विशेष उपकरण की खरीद हेतु क्रेडिट	0-1
कुल			**10-20**

चिर्पिंग शिनफा समूह: चिर्पिंग शिनफा हुआशिंग केमिकल कं., लि.; चिर्पिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	10-20
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	0-1
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1

(ix)-(xxxi)	वैट वापसी / अतिरिक्त वैट क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - जमा अथवा वापस किया गया वैट	0-1
(xxii)	एचएनटीई 15% दर	परित्यक्त राजस्व - 25% के स्थान पर 15% की दर से आयकर	1-5
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
(xxvi)	विशेष-उपकरण कर क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - विशेष उपकरण की खरीद हेतु क्रेडिट	0-1
कुल			**10-20**

वानहुआ समूह: वानहुआ केमिकल (फुजियान) कं., लि.; वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	20-30
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(ix)-(xxxi)	वैट वापसी / अतिरिक्त वैट क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - जमा अथवा वापस किया गया वैट	0-1
छ.5(vii)	एलटीएआर पर एथिलीन	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (एथिलीन) का प्रावधान	0-1
कुल			**30-40**

इनर मंगोलिया एर्डोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कं., लि. (क्लोर-अल्कली केमिकल ब्रांच कंपनी)

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	50-60
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	0-1

(xxxii)-(xxxvii)	बिल भुनाई	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर बिलों की भुनाई	0-1
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
(xxiii)	पश्चिमी क्षेत्र 15% दर	परित्यक्त राजस्व - पश्चिमी क्षेत्र में 15% की दर से आयकर	0-1
कुल			**50-60**

क्लोर-अल्कली समूह: ग्वांगशी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	10-20
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(xxii)	एचएनटीई 15% दर	परित्यक्त राजस्व - 25% के स्थान पर 15% की दर से आयकर	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
(xxvi)	विशेष-उपकरण कर क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - विशेष उपकरण की खरीद हेतु क्रेडिट	0-1
छ.5(vii)	एलटीएआर पर एथिलीन	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (एथिलीन) का प्रावधान	0-1
कुल			**10-20**

तियानचेन समूह: तियानचेन केमिकल कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	70-80

(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
कुल			**70-80**

इनर मंगोलिया यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	50-60
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
कुल			**50-60**

यिबिन तियानयुआन समूह: यिबिन हाइफेंग हेरुई कं., लि.

कार्यक्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	संक्षिप्त विवरण	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)
(v)	एलटीएआर पर बिजली	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (बिजली) का प्रावधान	20-30
(iv)	एलटीएआर पर स्टीम कोयला	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर वस्तुओं (स्टीम कोयला) का प्रावधान	1-5
(ii), (iii), (vi)	एलटीएआर पर भूमि उपयोग अधिकार	पर्याप्त पारिश्रमिक से कम पर भूमि उपयोग अधिकारों का प्रावधान	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	अधिमानी उधार	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - बेंचमार्क दर से कम पर राज्य-स्वामित्व वाले ऋणदाताओं से ऋण	1-5
(xxxviii)-(liv)	अनुदान	निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण - पीओआई में व्यय किए गए अनुदान तथा एयूएल पर परिसंपत्ति अनुदान	0-1
(ix)-(xxxi)	वैट वापसी / अतिरिक्त वैट क्रेडिट	परित्यक्त राजस्व - जमा अथवा वापस किया गया वैट	1-5
(xxii)	एचएनटीई 15% दर	परित्यक्त राजस्व - 25% के स्थान पर 15% की दर से आयकर	0-1
(ix)	अनुसंधान एवं विकास अतिरिक्त कटौती	परित्यक्त राजस्व - अनुसंधान एवं विकास व्यय की अतिरिक्त कटौती	0-1
कुल			**30-40**

सब्सिडी मार्जिन का सारांश

उत्पादक समूह	मार्ग	बिजली	कोयला	भूमि	ऋण	बिल भुनाई	ईएससी*	अनुदान	वैट वापसी	एचए नटीई	R&D	विशेष उपकरण	पश्चिमी क्षेत्र	निर्यात अनुदान*	एथिलीन	सब्सिडी मार्जिन (%)
चिंगदाओ हाईवान	एथिलीन	5-10	0-1	0-1	5-10	-	-	0-1	-	-	0-1	0-1	-	-	-	10-20
तियानजिन बोहुआ	एथिलीन	1-5	-	0-1	5-10	-	-	0-1	-	0-1	-	-	-	0-1	0-1	10-20
जुनझेंग समूह	कार्बाइड	10-20	0-1	0-1	1-5	0-1	1-5	0-1	-	0-1	0-1	0-1	-	-	-	10-20
चिपिंग शिनफा समूह	कार्बाइड	10-20	-	0-1	0-1	-	-	0-1	0-1	1-5	0-1	0-1	-	-	-	10-20
वानहुआ समूह	एथिलीन	20-30	-	0-1	1-5	-	-	0-1	0-1	-	-	-	-	-	0-1	30-40
एर्डोस	कार्बाइड	50-60	-	0-1	0-1	0-1	-	0-1	-	-	0-1	-	0-1	-	-	50-60
क्लोर-अल्कली समूह	एथिलीन	10-20	-	0-1	1-5	-	-	0-1	-	0-1	0-1	0-1	-	-	0-1	10-20
तियानचेन समूह	कार्बाइड	70-80	-	-	1-5	-	-	0-1	-	-	-	-	-	-	-	70-80
यिहुआ	कार्बाइड	50-60	-	0-1	1-5	-	-	0-1	-	-	-	-	-	-	-	50-60
यिबिन तियानयुआन समूह	कार्बाइड	20-30	1-5	0-1	1-5	-	-	0-1	1-5	0-1	0-1	-	-	-	-	30-40

* कुल निर्यात कारोबार पर (तियानजिन बोहुआ: उसके अपने भाजक पर)। एथिलीन: खंड छ.5(vii)। वानहुआ समूह तथा ग्वांगशी हुआयी / शंघाई क्लोर-अल्कली समूह की बिजली पीयूसी कारोबार पर है; चिंगदाओ हाईवान तथा तियानजिन बोहुआ के सभी कार्यक्रम उनके अपने भाजक पर हैं (खंड छ.3, मद i)); अन्य सभी कार्यक्रम कंपनी के कुल कारोबार पर हैं।

छ.7. उत्पादक, निर्यातक और व्यापारी

71. शुल्क केवल उत्पादक समूहों के लिए निर्धारित किया गया है; व्यापारियों के लिए कोई पृथक दर निर्धारित नहीं की गई है। उत्पादक समूह की दर उसकी वस्तुओं पर लागू होती है, चाहे उनका निर्यात प्रत्यक्ष रूप से किया गया हो अथवा चीन या किसी तीसरे देश के किसी व्यापारी के माध्यम से; व्यापारी की पुनर्विक्रय कीमतों का उपयोग केवल उत्पादक की वस्तुओं के सीआईएफ को मापने हेतु किया गया है। असहयोगी अथवा असूचीबद्ध उत्पादकों की वस्तुओं पर, किसी भी निर्यातक के माध्यम से, अवशिष्ट शुल्क लागू होगा।

छ.8. असहयोगी उत्पादक तथा अस्वीकृत उत्तर (अवशिष्ट)

72. असहयोगी उत्पादकों (झेजियांग जियाहुआ एनर्जी केमिकल इंडस्ट्री कं., लि. सहित), जिन उत्पादक समूहों के उत्तर अस्वीकार किए गए हैं तथा अन्य सभी उत्पादकों के लिए, सब्सिडी मार्जिन उपलब्ध तथ्यों के आधार पर सहयोगी समूहों (अस्वीकृत समूहों को छोड़कर) में प्रत्येक कार्यक्रम के लिए पाई गई उच्चतम दर

के योग के रूप में निर्धारित किया गया है: बिजली 70-80% (तियानचेन), कोयला 1-5% (हाइफेंग), भूमि 0-1% (यिहुआ), ऋण 5-10% (बोहुआ), बिल भुनाई 0-1% (एर्डोस), निर्यात विक्रेता ऋण 1-5% (जुनझेंग), अनुदान 0-1% (बोहुआ), वैट वापसी 1-5% (हाइफेंग), एचएनटीई 1-5% (चिपिंग), अनुसंधान एवं विकास 0-1% (हाइफेंग), विशेष उपकरण 0-1% (क्लोर-अल्कली समूह), पश्चिमी क्षेत्र 0-1% (एर्डोस), निर्यात अनुदान 0-1% (बोहुआ), एथिलीन 0-1% (क्लोर-अल्कली समूह) - कुल 90-100%।

कार्यक्रम	**उच्चतम सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)**	**उत्पादक समूह**
बिजली	70-80	तियानचेन
कोयला	1-5	हाइफेंग
भूमि	0-1	यिहुआ
ऋण	5-10	बोहुआ
बिल भुनाई	0-1	एर्डोस
निर्यात विक्रेता ऋण	1-5	जुनझेंग
अनुदान	0-1	बोहुआ
वैट वापसी	1-5	हाइफेंग
एचएनटीई	1-5	चिपिंग
R&D	0-1	हाइफेंग
विशेष उपकरण	0-1	क्लोर-अल्कली समूह
पश्चिमी क्षेत्र	0-1	एर्डोस
निर्यात अनुदान	0-1	बोहुआ
एथिलीन	0-1	क्लोर-अल्कली समूह
अवशिष्ट सब्सिडी मार्जिन	**90-100**	

ज. क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध

ज.1. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

73. घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया कि क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में 107% की वृद्धि हुई जबकि मांग में 25% की वृद्धि हुई; कि कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा 35% से बढ़कर 51% हो गया; कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती की (0-10%) तथा उन्हें न्यूनीकृत किया (बिक्री कीमत में लागत से अधिक गिरावट आई); कि मालसूची दोगुनी से अधिक हो गई; तथा कि पीओआई में घरेलू उद्योग को हानि, नकद हानि तथा नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिलाभ हुआ। उसने अनंतिम तथा पूर्वव्यापी शुल्कों का अनुरोध किया। उसने आगे अनुरोध किया कि संबद्ध आयातों की सीआईएफ कीमत उसकी परिवर्तनीय लागत से कम है; कि चूंकि वह आधार वर्ष में भी लागत से कम पर बिक्री कर रहा था, अतः कीमत ह्रास और न्यूनीकरण को 2021-22, जो अंतिम लाभप्रद वर्ष था, के संदर्भ में देखा जाना चाहिए; कि पीओआई में उसे ब्याज से पूर्व भी हानि हुई; तथा कि पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

ज. 2. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

74. संदीप ऑर्गेनिक्स ने अनुरोध किया कि यह दर्शाया जाना चाहिए कि क्षति सब्सिडी के प्रभावों के माध्यम से सब्सिडीकृत आयातों के कारण हुई है तथा अन्य कारकों (गैर-सब्सिडीकृत आयात, मांग, उपभोग का स्वरूप, प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी, निर्यात निष्पादन, उत्पादकता) से हुई क्षति का आरोपण उन पर नहीं किया जाना चाहिए। जीओसी ने अनुरोध किया कि अनुप्रवाह उद्योगों ने आपूर्ति और कीमतों के संबंध में चिंता व्यक्त की है।

75. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने आगे अनुरोध किया कि:

क) आवेदकों द्वारा आयात मात्राओं को बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाया गया है तथा वे टैरिफ मद 3904 10 20 के डीजीएफटी आंकड़ों से असंगत हैं;

ख) आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि तथा भारत में मांग-आपूर्ति अंतर का परिणाम है;

ग) घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में गिरावट उसकी बिक्री लागत में गिरावट के अनुरूप है, तथा कोई कीमत ह्रास अथवा न्यूनीकरण नहीं है;

घ) घरेलू उद्योग की क्षमता, उत्पादन और बिक्री स्थिर रहे हैं;

ङ) घरेलू उद्योग की लाभप्रदता में उतार-चढ़ाव रहा है; पाटनरोधी शुल्क के अभाव में भी 2024-25 में उसका पीबीआईटी और पीबीडीआईटी धनात्मक था, तथा यह दावा कि आयात उसकी परिवर्तनीय लागत से कम पर थे, ऐसे सुधार से असंगत है;

च) डीसीएम श्रीराम लिमिटेड तथा डीसीडब्ल्यू लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्टें 2024-25 में क्रमशः आईएनआर 909 करोड़ तथा आईएनआर 49.4 करोड़ का कर-पूर्व लाभ दर्शाती हैं, तथा डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के विनाइल व्यवसाय ने कम ऊर्जा और कार्बन सामग्री कीमतों के कारण पिछले वर्ष के आईएनआर 29 करोड़ की तुलना में आईएनआर 116 करोड़ का पीबीडीआईटी दर्ज किया;

छ) आवेदन में अन्य देशों से आयातों द्वारा हुई क्षति को पृथक नहीं किया गया है, जो महत्वपूर्ण हैं तथा संबद्ध आयातों के तुलनीय कीमतों पर हैं;

ज) इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड से आयातों पर रियायती सीमा शुल्क लगता है, तथा केवल चीन जन. गण. पर शुल्क लगाने से उन देशों से आयातों में वृद्धि होगी; तथा

झ) पीओआई के पश्चात भारतीय रुपये का लगभग 10% अवमूल्यन हुआ है, प्रति अमरीकी डॉलर लगभग आईएनआर 87 से लगभग आईएनआर 95.70, जिससे घरेलू उद्योग को पहले ही संरक्षण प्राप्त हो गया है।

ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

76. प्राधिकारी ने सब्सिडीकृत आयातों की मात्रा, समान वस्तु के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव, तथा घरेलू उद्योग पर परिणामी प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, नियमावली के अनुसार घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच की है।

77. हितबद्ध पक्षकारों के जिन अनुरोधों का नीचे विशेष रूप से उत्तर नहीं दिया गया है, उनका उत्तर इन जांच परिणामों के संगत भागों में दिया गया है।

78. इस अनुरोध के संबंध में कि पीओआई के पश्चात भारतीय रुपये के अवमूल्यन से घरेलू उद्योग को पहले ही संरक्षण प्राप्त हो गया है, क्षति और कारणात्मक संबंध का निर्धारण पीओआई के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित है। किसी भी स्थिति में, पीओआई के पश्चात विनिमय दर में परिवर्तन सभी स्रोतों से आयातों तथा घरेलू उद्योग के आयातित आदानों की लागत, दोनों को प्रभावित करता है, तथा सब्सिडीकृत आयातों के प्रभाव को समाप्त नहीं करता।

I. सब्सिडीकृत आयातों का मात्रात्मक प्रभाव तथा घरेलू उद्योग पर प्रभाव

(i) मांग का आकलन

79. भारत में उत्पाद की मांग अथवा प्रत्यक्ष खपत को भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री तथा सभी स्रोतों से आयातों के योग के रूप में परिभाषित किया गया है। आयातों की मात्रा और मूल्य का निर्धारण डीजीसीआईएंडएस के सौदा-वार आयात आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
घरेलू उद्योग की बिक्री	सूचकांकित	100	100	94	98
अन्य घरेलू उत्पादकों की बिक्री	सूचकांकित	100	93	95	99
संबद्ध देश से आयात	मी.ट.	7,95,569	9,40,504	14,21,132	15,23,004
अन्य देशों से आयात	मी.ट.	13,95,924	17,14,915	15,34,654	14,36,060
मांग (कैप्टिव को छोड़कर)	मी.ट.	34,56,822	38,67,869	41,52,485	42,08,259
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	112	120	122

80. क्षति अवधि के दौरान मांग में निरंतर वृद्धि हुई, संपूर्ण अवधि में 22% की वृद्धि।

(ii) आयात

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
संबद्ध आयात - चीन जन. गण.	मी.ट.	7,95,569	9,40,504	14,21,132	15,23,004
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	118	179	191
आयात - अन्य देश	मी.ट.	13,95,924	17,14,915	15,34,654	14,36,060
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	123	110	103
कुल आयात	मी.ट.	21,91,493	26,55,419	29,55,786	29,59,064
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	121	135	135
कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा	%	36	35	48	51
मांग की तुलना में संबद्ध आयात	%	23	24	34	36
घरेलू उद्योग के भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयात	सूचकांकित	100	120	180	195
भारतीय उत्पादन की तुलना में संबद्ध आयात	सूचकांकित	100	124	183	196

81. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में निरपेक्ष रूप से 91% की वृद्धि हुई तथा मांग और घरेलू उद्योग के उत्पादन की तुलना में भी वृद्धि हुई। पीओआई में संबद्ध आयातों में से, सहयोगी उत्पादक समूहों के निर्यात की मात्राएं खंड ज.II(ii) में दर्शाई गई हैं; घरेलू उद्योग के द्वितीयक आंकड़े व्यापारियों के माध्यम से लगभग *** मी.ट. का निर्यात दर्शाते हैं। जहां संबद्ध देश से आयातों में निरंतर वृद्धि हुई, वहीं 2023-24 के पश्चात

अन्य देशों से आयातों में गिरावट आई। कुल आयातों में संबद्ध आयातों का हिस्सा आधार वर्ष के 36% से बढ़कर पीओआई में 51% हो गया।

82. इस तर्क के संबंध में कि डीजीएफटी आंकड़ों की तुलना में आयात आंकड़े बढ़ा-चढ़ाकर दर्शाए गए हैं, विचाराधीन उत्पाद का आयात शीर्ष 3904 के अनेक उप-शीर्षों के अंतर्गत किया जाता है, न कि केवल 3904 10 20 के अंतर्गत। अतः 8-अंकीय स्तर पर डीजीएफटी आंकड़े विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों के प्रतिनिधि नहीं हैं।

83. इस तर्क के संबंध में कि आयातों में वृद्धि मांग-आपूर्ति अंतर के कारण है, क्षति अवधि के दौरान मांग में लगभग 22% की वृद्धि हुई, जबकि संबद्ध आयातों में लगभग 91% की वृद्धि हुई, जो मांग में वृद्धि से कहीं अधिक है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा 23% से बढ़कर 36% हो गया; जहां क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में निरंतर वृद्धि हुई, वहीं 2023-24 के पश्चात तीसरे देशों से आयातों में उल्लेखनीय गिरावट आई। सब्सिडीकृत आयातों का प्रतिकूल प्रभाव घरेलू उद्योग के कीमत मापदंडों में भी दिखाई देता है।

(iii) बाजार हिस्सा

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
मांग में घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा	सूचकांकित	100	89	78	81
अन्य भारतीय उत्पादकों का बाजार हिस्सा	सूचकांकित	100	84	79	81
संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा	%	23.0	24.3	34.2	36.2
अन्य आयातों का बाजार हिस्सा	%	40.4	44.3	37.0	34.1

84. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग तथा समग्र भारतीय उद्योग के हिस्से में गिरावट आई, जैसी कि 2023-24 के पश्चात अन्य देशों से आयातों के हिस्से में भी आई। मांग में संबद्ध आयातों का हिस्सा आधार वर्ष के 23% से उल्लेखनीय रूप से बढ़कर पीओआई में 36% हो गया; संबद्ध आयातों ने भारतीय उद्योग तथा अन्य देशों से आयातों, दोनों के बाजार हिस्से पर कब्जा कर लिया है।

II. सब्सिडीकृत आयातों का कीमत प्रभाव

(i) कीमत कटौती

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत	आईएनआर/ मी.ट.	99,225	73,064	70,770	65,592
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	74	71	66
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (सूचकांकित)	सूचकांक	100	80	81	75
कीमत कटौती	%	-	-	-	0-10%

85. कीमत कटौती के प्रयोजनार्थ, पीओआई में घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य से की गई है:

विवरण	इकाई	पीओआई
बिक्री कीमत	आईएनआर/मी.ट.	***
पहुंच कीमत	आईएनआर/मी.ट.	65,592
कीमत कटौती	आईएनआर/मी.ट.	***
कीमत कटौती	%	***
कीमत कटौती	सीमा	0-10%

86. संबद्ध आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, तथा कटौती धनात्मक और महत्वपूर्ण है। यद्यपि पीओआई में घरेलू उद्योग हानि पर बिक्री कर रहा है, तथापि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत उसकी बिक्री कीमत से कम है।

87. क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में लगभग 34% की गिरावट आई। पीओआई के दौरान कीमत कटौती धनात्मक थी (0-10% की सीमा में)। घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में उसकी बिक्री लागत में 22% की गिरावट के मुकाबले 25% की गिरावट आई, जो कीमत न्यूनीकरण दर्शाती है। प्रत्येक सहयोगी उत्पादक समूह के पहुंच मूल्य (यूएसडी ***/मी.ट.) यूएसडी ***/मी.ट. की एनआईपी से कम हैं।

(ii) कीमत न्यूनविक्रय / क्षति मार्जिन

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
कीमत न्यूनविक्रय (एनआईपी - पहुंच मूल्य)	यूएसडी/मी.ट.	-	-	-	*** (खंड ज.II(ii))

88. घरेलू उद्योग की क्षतिरहित कीमत (एनआईपी) अनंतिम रूप से आईएनआर ***/मी.ट. (आईएनआर 86.76/यूएसडी पर यूएसडी ***/मी.ट.) ली गई है, जो घरेलू उद्योग की लागतों के सत्यापन के अधीन है। पहुंच मूल्य भारत को सीआईएफ x 1.0825 है (मूल सीमा शुल्क 7.5% तथा मूल सीमा शुल्क के 10% की दर से समाज कल्याण अधिभार)। जहां किसी उत्पादक ने एफओबी बिक्री की सूचना दी, वहां यूएसडी ***/मी.ट. (इनर मंगोलिया यिहुआ के सीआईएफ प्रेषणों पर वास्तविक भाड़ा और बीमा) जोड़ा गया है; तियानचेन के लिए, सीआईएफ चोंगकिंग चुआनडोंग केमिकल (ग्रुप) कं., लि. के उन निर्यात बीजकों का भारित सीआईएफ है जिन्हें उसने शिनजियांग तियानये फॉरेन ट्रेड कं., लि. से अपनी खरीद से संबद्ध किया है, जो आपूर्ति की गई मात्रा के अनुरूप है (यूएसडी ***/मी.ट.)। उत्पादक समूहों की निर्यात कीमतें (सीआईएफ) प्रस्तुत सूचना के आधार पर ली गई हैं, जो अंतिम चरण पर सत्यापन के अधीन हैं।

उत्पादक समूह	भारत को मात्रा (मी.ट.)	सीआईएफ (यूएसडी/मी.ट.)	पहुंच मूल्य (यूएसडी/ मी.ट.)	एनआईपी (यूएसडी/मी.ट.)	क्षति मार्जिन (यूएसडी/मी.ट.)	क्षति मार्जिन (पहुंच मूल्य का %, सीमा)	सब्सिडी मार्जिन (% सीमा)	सब्सिडी मार्जिन (यूएसडी/ मी.ट.)	दोनों में से कमतर
चिंगदाओ हाईवान	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	सब्सिडी मार्जिन
तियानजिन बोहुआ	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	क्षति मार्जिन
जुनझेंग समूह	***	***	***	***	***	20-30%	10-20%	***	सब्सिडी मार्जिन
चिपिंग शिनफा समूह	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	क्षति मार्जिन
वानहुआ समूह	***	***	***	***	***	10-20%	30-40%	***	क्षति मार्जिन
एर्डोस	***	***	***	***	***	10-20%	50-60%	***	क्षति मार्जिन
क्लोर-अल्कली समूह	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	सब्सिडी मार्जिन
तियानचेन समूह	***	***	***	***	***	10-20%	70-80%	***	क्षति मार्जिन
यिहुआ	***	***	***	***	***	10-20%	50-60%	***	क्षति मार्जिन
यिबिन तियानयुआन समूह	***	***	***	***	***	10-20%	30-40%	***	क्षति मार्जिन
अवशिष्ट	-	-	-	***	***	20-30%	90-100%	***	क्षति मार्जिन (उच्चतम सहयोगी)

(iii) कीमत ह्रास और न्यूनीकरण

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
बिक्री लागत	आईएनआर/मी.ट.	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की बिक्री लागत (सूचकांकित)	सूचकांक	100	83	82	78

बिक्री कीमत	आईएनआर/मी.ट.	***	***	***	***
घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत (सूचकांकित)	सूचकांक	100	80	81	75
पहुंच कीमत	आईएनआर/मी.ट.	99,225	73,064	70,770	65,592
पहुंच कीमत (सूचकांकित)	सूचकांक	100	74	71	66

89. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बिक्री लागत तथा बिक्री कीमत में गिरावट आई। तथापि, जहां बिक्री लागत में 22% की गिरावट आई, वहीं बिक्री कीमत में 25% की गिरावट आई, जो संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में 34% की गिरावट के अनुरूप है। घरेलू उद्योग संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान अपनी बिक्री लागत से कम पर बिक्री करता रहा है तथा अपनी कीमतों को अपनी लागत की सीमा तक बढ़ाने में असमर्थ रहा है। प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह मानते हैं कि संबद्ध आयातों ने घरेलू उद्योग की कीमतों को न्यूनीकृत किया है।

90. घरेलू उद्योग ने आगे अनुरोध किया है कि 2023-24 से संबद्ध आयातों की सीआईएफ कीमत उसकी परिवर्तनीय लागत से कम रही है:

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
सीआईएफ कीमत - चीन जन. गण.	आईएनआर/मी.ट.	91,757	67,226	65,503	60,390
परिवर्तनीय लागत	आईएनआर/मी.ट.	***	***	***	***
अंतर	आईएनआर/मी.ट.	***	***	***	***
अंतर	%	***	***	***	***

III. घरेलू उद्योग से संबंधित आर्थिक मापदंड

91. नियमावली के अनुबंध II में यह अपेक्षित है कि घरेलू उद्योग पर सब्सिडीकृत आयातों के प्रभाव की जांच में उद्योग की स्थिति से संबंधित सभी प्रासंगिक आर्थिक कारकों और सूचकांकों का वस्तुनिष्ठ और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल हो, जिनमें बिक्री, लाभ, उत्पादन, बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर प्रतिलाभ अथवा क्षमता उपयोग में वास्तविक और संभावित गिरावट; घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक; सब्सिडी मार्जिन की मात्रा; तथा नकदी प्रवाह, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि और पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर वास्तविक और संभावित नकारात्मक प्रभाव शामिल हैं। इन मापदंडों की जांच नीचे की गई है।

(i) उत्पादन, क्षमता, क्षमता उपयोग और बिक्री

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
संस्थापित क्षमता	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	102	102
उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***

प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	99	98
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	98	97
घरेलू बिक्री	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	100	94	98

92. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता में मामूली वृद्धि हुई, जबकि उसके उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्री में मामूली गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि उत्पादन प्रक्रिया की प्रकृति तथा वीसीएम की आपूर्ति और प्रेषण की दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के कारण उत्पादन को आसानी से रोका अथवा धीमा नहीं किया जा सकता, तथा उसने लाभप्रदता से समझौता करके मात्राएं बनाए रखी हैं। इस प्रकार घरेलू उद्योग को हुई क्षति मुख्यतः उसके कीमत और लाभप्रदता मापदंडों में प्रतिबिंबित होती है।

(ii) लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिलाभ और नकद लाभ

विवरण	**माप की इकाई**	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**	**पीओआई**
बिक्री लागत	सूचकांकित	100	83	82	78
बिक्री कीमत	सूचकांकित	100	80	81	75
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	आईएनआर/ मी.ट.	***	***	***	***
प्रति मी.ट. कर-पूर्व लाभ (सूचकांकित)	सूचकांक	-100	-468	-227	-560
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	आईएनआर लाख	***	***	***	***
नकद लाभ/(हानि)	आईएनआर लाख	***	***	***	***
नकद लाभ (सूचकांकित)	सूचकांक	100	-273	-5	-315
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	***	***	***	***
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ (सूचकांकित)	सूचकांक	100	-67	39	-162

93. यह देखा गया है कि:

क) घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान हानि हुई; प्रति इकाई हानि में लगभग 460% की वृद्धि हुई तथा यह पीओआई में उच्चतम थी;

ख) घरेलू उद्योग को क्षति अवधि के दौरान आईएनआर *** करोड़ से अधिक की संचयी हानि हुई, जो उसकी औसत नियोजित पूंजी के लगभग ***% के बराबर है;

ग) घरेलू उद्योग ने 2022-23 में नकद लाभ अर्जित किया परंतु 2023-24 से उसे नकद हानि हुई, तथा नकद हानि पीओआई में उच्चतम थी; तथा

घ) क्षति अवधि के दौरान नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ में गिरावट आई तथा यह पीओआई में ऋणात्मक था।

94. पीओआई में घरेलू उद्योग को ब्याज और कर से पूर्व लाभ के स्तर पर भी हानि हुई, तथा इस प्रकार वह अपनी ब्याज लागत को भी वहन करने में असमर्थ है।

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
पीबीआईटी	आईएनआर/मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	-55	28	-105

95. इस तर्क के संबंध में कि लाभप्रदता में उतार-चढ़ाव हुआ तथा 2024-25 में सुधार हुआ, घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान कर-पूर्व लाभ के स्तर पर हानि हुई। 2024-25 में पीबीआईटी स्तर पर सुधार कायम नहीं रहा, तथा घरेलू उद्योग को पीओआई में सर्वाधिक हानि हुई, यहां तक कि पीबीआईटी और पीबीडीआईटी स्तरों पर भी हानि हुई। समग्र प्रवृत्ति क्षति अवधि के दौरान उल्लेखनीय गिरावट दर्शाती है।

96. आवेदकों की कंपनी-स्तर की वार्षिक रिपोर्टों पर निर्भरता के संबंध में, क्षति विश्लेषण समान वस्तु के संबंध में घरेलू उद्योग के निष्पादन के संदर्भ में किया जाना अपेक्षित है। कंपनी-स्तर के लाभों में अन्य व्यवसायों के परिणाम शामिल हैं, तथा डीसीएम श्रीराम लिमिटेड के विनाइल खंड में समान वस्तु के अतिरिक्त अन्य उत्पाद शामिल हैं; इनका उपयोग उत्पाद-विशिष्ट आंकड़ों के आधार पर स्थापित क्षति को नकारने के लिए नहीं किया जा सकता।

(iii) रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
कर्मचारी (सूचकांकित)	सूचकांक	100	101	105	101
मजदूरी	आईएनआर लाख	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	107	135	140
प्रति दिन उत्पादन	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	99	98
प्रति कर्मचारी उत्पादन	मी.ट./संख्या	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	97	95	97

97. क्षति अवधि के दौरान कर्मचारियों की संख्या लगभग स्थिर रही जबकि मजदूरी में वृद्धि हुई; उत्पादन में गिरावट के साथ प्रति दिन उत्पादन में मामूली गिरावट आई। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि रोजगार और मजदूरी कंपनी के समग्र परिचालन तथा विधिक अपेक्षाओं पर निर्भर करते हैं। इन मापदंडों पर कोई क्षति नहीं पाई गई है।

(iv) मालसूची

विवरण	माप की इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
प्रारंभिक मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
अंतिम मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
औसत मालसूची	मी.ट.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचकांक	100	77	193	219

98. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की औसत मालसूची दोगुनी से अधिक हो गई, यद्यपि उसके उत्पादन में मामूली गिरावट आई, जो दर्शाता है कि घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत से कम कीमतों पर बिक्री करने के बावजूद घरेलू बाजार में अपना उत्पाद बेचने में असमर्थ रहा है।

(v) वृद्धि और पूंजी जुटाने की क्षमता

विवरण	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
क्षमता	%	-	2%	0%	0%
उत्पादन	%	-	-2%	1%	-1%
घरेलू बिक्री	%	-	-0.2%	-6%	4%
कर-पूर्व लाभ/(हानि)	%	-	-367%	54%	-158%
नकद लाभ	%	-	-373%	98%	-5814%
नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ	%	-	-167%	158%	-519%

99. घरेलू उद्योग का उत्पादन और क्षमता उपयोग मोटे तौर पर स्थिर रहा, जबकि उसके बाजार हिस्से में गिरावट आई तथा संबद्ध आयातों ने लगभग 14 प्रतिशत अंक प्राप्त किए। मालसूची दोगुनी से अधिक हो गई। घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान हानि हुई, तथा पीओआई में सर्वाधिक हानि, नकद हानि और नियोजित पूंजी पर ऋणात्मक प्रतिलाभ रहा।

100. मात्रा मापदंडों में घरेलू उद्योग की वृद्धि स्थिर रही, जबकि कीमत मापदंडों - लाभ, नकद लाभ और नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ - में वृद्धि 2023-24 में ऋणात्मक, 2024-25 में धनात्मक तथा पीओआई में पुनः उल्लेखनीय रूप से ऋणात्मक रही। चूंकि घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानि तथा पीओआई में नकद हानि हुई है, अतः पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

101. घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक: संबद्ध आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है, तथा उनकी पहुंच कीमत क्षतिरहित कीमत से कम है, जिसने घरेलू उद्योग को लागत से कम पर बिक्री करने के लिए बाध्य किया है, जिसके परिणामस्वरूप वित्तीय और नकद हानि हुई है। अन्य देशों से आयातों की कीमतें चीन जन. गण. से आयातों की कीमतों से अधिक थीं, तथा क्षति अवधि के दौरान यह अंतर बढ़ा। प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि संबद्ध आयातों की कीमत ने घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।

(vi) सब्सिडी मार्जिन की मात्रा

102. सहयोगी उत्पादक समूहों के सब्सिडी मार्जिन 10-20% से 70-80% की सीमा में हैं तथा अवशिष्ट मार्जिन 90-100% है, जो सभी न्यूनतम सीमा से अधिक हैं (खंड छ.6)। घरेलू उद्योग पर सब्सिडी मार्जिन की मात्रा के प्रभाव को नगण्य नहीं माना जा सकता।

(vii) क्षति के संबंध में निष्कर्ष

103. उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि:

क) संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों में निरपेक्ष रूप से तथा भारत में उत्पादन और खपत की तुलना में, मांग में वृद्धि से कहीं अधिक गति से, वृद्धि हुई है;

ख) संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रहे हैं, उस समय भी जब घरेलू उद्योग ने संबद्ध वस्तुओं की बिक्री हानि पर की है;

ग) घरेलू उद्योग को अपनी बिक्री कीमत में अपनी बिक्री लागत में गिरावट से अधिक कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जिससे संबद्ध आयातों ने उसकी कीमतों को न्यूनीकृत किया है;

घ) घरेलू उद्योग तथा समग्र भारतीय उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट आई है जबकि संबद्ध आयातों के हिस्से में वृद्धि हुई है;

ङ) घरेलू उद्योग की मालसूची दोगुनी से अधिक हो गई है, तथा उसने केवल लाभप्रदता से समझौता करके अपने मात्रा मापदंड बनाए रखे हैं;

च) घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान हानि हुई है, जो पीओआई में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी, साथ ही पीओआई में नकद हानि तथा पीबीआईटी स्तर पर हानि हुई; तथा

छ) घरेलू उद्योग की नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ऋणात्मक हो गया है, तथा पूंजी निवेश जुटाने की उसकी क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

IV. कारणात्मक संबंध और गैर-आरोपण

104. प्राधिकारी के लिए सब्सिडीकृत आयातों के अतिरिक्त किसी भी ऐसे ज्ञात कारक की जांच करना अपेक्षित है जो उसी समय घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहा हो, ताकि उन कारकों द्वारा हुई क्षति का आरोपण सब्सिडीकृत आयातों पर न किया जाए। इनमें सब्सिडीकृत कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, मांग में संकुचन अथवा उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन, विदेशी और घरेलू उत्पादकों की व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएं तथा उनके बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास, तथा घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन और उत्पादकता शामिल हैं।

क. अन्य देशों से आयात

105. पीओआई तक 2023-24 से गैर-संबद्ध आयातों में गिरावट आई तथा उनकी सीआईएफ कीमत (पीओआई में आईएनआर 67,218/मी.ट.) संबद्ध आयातों की कीमत (आईएनआर 60,593/मी.ट.) से अधिक थी। जापान, ताइवान, कोरिया, इंडोनेशिया, अमरीका और थाईलैंड से आयात पृथक-पृथक रूप से न्यूनतम सीमा से अधिक थे। घरेलू उद्योग ने अनुरोध किया है कि अन्य देशों से आयातों की पहुंच कीमतें चीन जन. गण. की पहुंच कीमत से संचालित होती हैं; चूंकि संबद्ध वस्तुएं एक जिंस उत्पाद हैं, अतः भारत के उत्पादकों तथा अन्य देशों के निर्यातकों को चीन जन. गण. की कीमतों से प्रतिस्पर्धा करने के लिए अपनी कीमतें घटाने हेतु बाध्य होना पड़ा है। विभिन्न स्रोतों से आयात कीमतें निम्नानुसार हैं:

देश	इकाई	2022-23	2023-24	2024-25	पीओआई
चीन जन. गण.	आईएनआर/मी.ट.	91,663	67,496	65,376	60,593
जापान	आईएनआर/मी.ट.	98,871	73,852	73,201	69,615
ताइवान	आईएनआर/मी.ट.	89,326	69,443	71,483	67,004
अमरीका	आईएनआर/मी.ट.	70,594	66,164	67,136	65,725
कोरिया गणराज्य	आईएनआर/मी.ट.	87,980	68,465	69,315	66,614
थाईलैंड	आईएनआर/मी.ट.	88,334	71,694	70,753	64,502
इंडोनेशिया	आईएनआर/मी.ट.	89,334	68,964	68,143	64,348
अन्य देश	आईएनआर/मी.ट.	76,995	69,036	69,991	66,949
कुल आयात	आईएनआर/मी.ट.	89,290	69,122	68,078	63,808
चीन जन. गण. के अतिरिक्त अन्य देश	आईएनआर/मी.ट.	87,938	70,014	70,579	67,218
अंतर: चीन जन. गण. घटा अन्य	आईएनआर/मी.ट.	3,725	-2,518	-5,203	-6,625

106. क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. से आयात कीमत में निरंतर गिरावट आई। जहां 2022-23 में यह अन्य देशों से आयातों की कीमत से अधिक थी, वहीं उसके पश्चात यह उनसे कम रही है, तथा अंतर बढ़ा है; पीओआई में संबद्ध आयात सबसे कम कीमत वाले आयात थे। उनकी कीमत में गिरावट के साथ, संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई जबकि अन्य देशों के हिस्से में गिरावट आई। चूंकि संबद्ध वस्तुएं एक जिंस उत्पाद हैं, अतः घरेलू उद्योग देश में सबसे कम कीमत वाले आयातों से प्रतिस्पर्धा करता है।

ख. मांग में संकुचन

107. मांग में 22% की वृद्धि हुई; कोई संकुचन नहीं हुआ। घरेलू उद्योग को हुई क्षति को अनंतिम रूप से मांग में संकुचन के कारण न होना माना गया है।

ग. उपभोग के स्वरूप में परिवर्तन

108. कोई सूचित नहीं। विचाराधीन उत्पाद के उपभोग के स्वरूप में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है।

घ. व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथाएं / प्रतिस्पर्धा

109. कोई सूचित नहीं। 02.04.2026-30.06.2026 की मूल सीमा शुल्क छूट पीओआई से बाहर है। ऐसी कोई व्यापार-प्रतिबंधात्मक प्रथा नहीं है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

ङ. प्रौद्योगिकी में विकास

110. कोई सूचित नहीं; एथिलीन और कार्बाइड, दोनों मार्ग लंबे समय से स्थापित हैं। संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं हुआ है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हुई हो।

च. निर्यात निष्पादन

111. घरेलू उद्योग के निर्यात नगण्य थे। जांची गई क्षति संबंधी सूचना केवल घरेलू बाजार में घरेलू उद्योग के निष्पादन से संबंधित है; क्षति का आरोपण उसके निर्यात निष्पादन पर नहीं किया जा सकता।

छ. उत्पादन

112. उत्पादन के साथ प्रति दिन उत्पादन में मामूली गिरावट आई। प्रति दिन उत्पादन में गिरावट घरेलू उद्योग को हुई क्षति का कारण नहीं हो सकती।

ज. आदान लागत / घरेलू उद्योग का स्वयं का निष्पादन

113. बिक्री लागत में 22% की गिरावट आई जबकि बिक्री कीमत में 25% की गिरावट आई; बिक्री कीमत में गिरावट लागतों में गिरावट से अधिक थी, तथा घरेलू उद्योग की हानि का आरोपण आयातित वीसीएम सहित कच्ची सामग्री की लागत पर नहीं किया जा सकता।

झ. घरेलू उद्योग द्वारा संबद्ध उत्पादकों से खरीद

114. पीओआई के दौरान एर्डोस ने आवेदकों में से एक को विचाराधीन उत्पाद की बिक्री की। आधार और क्षति पर इसके प्रभाव की अंतिम चरण में आगे जांच की जाएगी।

ञ. अन्य घरेलू उत्पादक

115. फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड तथा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (भारतीय उत्पादन का 60-70%) भी संबद्ध वस्तुओं का आयात करते हैं; उनका निष्पादन घरेलू उद्योग के क्षति विश्लेषण का भाग नहीं है।

ट. विद्यमान पाटनरोधी शुल्क

116. कोई प्रवृत्त नहीं - दिनांक 14.08.2025 के पाटनरोधी अंतिम जांच परिणामों को प्रभावी नहीं किया गया; आरोपित करने हेतु कोई प्रभाव नहीं।

ठ. अन्य उत्पादों का निष्पादन

117. प्राधिकारी ने केवल संबद्ध वस्तुओं के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों की जांच की है। अतः आवेदकों द्वारा उत्पादित और बेचे गए अन्य उत्पादों का निष्पादन घरेलू उद्योग को हुई क्षति का संभावित कारण नहीं है।

V. कारणात्मक संबंध के संबंध में निष्कर्ष

118. जहां ऊपर जांचे गए कारक दर्शाते हैं कि घरेलू उद्योग को हुई क्षति अन्य ज्ञात कारकों के कारण नहीं है, वहीं निम्नलिखित दर्शाते हैं कि यह संबद्ध देश से सब्सिडीकृत आयातों के कारण है:

क) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों में निरपेक्ष और सापेक्ष रूप से, भारत में मांग में वृद्धि से अधिक गति से, वृद्धि हुई;

ख) जहां घरेलू उद्योग अपनी बिक्री लागत से कम पर बिक्री करता रहा है, वहीं संबद्ध आयात उसकी कीमतों में निरंतर कटौती करते रहे हैं;

ग) क्षति अवधि के दौरान संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत में उल्लेखनीय गिरावट आई, जिससे घरेलू उद्योग को अपनी कीमतों में अपनी बिक्री लागत में गिरावट से अधिक कमी करने के लिए बाध्य होना पड़ा;

घ) घरेलू उद्योग ने केवल लाभप्रदता से समझौता करके अपना उत्पादन, घरेलू बिक्री और क्षमता उपयोग बनाए रखा, तथा हानि पर बिक्री के बावजूद उसकी मालसूची में उल्लेखनीय वृद्धि हुई;

ङ) घरेलू उद्योग को संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान वित्तीय हानि हुई, जो पीओआई में उच्चतम थी; उसकी संचयी हानि उसकी औसत नियोजित पूंजी की तुलना में महत्वपूर्ण है, तथा पीओआई में उसे नकद हानि हुई; तथा

च) नियोजित पूंजी पर प्रतिलाभ ऋणात्मक हो गया तथा पीओआई में न्यूनतम था, और घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

119. वर्तमान में रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना के आधार पर, प्राधिकारी अनंतिम रूप से यह पाते हैं कि घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है, कि सब्सिडीकृत आयातों और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध है, तथा जांचे गए अन्य ज्ञात कारक इस कारणात्मक संबंध को भंग नहीं करते। यह निष्कर्ष घरेलू उद्योग के आंकड़ों के सत्यापन के अधीन है।

झ. भारतीय उद्योग का हित तथा अन्य मुद्दे

झ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

क) घरेलू उद्योग को लंबी अवधि से आयातों से संरक्षण प्राप्त रहा है। व्यापार उपचार अस्थायी उपाय हैं, तथा चौदह वर्षों के पाटनरोधी शुल्क के पश्चात प्रति-सब्सिडी शुल्क स्थायी संरक्षण का परिणाम होगा।

ख) भारत में मांग-आपूर्ति का उल्लेखनीय अंतर है, तथा उसे पूरा करने के लिए आयात आवश्यक हैं।

ग) इंडोनेशिया, जापान और थाईलैंड से आयातों को मुक्त व्यापार करारों के अंतर्गत रियायती सीमा शुल्क प्राप्त है; केवल चीन जन. गण. से आयातों पर शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग को लाभ पहुंचाए बिना आयात केवल अन्य देशों की ओर मुड़ जाएंगे।

झ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

क) अतीत में पाटनरोधी शुल्क का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है, तथा प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा; इसका प्रभाव 0.1% से कम है तथा, न्यूनतम होने के कारण, इसके अनुप्रवाह उद्योग द्वारा वहन किए जाने तथा प्रयोक्ताओं पर अंतरित न किए जाने की संभावना है।

ख) भारत में पर्याप्त परस्पर प्रतिस्पर्धा होने के कारण उचित कीमतें बनी रहेंगी; शुल्क आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता, तथा चूंकि संबद्ध वस्तुएं दीर्घकालिक अनुबंधों के अंतर्गत नहीं बेची जातीं, अतः प्रयोक्ता आसानी से आपूर्तिकर्ता बदल सकते हैं।

ग) उत्पाद की वैश्विक अतिरिक्त क्षमताएं तथा प्रचुर आपूर्ति है, तथा संबद्ध वस्तुओं का भारत को सब्सिडीकृत कीमतों पर निर्यात किया जा रहा है।

झ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

120. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का उद्देश्य, सामान्यतः, सब्सिडीकृत आयातों द्वारा घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित हो, जो देश के सामान्य हित में है। प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का अधिरोपण संबद्ध देश से आयातों को प्रतिबंधित नहीं करता; उपभोक्ताओं और प्रयोक्ताओं को संबद्ध देश तथा अन्य स्रोतों से उचित कीमतों पर उत्पाद की उपलब्धता बनी रहेगी।

121. मांग-आपूर्ति अंतर के संबंध में, इसका अस्तित्व ऐसी कीमतों पर सब्सिडीकृत आयातों की अनुमति देने का आधार नहीं है जिनसे घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति होती है। उत्पाद के महत्वपूर्ण आयात गैर-चीनी स्रोतों से होते हैं: 2020-21 में 95% आयात अन्य स्रोतों से थे, तथा 2022-23 में 64%। प्राधिकारी ने अतीत में ऐसे अनेक उत्पादों पर शुल्कों की सिफारिश की है जहां भारत में मांग-आपूर्ति अंतर था। शुल्क का उद्देश्य आयातों को प्रतिबंधित करना नहीं बल्कि समान अवसर पुनः स्थापित करना है, जिससे क्षमता

विस्तार को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है; घरेलू उद्योग की बढ़ती हानि के साथ, वर्तमान बाजार में कोई भी उद्योग क्षमता विस्तार में निवेश करने का इच्छुक नहीं होगा।

122. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग को पहले ही लंबे समय तक संरक्षण प्राप्त रहा है, चीन जन. गण. से आयातों पर पाटनरोधी शुल्क 2022 में समाप्त हो गया था, तथा पीओआई के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर कोई उपाय प्रवृत्त नहीं था। वर्तमान जांच एक भिन्न अनुचित व्यापार प्रथा, अर्थात सब्सिडीकरण, से संबंधित है, तथा शुल्क, यदि अधिरोपित किया जाता है, सीमित अवधि के लिए होगा तथा समीक्षा के अधीन होगा। रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना दर्शाती है कि क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग को वित्तीय हानि हुई है तथा लाभ, नकद लाभ और निवेश पर प्रतिलाभ में वास्तविक गिरावट आई है।

123. अन्य देशों की ओर आयातों के संभावित विपथन के संबंध में, प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का उद्देश्य संबद्ध देश से आयातों पर सब्सिडी का प्रतिसंतुलन करना है, न कि आयातों को प्रतिबंधित करना। अन्य देशों से आयात संबद्ध आयातों से अधिक कीमतों पर किए जाते हैं, तथा उचित कीमत वाले स्रोतों की ओर बदलाव से भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी। प्रयोक्ताओं को संबद्ध देश सहित अनेक स्रोतों से उचित कीमतों पर संबद्ध वस्तुओं की उपलब्धता बनी रहेगी।

124. आवेदकों ने अनुरोध किया है कि नई क्षमता जुड़ने के साथ भारत में मांग-आपूर्ति अंतर कम होने की संभावना है। चूंकि संबद्ध आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम है, अतः बाजार की स्थिति ऐसे निवेश के अनुकूल नहीं है, तथा भारत में उचित बाजार स्थिति स्थापित करने के लिए प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का अधिरोपण आवश्यक है।

125. अनुप्रवाह आपूर्ति और कीमतों पर जीओसी के सामान्य अनुरोध के अतिरिक्त, किसी भी प्रयोक्ता अथवा उपभोक्ता ने शुल्क के संभावित प्रभाव का परिमाणन करने वाली सूचना रिकॉर्ड पर नहीं रखी है। हितबद्ध पक्षकार अनुप्रवाह प्रयोक्ताओं पर शुल्क के संभावित प्रभाव सहित सार्वजनिक हित पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत कर सकते हैं, जिनकी प्राधिकारी अंतिम चरण में जांच करेंगे।

ञ. निष्कर्ष और सिफारिशें

126. प्राधिकारी इस चरण पर उपलब्ध सूचना के आधार पर तथा अंतिम चरण पर सत्यापन के अधीन, अनंतिम रूप से यह निष्कर्ष निकालते हैं कि (क) विचाराधीन उत्पाद का संबद्ध देश से भारत को सब्सिडीकृत कीमतों पर निर्यात किया गया है; (ख) घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है; तथा (ग) वास्तविक क्षति सब्सिडीकृत आयातों के कारण हुई है।

127. प्राधिकारी नोट करते हैं कि चीन जन. गण. की सरकार के साथ परामर्श के पश्चात जांच विधिवत शुरू की गई, तथा चीन जन. गण. की सरकार, उत्पादकों/निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई तथा उन्हें सब्सिडीकरण, क्षति और कारणात्मक संबंध के पहलुओं पर सकारात्मक सूचना प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया। सीवीडी नियमावली के अनुसार सब्सिडीकरण, क्षति और कारणात्मक संबंध की जांच शुरू करने और संचालित करने, तथा उसके नियम 14 के अनुसार वर्तमान प्रारंभिक जांच परिणाम अभिलिखित करने के पश्चात, प्राधिकारी का यह मत है कि जांच पूर्ण होने तक सब्सिडीकरण तथा उसके कारण घरेलू उद्योग को हुई क्षति का प्रतिसंतुलन करने के लिए अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क का अधिरोपण अपेक्षित है। अतः, प्राधिकारी आवश्यक समझते हैं तथा संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर अधिनियम की धारा 9(2) के साथ पठित सीवीडी नियमावली के नियम 15 के अनुसार अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करते हैं।

128. उपर्युक्त अनंतिम जांच परिणामों को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकारी जांच के दौरान क्षति को रोकने के लिए अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करना आवश्यक समझते हैं। कमतर शुल्क नियम लागू करते हुए, अनुशंसित अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क प्रत्येक उत्पादक समूह के लिए सब्सिडी मार्जिन और क्षति मार्जिन में से कमतर है। किसी भी समूह का सब्सिडी मार्जिन 1% यथामूल्य की न्यूनतम सीमा से कम नहीं है। प्राधिकारी संबद्ध देश के मूल में अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों पर, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (7) में दर्शाई गई राशि के बराबर, क्रमशः कॉलम (9) और (8)

में दर्शाई गई मुद्रा और माप की प्रति इकाई में, ऐसी अवधि के लिए अनंतिम प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के अधिरोपण की सिफारिश करते हैं जो केंद्र सरकार अधिनियम और नियमावली के अनुसार निर्धारित करे।

शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्ष/ उप-शीर्ष *	वस्तुओं का विवरण	मूल देश	निर्यात देश	उत्पादक	राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3904	पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन**	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	चिंगदाओ हाईवान केमिकल कं., लि.	86.75	मी.ट.	यूएसडी
2	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	तियानजिन बोहुआ केमिकल डेवलपमेंट कं., लि.	90.73	मी.ट.	यूएसडी
3	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	इनर मंगोलिया जुनझेंग केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.; ऑर्डोस जुनझेंग एनर्जी एंड केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.	99.06	मी.ट.	यूएसडी
4	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	चिपिंग शिनफा हुआशिंग केमिकल कं., लि.; चिपिंग शिनफा पॉलीविनाइल क्लोराइड कं., लि.	106.46	मी.ट.	यूएसडी
5	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	वानहुआ केमिकल (फुजियान) कं., लि.; वानहुआ केमिकल ग्रुप (यानताई) ओलेफिन्स कं., लि.	99.95	मी.ट.	यूएसडी
6	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	इनर मंगोलिया एर्डोस इलेक्ट्रिक पावर एंड मेटलर्जी ग्रुप कं., लि. क्लोर-अल्कली केमिकल ब्रांच कंपनी	135.55	मी.ट.	यूएसडी
7	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	ग्वांगशी हुआयी क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.; शंघाई क्लोर-अल्कली केमिकल कं., लि.	90.55	मी.ट.	यूएसडी
8	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	तियानचेन केमिकल कं., लि.	89.81	मी.ट.	यूएसडी
9	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	इनर मंगोलिया यिहुआ केमिकल इंडस्ट्री कं., लि.	136.25	मी.ट.	यूएसडी
10	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	यिबिन हाइफेंग हेरुई कं., लि.	83.72	मी.ट.	यूएसडी
11	-वही-	-वही-	चीन जन. गण.	कोई भी	क्र.सं. 1 से 10 के अतिरिक्त कोई भी उत्पादक	143.82	मी.ट.	यूएसडी

12	-वही-	-वही-	चीन जन. गण. के अतिरिक्त कोई भी देश	चीन जन. गण.	कोई भी	143.82	मी.ट.	यूएसडी

* सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और यह विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

** जैसा कि खंड ग में वर्णित है।

उपर्युक्त शुल्क तालिका में उल्लिखित उत्पादकों के लिए विनिर्दिष्ट व्यक्तिगत शुल्क दरों का अनुप्रयोग सीमा शुल्क प्राधिकारियों के समक्ष एक वैध वाणिज्यिक बीजक प्रस्तुत किए जाने की शर्त के अधीन होगा, जिस पर ऐसा बीजक जारी करने वाली इकाई के, नाम और पदनाम द्वारा पहचाने गए, किसी अधिकारी द्वारा दिनांकित और हस्ताक्षरित एक घोषणा निम्नानुसार अंकित होगी:

> *"मैं, अधोहस्ताक्षरी, प्रमाणित करता/करती हूं कि इस बीजक में शामिल भारत को निर्यात हेतु बेची गई पीवीसी सस्पेंशन रेज़िन की (मात्रा) का विनिर्माण चीन जन. गण. में (उत्पादक का नाम और पता) द्वारा किया गया था। मैं घोषणा करता/करती हूं कि इस बीजक में दी गई सूचना पूर्ण और सही है।"*

यदि ऐसा कोई बीजक प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो अन्य सभी उत्पादकों पर लागू शुल्क लागू होगा। यह अपेक्षा लागू सीमा शुल्क कानून और विनियमों के अंतर्गत सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा स्वतंत्र रूप से की जाने वाली सत्यापन प्रक्रियाओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

129. आवेदकों ने प्रतिसंतुलनकारी शुल्क के पूर्वव्यापी अधिरोपण का भी अनुरोध किया है। प्राधिकारी अंतिम चरण में इस अनुरोध की जांच करेंगे।

ट. आगे की प्रक्रिया

प्रारंभिक जांच परिणामों को अधिसूचित करने के पश्चात नीचे उल्लिखित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा:

क) प्राधिकारी सभी हितबद्ध पक्षकारों से इन प्रारंभिक जांच परिणामों के प्रकाशन की तारीख से बीस दिनों के भीतर इन पर टिप्पणियां आमंत्रित करते हैं, तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक समझी गई सीमा तक उन पर अंतिम जांच परिणामों में विचार किया जाएगा।

ख) प्राधिकारी हितबद्ध पक्षकारों को विषयगत जांच से संबंधित अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करने के लिए नियमावली के नियम 7(6) के अनुसार मौखिक सुनवाई आयोजित करेंगे।

ग) मौखिक सुनवाई की तारीख डीजीटीआर की वेबसाइट (https://www.dgtr.gov.in) पर प्रकाशित की जाएगी।

घ) प्राधिकारी आवश्यक समझे जाने पर हितबद्ध पक्षकारों का आगे सत्यापन करेंगे।

ङ) प्राधिकारी विषयगत जांच में अंतिम जांच परिणाम जारी करने से पूर्व नियमावली के अनुसार आवश्यक तथ्यों का प्रकटन करेंगे।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

PRELIMINARY FINDINGS

New Delhi, the 26th October, 2026

Case No. CVD (OI)-07/2025

SETU Application No.: CVD/OI/15122025/01

Subject: Countervailing duty investigation concerning imports of "PVC Suspension Resin" originating in or exported from China PR.

A. BACKGROUND OF THE CASE

F. No. 06/67/2025-DGTR.—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 (hereinafter referred to as "the Act") and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Countervailing Duty on Subsidized Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter referred to as "the CVD Rules" or "the Rules"), the Designated Authority (hereinafter referred to as "the Authority") records its preliminary findings as follows.

1. Chemplast Cuddalore Vinyls Limited, DCM Shriram Limited and DCW Limited (hereinafter collectively referred to as "the applicants" or "the domestic industry" or "DI"), represented by TPM Consultants, filed an application before the Authority seeking initiation of a countervailing duty investigation on imports of "PVC Suspension Resin" (hereinafter referred to as "the subject goods" or "the product under consideration" or "PUC") originating in or exported from China PR (hereinafter referred to as "the subject country").

2. Prior to initiation, the Government of India invited the Government of China PR (hereinafter "GOC") for consultations in terms of Article 13.1 of the WTO Agreement on Subsidies and Countervailing Measures (hereinafter "SCM Agreement"). The GOC received the invitation on 09.01.2026; consultations were held on 20.01.2026 and the GOC submitted written comments on the application. In the consultations, the GOC denied the existence of certain programmes, the availment of some of the alleged programmes and the existence of more than a negligible subsidy under some programmes; however, no prima facie evidence denying the existence of the programmes was furnished.

3. On the basis of the duly substantiated application, the Authority initiated the investigation vide Notification No. 06/67/2025-DGTR dated 26.02.2026 under Section 9 of the Act read with the Rules. The initiation notification inadvertently mentioned the case number as "CVD 02/2025" and the SETU Case ID as "CVD/OI/1522025/01"; the correct case number is CVD (OI)-07/2025 and the correct SETU Application No. is CVD/OI/15122025/01, which interested parties shall quote in all further correspondence and submissions.

B. PROCEDURE

4. The procedure described below has been followed in the investigation:

a) The Authority notified the Embassy of China PR in India about the initiation of the investigation in accordance with the Rules by e-mail dated 27.02.2026, forwarding a copy of the non-confidential version of the application.

b) The Authority forwarded a copy of the initiation notification and the non-confidential version of the application to the known producers/exporters in the subject country, the known importers/users in India, the line Ministry and the domestic industry by e-mails dated 27.02.2026. The Authority had also written to the other known domestic producers, Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited, by e-mails dated 05.02.2026, prior to initiation; no response was received.

c) The Authority sent exporter questionnaires, importer/user questionnaires and a Government questionnaire to the known parties and to the GOC, seeking information relevant to the investigation. The Embassy of the subject country in India was also requested to advise the producers/exporters to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. The Trade Remedy and Investigation Bureau, Ministry of Commerce of the People's Republic of China, has registered as an interested party in the present investigation.

d) The time limit for filing questionnaire responses was extended by notices dated 17.04.2026 (to 29.04.2026) and 30.04.2026 (to 05.05.2026).

e) The GOC and the producers, exporters and traders listed in Section G.1 filed their questionnaire responses within the time limit as extended.

f) The following importers/users filed responses to the importers'/users' questionnaire: Sandeep Organics Private Limited, RMG Polyvinyl India Limited and Wanhua International (India) Private Limited.

g) The Authority issued an economic interest questionnaire to all interested parties and the concerned Ministry. Responses were filed by the domestic industry and Tricon Dry Chemicals LLC.

h) The interested parties were invited to comment on the scope of the product under consideration and the PCN methodology, and a meeting was held on 27.03.2026 in this regard. On the basis of the submissions made, the Authority finalised the scope of the product under consideration and decided not to adopt PCNs vide notification dated 02.04.2026.

i) The domestic industry filed comments on the confidentiality claims, to which replies were filed by Shaanxi Beiyuan, Shanghai Chlor-Alkali, Guangxi Huayi, CNSIG Jilantai and the Zhongtai group.

j) The Authority circulated the list of interested parties on 18.08.2026 / 19.08.2026. Requests for correction were received from counsel for the Wanhua group and Tianchen Chemical Co., Ltd. (recorded on the list as "Tianchem").

k) By notice dated 25.09.2026, having regard to the large number of responding producers/exporters, the Authority selected a sample of three producers/exporters (including their related parties) for the determination of individual subsidy margins. Comments were received from the Chiping Xinfa group, Sandeep Organics Private Limited and the domestic industry. Having considered the comments of the interested parties, including those on the representativeness of the selected sample, the number of subsidy programmes under investigation and the production routes followed by the responding producers/exporters, the Authority, vide notice dated 05.10.2026, withdrew the sampling and decided to determine individual subsidy margins for the following thirteen producers/exporters, including their related parties: (1) Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.; (2) Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.; (3) the Junzheng group (Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd. and Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd.); (4) the Chiping Xinfa group (Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd. and Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co., Ltd.); (5) the Wanhua group (Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd. and Wanhua Chemical Group (Yantai) Olefins Co., Ltd.); (6) Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd.; (7) Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd.; (8) CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.; (9) Guangxi Huayi Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd. and Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.; (10) Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd.; (11) Tianchen Chemical Co., Ltd. (Tianye); (12) Inner Mongolia Yihua Chemical Industry Co., Ltd.; and (13) Yibin Haifeng Herui Co., Ltd. The producers/exporters were required to ensure that their responses, including those of all related parties involved in the production and sale of the subject goods, were complete in all respects. The responses of certain of these producers/exporters have subsequently been rejected for the reasons set out in Section G.2.

l) The Authority sought further information through desk-verification questionnaires; replies were received from, inter alia, the Erdos, Wanhua, Guangxi Huayi/Shanghai Chlor-Alkali, Shaanxi Beiyuan and Tianchen groups, together with revised subsidy calculations from Qingdao Haiwan, Tianjin Bohua, Chiping Xinfa, Yibin Haifeng Herui and Tianchen. The information of the domestic industry and of the responding producers will be verified, to the extent considered necessary, before the final findings.

m) The domestic industry filed additional submissions on the value chain, sampling, precedents, benchmarks and subsidy calculations.

n) A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) for the transaction-wise details of imports of the subject goods for the injury period, which has been received by the Authority.

o) The Authority made available the non-confidential versions of the evidence presented by the interested parties. All interested parties were directed to file non-confidential versions of their submissions on the SETU platform, and each interested party was provided access to them.

p) The period of investigation (POI) is 01.10.2024 to 30.09.2025 (12 months). The injury investigation period covers 2022-23, 2023-24, 2024-25 and the POI. For the

examination of non-recurring subsidies, information has also been sought for the period corresponding to the average useful life of assets prior to the POI.

q) The exchange rates adopted are: (i) INR 86.76 per USD, being the average for the POI of the exchange rates for imports notified by the Central Board of Indirect Taxes and Customs (available at https://foservices.icegate.gov.in/#/services/ viewExchangeRate); and (ii) RMB 0.2165 per THB, being the average for the POI of the monthly cross-rates derived from the euro foreign exchange reference rates of the European Central Bank (CNY per EUR ÷ THB per EUR; available at https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/index.en.html), as the Thai Baht is not among the currencies notified by CBIC. The latter rate has been used to convert the Thailand benchmarks into RMB.

r) *** in this preliminary finding represents information furnished by an interested party on a confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.

C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

5. At the stage of initiation, the product under consideration was defined as follows:

> *The product under consideration is Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resin manufactured through suspension polymerisation process with K-Value above 55 and upto 77.*
>
> *The scope of product under consideration excludes PVC suspension resins with K-Value below 55 and above 77. Further, specialty PVC suspension resin such as cross-linked PVC, chlorinated PVC (CPVC), vinyl chloride – vinyl acetate copolymer (VC-VAc), PVC paste resin / emulsion resins, Mass Polymerisation PVC and Polyvinyl Chloride Blending Resins are also excluded from the scope of product under consideration.*
>
> *The product under consideration is manufactured using suspension polymerisation process. PVC manufactured through emulsion polymerisation, bulk mass polymerization and micro suspension polymerization process are also excluded from the scope of the product under consideration.*
>
> *The subject goods are classified under Chapter 39 of Schedule I to the Customs Tariff Act, 1975 under the Customs classification 3904 10 20. However, the product under consideration is also being imported under HS Codes 3904 10 10, 3904 10 90, 3904 21 00, 3904 22 00, 3904 90 10 and 3904 90 90. Accordingly, HS code at 4-digit level, that is, 3904 has been considered for the purpose of the present investigation. The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.*

6. The product under consideration is Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade), manufactured through the suspension polymerisation process, with K-value above 55 and up to 77, with exclusions as finalised by the Authority on 02.04.2026. It is classified under heading 3904 (principally tariff item 3904 10 20), as in the duty table; the classification is indicative only. There are no PCNs.

C.1. Submissions made by the domestic industry

7. The applicants submitted that resin produced through the ethylene and calcium-carbide routes is comparable and interchangeable. They further submitted that PVC resins produced through emulsion, bulk mass and micro-suspension polymerisation, and cross-linked PVC, CPVC, VC-VAc, PVC paste resin, mass polymerisation PVC and PVC blending resin are excluded; that the product has a dedicated tariff item 3904 10 20, although about 17% of the imports in the POI were made under other sub-headings; that resin of K-value 55 may be considered excluded; that the definition adopted in the previous anti-dumping investigation may be adopted; that the goods produced by the domestic industry are like article to the imported goods; and that no PCN-wise analysis is required.

C.2. Submissions made by the other interested parties

8. Qingdao Haiwan pointed to an inconsistency in the initiation notification on resin of K-value exactly 55. Sandeep Organics submitted that the production route is a technological characteristic and cannot by itself establish a subsidy.

C.3. Examination by the Authority

9. Upon the comments received from the interested parties, the scope of the product under consideration was finalised on 02.04.2026 as follows:

> *"Homopolymer of Vinyl Chloride Monomer (suspension grade) also known as PVC Suspension Resin manufactured through suspension polymerisation process with K-value above 55 and upto 77. The product under consideration in the present investigation excludes the following: (i) Ultra-Low K-Value PVC Suspension Resins (K-value upto 55); (ii) Ultra-High K-Value PVC Suspension Resins (K-value above 77); (iii) Cross-linked PVC; (iv) Chlorinated PVC (CPVC); (v) Vinyl chloride - vinyl acetate copolymer (VC-VAC); (vi) PVC paste resin/emulsion resins; (vii) Mass Polymerisation PVC; (viii) Polyvinyl Chloride Blending Resins. Further, PVC resins manufactured through emulsion polymerisation, PVC resins manufactured through bulk mass polymerization, and PVC resins manufactured through micro suspension polymerization process are also excluded from the scope of the product under consideration."*

10. To produce the subject goods, vinyl chloride monomer (VCM) is converted into vinyl polymer through the suspension polymerisation process. VCM is produced either from ethylene dichloride (EDC) or from calcium carbide. PVC produced through the ethylene route as well as the carbide route is within the scope of the product under consideration.

11. None of the interested parties has requested the formation of PCNs, and the domestic industry has submitted that no PCN-wise analysis is needed. Accordingly, PCNs have not been determined in the present investigation.

12. The subject goods produced by the domestic industry and those imported from the subject country are comparable in terms of physical and chemical properties, functions and uses, product specifications, pricing, distribution and marketing and tariff classification. Even though different manufacturing processes/technologies are involved, the end product has

comparable specifications and is used interchangeably; the two are technically and commercially substitutable.

13. The scope covers resin with K-value above 55 and up to 77. The production route is relevant to the inputs and programmes that may confer a benefit, not to the scope. The Authority provisionally holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration within the meaning of the Rules.

D. SCOPE OF DOMESTIC INDUSTRY & STANDING

D.1. Submissions of other interested parties

14. The GOC submitted that the applicants account for 30-40% of Indian production and do not satisfy the "major proportion" requirement of the Rules and Article 11.4 of the SCM Agreement. Other interested parties submitted that the Authority may examine whether DCW Limited purchased the subject goods from manufacturers, traders or importers in the domestic market and, if it procured imported goods, treat it as ineligible to be part of the domestic industry; and that Reliance Industries Limited, the largest producer in India, has been excluded deliberately to show more intense injury, its imports being only 1-10% of its production and not justifying its treatment as an importer.

D.2. Submissions made by the domestic industry

15. The applicants submitted that Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited are regular importers and ineligible to be part of the domestic industry; DCW Limited's imports from a non-subject country are negligible. They further submitted that the other producers have neither supported nor opposed the application; that two new producers, Mundra Petrochem Limited and Indian Oil Corporation Limited, are setting up capacities; that Finolex Industries Limited consumes about 90% of its production captively; that Chemplast Cuddalore Vinyls Limited and DCM Shriram Limited did not import the subject goods in the POI and the applicants are not related to any importer in India or exporter in the subject country; that DCW Limited also purchased the subject goods in the domestic market during the injury period; and that the applicants account for 100% of the domestic production if the other producers are excluded, and for a major proportion of it in any case.

D.3. Examination by the Authority

16. The Authority, at the stage of initiation, examined the standing of the applicants and found that the application satisfied the requirements of the Rules. No information has been placed on record at this stage that alters that determination.

17. Rule 2(b) of the Rules defines domestic industry as follows:

> *"(b) "domestic industry" means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article, except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged subsidised article, or like article from other countries or are themselves importers thereof, the term "domestic industry" may be interpreted as referring to the rest of the producers."*

18. Apart from the applicants, there are two other producers of the subject goods in India, Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited; Mundra Petrochem Limited and Indian Oil Corporation Limited are setting up plants for the manufacture of the subject goods. The applicants have submitted that Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited imported the product under consideration during the POI. The Authority, by e-mails dated 05.02.2026, requested Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited to confirm their status as producers and/or importers of the subject goods, to furnish the prescribed information and to state whether they support or oppose the application. No response has been received from either of them. The information on record shows that both producers imported the subject goods in significant quantities during the POI, which are not negligible in relation to their own production. The Authority has, therefore, provisionally considered them ineligible for the purpose of determining standing.

19. Chemplast Cuddalore Vinyls Limited and DCM Shriram Limited have not imported the subject goods during the POI and are not related to any producer of the subject goods in the subject country or to any importer in India.

20. DCW Limited imported a small quantity of the subject goods during the POI, and only from a non-subject country (Taiwan). These imports are negligible in relation to its production and sales and to total imports into India. It also procured the subject goods in the domestic market during the injury period. As its imports are negligible, DCW Limited has been provisionally considered eligible to constitute the domestic industry.

21. As regards the contention that the domestic procurement by DCW Limited may represent indirect imports, the exclusion under Rule 2(b) of the Rules applies where a domestic producer is itself an importer of the alleged subsidised article. The imports of DCW Limited during the POI were from a non-subject country and constitute a negligible share (0-5%) of its production; purchases in the domestic market do not render it an importer of the subject goods.

22. Accordingly, the Authority provisionally holds that Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited, being importers of the subject goods, are excluded from the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules, and that the three applicants, which account for 100% of the eligible domestic production of the like article, constitute the domestic industry. As regards standing, Rule 6(3) of the Rules requires that the application be supported by domestic producers whose collective output constitutes more than 50% of the total production of the like article produced by that portion of the domestic industry expressing either support for or opposition to the application, and that the domestic producers expressly supporting the application account for not less than 25% of the total production of the like article. Standing has been examined on the more conservative basis of the total Indian production, i.e. including the production of Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited.

23. It is seen that (a) the applicants, which expressly support the application, account for 30-40% of the total Indian production, which is above the minimum of 25%; and (b) Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited have neither supported nor opposed the application, so that the applicants account for 100% of the production of the domestic

producers expressing support for or opposition to it, which is above the required 50%. The application therefore satisfies the standing requirements even on the total Indian production. As regards the contention that Reliance Industries Limited has been deliberately excluded and that the applicants account for only 30-40% of Indian production, Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited have been excluded from the domestic industry under Rule 2(b) of the Rules because they are themselves importers of the subject goods, and not on account of their size or of their non-participation in the investigation. Their non-participation is relevant only in that they have neither supported nor opposed the application and have not disputed the information on their imports. The sale of the product under consideration by Erdos to one of the applicants during the POI is noted; its effect, if any, on the eligibility of that applicant will be examined further at the final stage. The Authority provisionally holds that the applicants constitute the domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules and that the application satisfies the standing requirements of Rule 6(3) of the Rules.

E. ISSUES RELATING TO CONFIDENTIALITY

E.1. Submissions by the domestic industry

24. The domestic industry objected to excessive confidentiality claimed by responding exporters on producer identity, raw materials, ownership and related parties. The claims objected to include the name of the producing entity, the ownership structure and related parties, the location of production facilities/branch companies, the production process, major raw materials, HS codes, product specifications and catalogues, the average useful life of assets, the list of other subsidies received and the government regulations and records relating to grants, the channel of distribution and the normal accounting period. It submitted that responses without proper non-confidential versions should not be taken on record.

E.2. Submissions by other interested parties

25. The respondents submitted that non-confidential summaries were provided.

E.3. Examination by the Authority

26. Rule 8 of the Rules provides as follows:

> *"(1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (2), (3) and (7) of rule 7, sub-rule (2) of rule 14, sub-rule (4) of rule 17 and sub-rule (3) of rule 19, copies of applications received under sub-rule (1) of rule 6 or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorisation of the party providing such information.*
>
> *(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof in sufficient details to permit a reasonable understanding of the substance of the confidential information and if, in the opinion of a party providing such information, such*

information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarisation is not possible.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority, is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in generalised or summary form, it may disregard such information."

27. The Authority has accepted confidentiality claims where good cause was shown and adequate non-confidential summaries were furnished. Information on ownership and on the related parties through which the goods are exported is essential to determine producer groups and the value chain, and has been relied upon to that extent. An exhibit filed by Erdos contains confidential sheets of another responding producer (Inner Mongolia Yihua); these have not been used.

28. As regards the contentions of the domestic industry on excessive confidentiality, the responding parties were directed to file adequate non-confidential versions of their responses. On the basis of the comments filed by the domestic industry, the Authority notes that no prejudice has been caused to it by the non-disclosure of the information sought; the information essential to the determination is reflected in these findings.

F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS

F.1. Submissions by the Government of China PR

a) The application lacks one-to-one correspondence between programmes and evidence; some instruments have expired (e.g. Caishui [2015] No. 37).

b) Determinations of other authorities cannot establish programmes in the present case.

c) The anti-dumping final findings of 14.08.2025 on the same product were not given effect; basic customs duty was exempted from 02.04.2026 to 30.06.2026.

F.2. Submissions by Sandeep Organics Private Limited (importer)

a) A countervailing duty may be imposed only on a subsidy that is established and quantified (financial contribution, benefit, specificity); lower prices, lower costs, government policy, state ownership or production technology do not by themselves establish a subsidy.

b) Benefit for provision of goods and services must be determined against adequate remuneration in relation to prevailing market conditions; specificity must be separately established.

c) Sampling does not amount to a finding of subsidy; injury must be caused by subsidised imports through the effects of subsidies and other known factors must not be attributed (Article 15 of the SCM Agreement); the duty cannot exceed the subsidy established; disclosure of essential facts is required.

d) The importer relies on Reliance Industries Ltd. v. Designated Authority, (2006) 10 SCC 368; Realstrips Ltd. v. Union of India (Gujarat High Court, SCA No. 4495/2022,

02.09.2022); and Vedanta Ltd. v. Designated Authority (CESTAT Final Order No. 50079/2023, 18.01.2023).

F.3. Submissions by other interested parties

a) The domestic industry has been protected in the past by anti-dumping duty and is seeking continuous protection from imports.

b) The Ministry of Finance did not accept the recommendation of anti-dumping duty made vide final findings dated 14.08.2025; the safeguard measure (quantitative restriction) recommended on 15.05.2023 was not imposed; and the Poly Vinyl Chloride (PVC) Homopolymers (Quality Control) Order, 2024 was rescinded on 12.11.2025. The present investigation is thus an attempt to re-litigate the injury to the domestic industry.

F.4. Examination by the Authority

29. The adequacy of evidence at initiation is distinct from the present determination, which is made programme-by-programme and group-by-group on the information furnished. Non-imposition of anti-dumping duty and other trade-policy measures are not determinative. As no anti-dumping duty is in force on the subject goods, no adjustment for double remedy under Section 9B of the Act arises at present for the export-contingent subsidies found (export seller's credit - Junzheng group; export grants - Tianjin Bohua).

30. As regards the contention that the present investigation is an attempt to re-litigate the injury examined in the anti-dumping investigation, anti-dumping and countervailing duty investigations are distinct proceedings under Sections 9A and 9 of the Act, addressing different unfair trade practices, namely dumping and subsidisation. The Act and the Rules do not bar an anti-subsidy investigation on a product merely because the product was earlier subject to an anti-dumping investigation, or because a recommendation in such investigation was not accepted. The POI in the present case (October 2024 - September 2025) is different from that in the anti-dumping investigation (October 2022 - September 2023). The Authority initiated the present investigation on being satisfied with the prima facie evidence of subsidisation, injury and causal link, and is required to determine the matter on merits on the evidence on record. The non-imposition of quantitative restrictions and the rescission of the Quality Control Order have no bearing on the existence of countervailable subsidies or on the injury caused to the domestic industry by the subsidised imports.

G. DETERMINATION OF SUBSIDY AND SUBSIDY MARGIN

G.1. Responding parties, producer groups and status of responses

31. The following producer groups filed responses. Related entities are treated as part of a group only where the related-party disclosures support the relationship.

S. No.	Producer group	Responding entities	Status (preliminary)
1	Qingdao Haiwan	Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.	Accepted. Exports also through unrelated traders; resale listings of such traders furnished by the producer.
2	Tianjin Bohua	Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.	Accepted. Exports also through Tricon, Stavian, Marubeni (filed) and other traders.

3	Junzheng group	Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.; Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd.	Accepted.
4	Chiping Xinfa group	Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd.; Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co., Ltd.	Accepted.
5	Wanhua group	Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd.; Wanhua Chemical Group (Yantai) Olefins Co., Ltd.; Wanhua Chemical (Singapore) Pte. Ltd. (related exporter); Wanhua International (India) Pvt. Ltd. (related importer)	Accepted. Wanhua Chemical Group Co., Ltd. (parent, also an electricity supplier to Yantai) did not file.
6	Erdos	Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd. (Chlor-Alkali Chemical Branch Company)	Accepted.
7	Zhongtai group	Xinjiang Shengxiong Chlor-Alkali Co., Ltd.; Xinjiang Zhongtai Import & Export Co., Ltd.; Zhong Tai International Development (HK) Ltd.	REJECTED - facts available (see Section G.2).
8	CNSIG Jilantai	CNSIG Jilantai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.; China Salt Chemical International Trading Co., Ltd.	REJECTED - value chain incomplete (see Section G.2).
9	Chlor-Alkali Chemical group	Guangxi Huayi Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.; Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.	Accepted. Unlisted grants added on facts available (G.5).
10	Shaanxi Beiyuan	Shaanxi Beiyuan Chemical Industry Group Co., Ltd.	REJECTED - consumption of principal inputs not reconciled with purchases (see Section G.2).
11	Tianchen group	Tianchen Chemical Co., Ltd.; Xinjiang Tianyu Xinke New Materials Co., Ltd.; Xinjiang Tianye Foreign Trade Co., Ltd.	Accepted. All goods to India resold by Chongqing Chuandong Chemical (Group) Co., Ltd. (unrelated trader).
12	Yihua	Inner Mongolia Yihua Chemical Industry Co., Ltd.	Accepted.
13	Yibin Tianyuan group	Yibin Haifeng Herui Co., Ltd.; Yibin Tianyuan Group Co., Ltd.; Yibin Tianyuan Materials Industry Group Ltd.	Accepted.

32. Unrelated traders: Tricon Dry Chemicals LLC (USA), Stavian Chemical JSC (Vietnam) and Marubeni Innovexis Corporation (Japan) filed responses; Chongqing Chuandong Chemical (Group) Co., Ltd. filed Formats C, D and E as an unrelated trader of Tianchen goods. Texpo International Ltd. and Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co., Ltd. registered but filed no response.

G.2. Rejection of responses

a. Submissions by the domestic industry

33. The domestic industry submitted that a majority of imports from China (about *** MT through some *** traders per secondary data) were made through traders who did not participate; that responding producers exported directly only about *** MT; that where the value chain is incomplete the response cannot be relied upon for determining the CIF and the injury margin; and relied on the Authority's findings in Isobutylene-Isoprene Rubber (F.No. 6/05/2023-DGTR, 29.06.2024), Hot-rolled flat products from Vietnam (F.No. 06/15/2024-DGTR, 13.08.2025), Uncoated Copier Paper (F.No. 6/32/2017-DGAD, 30.08.2018 - rejection where 32-43% of exports went through non-cooperating unrelated exporters) and Emulsion SBR (F.No. 6/07/2025-DGTR, 20.03.2026). It named Qingdao Haiwan as an example.

b. Examination by the Authority

34. **CNSIG Jilantai / China Salt Chemical International Trading.** The Format E of China Salt shows *** MT exported to India in the POI, of which *** MT (***%) was sold to

Texpo International Ltd., Hong Kong, an unrelated trader which registered but did not file a response. Further quantities were sold to *** (*** MT, ***%), *** (*** MT, ***%) and *** (*** MT, ***%), none of which filed. No resale information of these traders was furnished by the producer. The Authority provisionally holds that the value chain for a substantial part of the exports is incomplete, that the export price to India cannot be established for those exports, and rejects the response. The group is assigned the residual duty.

35. **Shaanxi Beiyuan.** The information furnished by Shaanxi Beiyuan on the consumption and procurement of its principal inputs and utilities does not reconcile: the quantities reported as purchased account for only a small part of the quantities consumed in the production of the subject goods, and the source and terms of supply of the balance have not been disclosed. In the absence of this information, the benefit under the programmes concerned cannot be determined and the response cannot be relied upon. The Authority provisionally rejects the response and applies facts available in accordance with the Rules and Article 12.7 of the SCM Agreement.

36. **Zhongtai group (Xinjiang Shengxiong, Zhongtai I&E, Zhong Tai HK).** All three entities filed responses. Shengxiong sold ***% of its India-bound goods to Zhongtai I&E and ***% to Zhong Tai HK; Zhongtai I&E sold ***% to Zhong Tai HK. Zhong Tai HK sold *** MT, i.e. ***% of its *** MT, to unrelated buyers outside India (***) none of which filed a response; resale data was furnished only for *** (*** MT). As the value chain for the major part of the group's exports to India is incomplete, the export price to India cannot be established for those exports, and the Authority provisionally rejects the response. The group is assigned the residual duty.

37. **Completeness of the value chain.** The same test has been applied to every producer group, with reference to the share of its exports to India sold through unrelated intermediaries which neither filed a response nor whose resale information was furnished. For CNSIG Jilantai (40-50%) and the Zhongtai group (50-60%), such exports constitute about one-half of their exports to India, so that the export price cannot be established for a substantial part of their exports, and their responses are rejected. For the other groups, the information on record, including the resale information furnished, is considered sufficient at this preliminary stage. The matter will be examined further at the final stage.

G.3. Calculation methodology

38. A subsidy exists where there is a financial contribution by a government or public body (or income/price support), a benefit is thereby conferred, and the subsidy is specific (Section 9 of the Act and the Rules). The benefit is quantified for each group on the following basis, applied to all groups, save as stated in item i) below:

a) **Grants:** amounts received and expensed in the POI; asset-related grants received within the AUL of 10 years allocated straight-line (gross / 10).

b) **Income-tax programmes:** tax saved in the return for tax year 2024 (HNTE 15% rate, Western Region 15% rate, R&D additional deduction at the applicable rate, special-equipment credit).

c) Loans, bill discounting and export seller's credit: benchmark ***% p.a. (short-term rate of DCW Limited, claimed by the domestic industry); benefit = (benchmark - actual rate) x principal-years outstanding in the POI. For Qingdao Haiwan and Tianjin Bohua, see item i).

d) **Electricity (LTAR):** benchmark RMB 0.8836/kWh excl. VAT, being the average of the monthly Thailand national average tariff (ERC base tariff + Ft) for the POI converted at the monthly RMB/THB rate; benefit = (benchmark - price paid excl. VAT, incl. fees) x kWh, floored at zero, applied to all suppliers, state-owned and non-state-owned, including captive and related suppliers.

e) **Steam coal (LTAR):** benchmark RMB ***/t excl. VAT (highest delivered price paid by a responding producer during the POI), applied to all suppliers, without calorific-value adjustment.

f) **Land-use rights (LTAR):** Thailand industrial-land price for the year of acquisition (Knight Frank), converted at the POI average rate; benefit per parcel = (benchmark - price paid) per m2 x area, spread over the land-use term (50 years where not stated); government transferors only. For Qingdao Haiwan and Tianjin Bohua, see item i).

g) **Denominators:** the electricity benefit is divided by total company turnover, except for the Wanhua group and the Guangxi Huayi / Shanghai Chlor-Alkali group, for which, at this stage, the benefit on all the kWh reported is divided by the turnover of the product under consideration. The coverage of the electricity reported by these producers, and the appropriate matching of the benefit with the turnover, will be examined further at the final stage. All other domestic programmes are divided by total company turnover and export-contingent programmes by total export turnover. For producer groups, benefits and turnovers are aggregated and a single margin determined.

h) Inputs not initiated (EDC, VCM, calcium carbide, salt, coke/semi-coke, lime, HCl) are not countervailed in these findings. Ethylene is examined in Section G.5(vii); see item j).

i) Qingdao Haiwan and Tianjin Bohua furnished complete programme-wise computations linked to their source data. For these two producers the Authority adopts their own computation - their quantities, prices, coverage and denominator (total company sales quantity at the export price to India) - and replaces only the benchmarks by those adopted by the Authority (electricity RMB 0.8836/kWh excl. VAT; steam coal RMB ***/t; interest ***% p.a. on the loan amounts listed by them; land at the Thailand benchmark for the year of acquisition, weighted by area, spread over 50 years). Grants and tax programmes are taken as computed by them; water and inputs not initiated are excluded; ethylene is as in item j).

j) Ethylene (LTAR): benchmark = the producer's own weighted import price of ethylene in the POI (CFR, excluding VAT); for each domestic supplier, benefit = (benchmark -

weighted price paid) x tonnes, floored at zero; applied to every producer group with ethylene purchases on record; divided by total company turnover (Tianjin Bohua: its own denominator, item i)).

G.4. Cooperation of the Government of China

39. The GOC filed a response but, for the grant programmes, referred to the companies' responses, and for the LTAR programmes (water, land, steam coal, electricity) did not furnish ownership and market-share data of suppliers, price-formation information or the GOC's role in those markets. The Authority provisionally draws the inference, on facts available (Article 12.7 of the SCM Agreement and the Rules), that (i) the grid companies and the lending banks are public bodies; (ii) in-country prices of electricity and land are distorted by the GOC's predominant role, warranting out-of-country benchmarks; and (iii) the grants are specific, the GOC having withheld eligibility criteria.

G.5. Examination of the subsidy programmes

(i) Programmes (i) to (viii): Provision of goods and services at less than adequate remuneration (water, land, preferential land to SOEs, steam coal, electricity, land in industrial zones, caustic soda, chlorine)

a. Submission by the domestic industry

40. The applicants alleged that the GOC, directly and through state-owned enterprises, provides water, land-use rights, steam coal, electricity, caustic soda and chlorine at less than adequate remuneration, and that these programmes are specific to industries and regions. The applicants rely on the Water Law, provincial plans and determinations of the European Commission and the US DOC. In their additional submissions, the applicants proposed benchmarks for electricity (Thailand USD 0.127/kWh or India USD ***/kWh) and land (Thailand THB 250/m2 or India INR ***/m2), relying on the Authority's findings in Atrazine Technical (22.08.2019) and Digital Offset Printing Plates (28.03.2025) for Thailand as land benchmark.

b. Submission by the Government of China PR / other interested parties

41. The GOC submitted that the evidence is outdated or relates to other industries; that water and electricity prices are uniform within user categories and, since 2021, market-determined; that land is assigned through public bidding; that no respondent purchased caustic soda or chlorine; and that none of the programmes is specific. The responding producers submitted that they purchased water and electricity at the rates applicable to other users in their area, that land was acquired by assignment, that coal is purchased through tenders, and that no benefit was received. Wanhua submitted that its suppliers are not public bodies and that foreign determinations cannot be transposed.

c. Examination by the Authority

42. The groups on the calcium-carbide route (Junzheng, Chiping Xinfa, Erdos, CNSIG Jilantai, Shaanxi Beiyuan, Tianchen, Yihua, Yibin Haifeng Herui) use steam coal, calcium carbide and large quantities of electricity, often captive or from related entities; the groups on the ethylene route (Qingdao Haiwan, Tianjin Bohua, Wanhua, Guangxi Huayi/Shanghai Chlor-

Alkali) use ethylene/EDC and grid or related-party power. The programmes are examined input by input below.

(a) Electricity at less than adequate remuneration (programme v)

Submissions by the interested parties

43. The responding producers submitted that electricity was bought at the rates applicable to other users and that no benefit arose. In their own calculations, Qingdao Haiwan, Tianjin Bohua, Chiping Xinfa, Yibin Haifeng Herui and Tianchen used a benchmark equal to their own price x 1.01 and total company sales; Erdos used its whole-company consumption over PUC turnover; the Wanhua group used a benchmark equal to the Chinese single-part/two-part tariff average (RMB ***/kWh) and divided the benefit by PUC turnover (Fujian ***%, Yantai ***%; group claim ***% for all programmes); CNSIG, the Chlor-Alkali group and Beiyuan stated the programme was not availed. Certain producers represented by Trilegal submitted that total turnover is the correct denominator, while others used PUC turnover. Wanhua submitted that its suppliers are not public bodies and relied on a Malaysian tariff (RMB ***/kWh) as benchmark.

Submissions by the domestic industry

44. The domestic industry proposed a Thailand benchmark of USD 0.127/kWh (globalpetrolprices.com) or, alternatively, an Indian price of USD ***/kWh (INR ***/kWh, DCW Limited), and computed the benefit on route-wise consumption norms (*** kWh/MT for the carbide route; *** kWh/MT for the ethylene route) at an assumed Chinese price of RMB ***/kWh, over a CIF of USD ***/MT.

Examination by the Authority

45. A benchmark equal to the producer's own price or to Chinese regulated tariffs cannot measure the benefit conferred by those tariffs, and the Malaysian tariff relied on by the Wanhua group is not shown to reflect comparable market conditions; neither is adopted. Since electricity prices in China are determined by the Government and its agencies, and supply is predominantly by State-owned grid enterprises, there is no market-determined in-country price against which the adequacy of remuneration can be measured, and an out-of-country benchmark is required. The Authority has selected Thailand because (i) it is an Asian economy at a comparable stage of development; (ii) its electricity tariffs are determined by an independent regulator, the Energy Regulatory Commission, on a published cost basis, with the fuel adjustment charge (Ft) revised every four months, and the official tariff decisions for each month of the POI are on record; (iii) Thailand has a domestic PVC and chlor-alkali industry, so that its industrial tariffs reflect conditions faced by comparable users; and (iv) no interested party has placed on record a more appropriate benchmark. The Authority adopts the Thailand national average tariff for the POI of RMB 0.8836/kWh (excluding VAT), Thailand being the benchmark country also proposed by the domestic industry, and applies it to each producer's actual purchases rather than to assumed prices or consumption norms. The denominators are as set out in Section G.3 (items g and i). The resulting electricity benefit and rates are:

Group	kWh (million)	Price paid excl. VAT (RMB/kWh)	Benefit (RMB million)	Rate (%)
Qingdao Haiwan	***	***	***	5-10%
Tianjin Bohua	***	***	***	1-5%
Junzheng group	***	***	***	10-20%
Chiping Xinfa group	***	***	***	10-20%
Wanhua group	***	***	***	20-30%
Erdos	***	***	***	50-60%
Chlor-Alkali group	***	***	***	10-20%
Tianchen group	***	***	***	70-80%
Yihua	***	***	***	50-60%
Yibin Tianyuan group	***	***	***	20-30%

(b) Steam coal at less than adequate remuneration (programme iv)

Examination by the Authority

46. Coal purchases on record were examined at the benchmark of RMB ***/t (Section G.3, item e). The resulting rates are: Qingdao Haiwan 0-1% (on its own computation, covering its purchases from State-owned suppliers); Junzheng group 0-1%; and Yibin Haifeng Herui 1-5% (purchases from related companies). Tianchen, Yihua and Erdos buy coke/semi-coke or use group mines, Shaanxi Beiyuan buys carbide, and the ethylene-route groups reported no purchases of steam coal. Coal consumed by captive or related power plants is not countervailed separately, as the electricity supplied by them has already been compared with the electricity benchmark (Section G.3, item d). No calorific-value adjustment has been substantiated by any party.

(c) Land-use rights at less than adequate remuneration (programmes ii, iii, vi)

Examination by the Authority

47. Parcels acquired from government transferors were compared with the Thailand benchmark for the year of acquisition; parcels from private or related transferors and post-POI parcels were excluded. Rates (total company turnover; Qingdao Haiwan and Tianjin Bohua on their own computation and denominator): Qingdao Haiwan 0-1%; Tianjin Bohua 0-1%; Junzheng group 0-1%; Chiping Xinfa group 0-1%; Wanhua group 0-1%; Erdos 0-1% (four parcels granted to the parent and leased to the branch, taken pro rata to area); Chlor-Alkali group 0-1%; Yihua 0-1%; Yibin Haifeng Herui 0-1%; Tianchen group nil (parcels acquired from a related transferor, not countervailed at this stage). The domestic industry's alternative of THB 250/m2 (CBRE Asia MarketView, 2010) or INR ***/m2 (India) is not adopted, being dated or not comparable; the Authority agrees with the domestic industry that Thailand is an appropriate benchmark country, for the reasons recorded in Digital Offset Printing Plates.

(d) Water (programme i)

Examination by the Authority

48. No benchmark for water has been placed on record by any party; the programme is not quantified at this stage.

(e) Caustic soda and chlorine (programmes vii, viii)

Examination by the Authority

49. The responding producers are integrated chlor-alkali producers who self-produce chlorine and caustic soda; the Authority provisionally holds that no benefit arises.

(ii) Programmes (ix) to (xxxi): Tax and VAT incentives

a. Submission by the domestic industry

50. The applicants alleged 23 tax programmes, including the additional deduction of R&D expenses, the reduced 15% rate for high and new technology enterprises (HNTE), the Western Region tax concession and tax credit for purchase of special equipment, and submitted that import-duty exemptions are countervailable absent a verified input-consumption system. In their additional submissions, the applicants computed income-tax and "additional VAT" benefits from the annual reports of the parent companies (e.g. Shanghai Chlor-Alkali 7.23%, Zhongtai 4.07%, Yibin Tianyuan 3.03%, Tianjin Bohai 2.84%, Erdos 2.52%, Wanhua 1.95%, Junzheng 1.23% of CIF for additional VAT).

b. Submission by the Government of China PR / other interested parties

51. The GOC submitted that none of the respondents used programmes (x)-(xxi), (xxv), (xxvii)-(xxix), (xxxi), and that the remaining programmes are generally available. The responding producers reported use of the R&D additional deduction (ix), the HNTE 15% rate (xxii), the Western Region 15% rate (xxiii), the special-equipment tax credit (xxvi) and dividend exemption (lxv); certain respondents reported no income-tax payable for tax year 2024.

c. Examination by the Authority

52. The tax concessions are a financial contribution in the form of government revenue foregone and confer a benefit equal to the tax saved. The HNTE 15% rate and the Western Region 15% rate are specific (de jure / regional); the R&D additional deduction and the special-equipment credit are provisionally held specific, the GOC not having furnished the eligibility criteria. Rates (on total company turnover; Qingdao Haiwan and Tianjin Bohua on their own denominator): HNTE - Tianjin Bohua 0-1%, Junzheng group 0-1%, Chiping Xinfa group 1-5%, Chlor-Alkali group 0-1%, Yibin Haifeng Herui 0-1%; R&D - Qingdao Haiwan 0-1%, Junzheng group 0-1%, Chiping Xinfa group 0-1%, Erdos 0-1%, Chlor-Alkali group 0-1%, Yibin Haifeng Herui 0-1%; special equipment - Qingdao Haiwan 0-1%, Junzheng group 0-1%, Chiping Xinfa group 0-1%, Chlor-Alkali group 0-1%; Western Region - Erdos 0-1%. VAT refunds / additional VAT credit reported by the respondents: Chiping Xinfa group 0-1%; Wanhua group 0-1%; Yibin Haifeng Herui 1-5%. Dividend exemption between resident enterprises avoids double taxation and is not countervailed.

53. The DI's parent-level figures are not adopted as such: they rest on consolidated revenue, tax and grants of parent companies rather than the respondents' own data. Whether the "additional VAT credit" claimed by the domestic industry falls within the programmes initiated will be examined further at the final stage.

(iii) Programmes (xxxii) to (xxxvii): Preferential loans and lending

a. Submission by the domestic industry

54. The applicants alleged policy lending by state-owned banks to the chemical industry, preferential loans to SOEs and interest allowances, and proposed the short-term lending rate of DCW Limited (***%) as benchmark, no Thai interest rate being available.

b. Submission by the Government of China PR / other interested parties

55. The GOC submitted that commercial banks are not public bodies and that the LPR is market-determined. Several respondents stated that their loans are at or above the PBOC benchmark/LPR; the respondents' own calculations used different benchmarks (e.g. the highest rate paid by the group, or the LPR).

c. Examination by the Authority

56. Lending to the responding producers is predominantly by state-owned commercial banks, policy banks and group finance companies; several groups (Junzheng, Wanhua Fujian, Yihua, Erdos, Tianjin Bohua) borrowed at a stated margin below the LPR, and Wanhua Fujian received a provincial interest subsidy (programme xxxv). At the benchmark of ***% the rates (total company turnover; Qingdao Haiwan and Tianjin Bohua on their own computation, i.e. (benchmark - rate) x loan amount, and their own denominator) are: Qingdao Haiwan 5-10%; Tianjin Bohua 5-10%; Junzheng group 1-5% plus bill discounting 0-1%; Chiping Xinfa group 0-1%; Wanhua group 1-5%; Erdos 0-1% (loans on-lent by a related company) plus bill discounting 0-1%; Chlor-Alkali group 1-5% (including loans from a group finance company); Yihua 1-5%; Yibin Haifeng Herui 1-5%; Tianchen group 1-5%.

(iv) Programmes (xxxviii) to (liv): Grants

a. Submission by the domestic industry

57. The applicants alleged grants including famous-brand awards, R&D assistance, export assistance, international market funds, special funds for key industries, treasury-bond grants and provincial/municipal grants. In their additional submissions, the applicants revised the grants of Tianjin Bohai Chemical Industry Group, the parent company of Tianjin Bohua, to include deferred grants.

b. Submission by the Government of China PR / other interested parties

58. The GOC referred to the responses of the companies. The responding producers reported lists of grants received, including special funds for high-quality manufacturing development, ultra-long-term special treasury bond funds for equipment renewal, energy-saving and technology-renovation funds, employment stabilisation subsidies and export assistance grants.

c. Examination by the Authority

59. Grants are direct transfers of funds and confer a benefit equal to the amount received; grants related to assets received within the AUL of 10 years are allocated over the AUL (Section G.3, item a). In the absence of eligibility criteria from the GOC, the grants are provisionally held to be specific on the basis of facts available. The rates (on total company turnover; Qingdao Haiwan and Tianjin Bohua on their own denominator) are: Qingdao Haiwan 0-1% (including asset grants of RMB *** million within the AUL); Tianjin Bohua 0-1%; Junzheng group 0-1%; Chiping Xinfa group 0-1%; Wanhua group 0-1%; Erdos 0-1%; Chlor-Alkali group 0-1%; Tianchen group 0-1%; Yihua 0-1%; and Yibin Haifeng Herui 0-1%. For the Chlor-Alkali group, the asset grants of Shanghai Chlor-Alkali carried as deferred income (RMB *** million) and the POI income grants not included in its grant list

(RMB *** million) have been taken from its audited accounts, on the basis of facts available. The SINOSURE premium refund received by Tianjin Bohua is contingent upon export performance and gives a rate of 0-1% (on its own denominator). The grant list of Erdos shows no grant received during a part of the period of the average useful life; the list will be reconciled with its audited accounts at the final stage. The applicants' revised figures for Tianjin Bohai Chemical Industry Group rest on the consolidated accounts of the parent company and, as in the case of the tax programmes, are not adopted as such; whether any grant received by the parent is attributable to Tianjin Bohua will be examined further at the final stage.

(v) Programmes (lv) to (lix): Export financing and export credit

a. Submission by the domestic industry

60. The applicants alleged export seller's and buyer's credit from the Export-Import Bank of China, export credit insurance subsidies (SINOSURE) and credit guarantees.

b. Submission by the Government of China PR / other interested parties

61. The GOC denied use of these programmes by the respondents. The Junzheng group reported an Ex-Im Bank export seller's credit at a margin below the 1-year LPR; Wanhua Fujian and Yihua reported export credit insurance purchased from SINOSURE; Tianjin Bohua received a SINOSURE premium refund.

c. Examination by the Authority

62. Export seller's credit and premium refunds are contingent upon export performance and are specific. The benefit on the export seller's credit of the Junzheng group, at the benchmark of ***%, is 1-5% of export turnover; the premium refund to Tianjin Bohua is treated as an export-contingent grant (above). The adequacy of SINOSURE premiums requires information on SINOSURE's long-term operating costs and losses, which the GOC has not furnished; it is not quantified at this stage.

(vi) Programmes (lx) to (lxv): Equity infusion and related programmes

a. Submission by the domestic industry

63. The applicants alleged debt-for-equity swaps, equity infusions, unpaid dividends, debt forgiveness, deed-tax exemption and dividend exemption.

b. Submission by the Government of China PR / other interested parties

64. The GOC submitted that the deed-tax notice relied upon expired in 2017. Inner Mongolia Yihua reported a capital contribution by its parent during the AUL; the parent has a state-controlled shareholder.

c. Examination by the Authority

65. The deed-tax exemption is provisionally held not to have been used during the POI. Whether the capital contribution to Yihua was inconsistent with the usual investment practice of private investors requires an equityworthiness assessment; it has not been quantified at this stage. Dividend exemption (lxv) - see tax programmes above.

(vii) Ethylene at less than adequate remuneration

c. Examination by the Authority

66. The purchase data furnished by the responding producers on the ethylene route show that ethylene, the principal raw material on that route, was purchased both from domestic suppliers, which are State-owned or State-invested enterprises (Sinopec group companies, Tianjin Dagu International and the parent company of the Wanhua group), and from overseas suppliers. For certain domestic suppliers the prices paid were below the prices at which the same producers imported ethylene during the POI.

67. This practice was not specifically identified in the application; it came to light from the information furnished by the responding producers in the course of the investigation. The GOC has not furnished information on the ownership, pricing and role of the domestic ethylene suppliers (Section G.4). The Authority is informing the GOC of this practice and of its provisional examination, and is affording the GOC an opportunity for consultations and all interested parties an opportunity to comment. The matter will be examined further at the final stage in the light of the comments received.

68. On the information available, the Authority provisionally holds that the domestic suppliers concerned are public bodies or act on the direction of the GOC, for the reasons set out in Section G.4, and that the provision is specific to the industries using ethylene. As benchmark, the Authority adopts each producer's own weighted average import price of ethylene in the POI, being an actual price paid by the same producer for the same input (CFR, excluding VAT). For each domestic supplier, the benefit is the difference between that benchmark and the weighted price paid, multiplied by the quantity, where positive. The same rule is applied to every producer group with ethylene purchases on record; Tianjin Bohua itself used its import average as the benchmark in its own computation. Qingdao Haiwan has not reported its ethylene purchases; no benefit is determined for it at this stage, and it is required to furnish this information. The results are:

Group	Domestic supplier (as reported)	Tonnes (POI)	Price paid (RMB/t)	Producer's import price (RMB/t)	Benefit (RMB million)
Chlor-Alkali group (Shanghai Chlor-Alkali)	Shanghai SECCO Petrochemical Company Limited	***	***	***	***
Chlor-Alkali group (Shanghai Chlor-Alkali)	China Jinshan Associated Trading Corporation	***	***	***	nil
Chlor-Alkali group (Guangxi Huayi Chlor-Alkali)	Sinopec Chemical Sales Co., Ltd. East China Branch	***	***	***	***
Tianjin Bohua	Sinopec INEOS (Tianjin) Petrochemical Co., Ltd.	***	***	***	***
Tianjin Bohua	Tianjin Dagu International Co., Ltd.	***	***	***	nil
Tianjin Bohua	Tianjin BOHAI Chemical Industries IMP.& EXP. Corp.	***	***	***	nil
Wanhua group (Wanhua Chemical Group (Yantai) Olefins)	Wanhua Chemical Group Co., Ltd.	***	***	***	***
Wanhua group (Wanhua Chemical Group (Yantai) Olefins)	Wanhua Chemical (Yantai) Petrochemical Co., Ltd.	***	***	***	nil
Wanhua group (Wanhua Chemical Group (Yantai) Olefins)	Sinopec Chemical Sales Co., Ltd. East China Branch	***	***	***	nil
Wanhua group (Wanhua Chemical (Fujian))	Wanhua Chemical (Fujian) Gas Co., Ltd.	***	***	***	nil

69. The resulting rates are: Chlor-Alkali group 0-1%, Tianjin Bohua 0-1% (on its own denominator) and Wanhua group 0-1%.

G.6. Subsidy margins of the cooperating producer groups

70. On the above basis, and on the information submitted, subject to verification at the final stage, the subsidy margins of the cooperating producer groups (% ad valorem) are:

Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.

Programme No.	Name of the programme	Brief description	Subsidy margin (% range)
(v)	Electricity at LTAR	Provision of goods (electricity) for less than adequate remuneration	5-10
(iv)	Steam coal at LTAR	Provision of goods (steam coal) for less than adequate remuneration	0-1
(ii), (iii), (vi)	Land-use rights at LTAR	Provision of land-use rights for less than adequate remuneration	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	Preferential lending	Direct transfer of funds - loans from State-owned lenders below the benchmark rate	5-10
(xxxviii)-(liv)	Grants	Direct transfer of funds - grants expensed in the POI and asset grants over the AUL	0-1
(ix)	R&D additional deduction	Revenue foregone - additional deduction of R&D expenses	0-1
(xxvi)	Special-equipment tax credit	Revenue foregone - credit for purchase of special equipment	0-1
Total			**10-20**

Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.

Programme No.	Name of the programme	Brief description	Subsidy margin (% range)
(v)	Electricity at LTAR	Provision of goods (electricity) for less than adequate remuneration	1-5
(ii), (iii), (vi)	Land-use rights at LTAR	Provision of land-use rights for less than adequate remuneration	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	Preferential lending	Direct transfer of funds - loans from State-owned lenders below the benchmark rate	5-10
(xxxviii)-(liv)	Grants	Direct transfer of funds - grants expensed in the POI and asset grants over the AUL	0-1
(xxii)	HNTE 15% rate	Revenue foregone - income tax at 15% instead of 25%	0-1
(ix)	R&D additional deduction	Revenue foregone - additional deduction of R&D expenses	-
(xxxviii)-(liv)	Export-contingent grants (SINOSURE premium refund)	Export-contingent direct transfer of funds	0-1
G.5(vii)	Ethylene at LTAR	Provision of goods (ethylene) for less than adequate remuneration	0-1
Total			**10-20**

Junzheng group: Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.; Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd.

Programme No.	Name of the programme	Brief description	Subsidy margin (% range)
(v)	Electricity at LTAR	Provision of goods (electricity) for less than adequate remuneration	10-20
(iv)	Steam coal at LTAR	Provision of goods (steam coal) for less than adequate remuneration	0-1
(ii), (iii), (vi)	Land-use rights at LTAR	Provision of land-use rights for less than adequate remuneration	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	Preferential lending	Direct transfer of funds - loans from State-owned lenders below the benchmark rate	1-5
(xxxii)-(xxxvii)	Bill discounting	Direct transfer of funds - bills discounted below the benchmark rate	0-1
(lv)-(lix)	Export seller's credit	Export-contingent loan from the Export-Import Bank of China (on export turnover)	1-5
(xxxviii)-(liv)	Grants	Direct transfer of funds - grants expensed in the POI and asset grants over the AUL	0-1
(xxii)	HNTE 15% rate	Revenue foregone - income tax at 15% instead of 25%	0-1
(ix)	R&D additional deduction	Revenue foregone - additional deduction of R&D expenses	0-1
(xxvi)	Special-equipment tax credit	Revenue foregone - credit for purchase of special equipment	0-1
Total			**10-20**

Chiping Xinfa group: Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd.; Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co., Ltd.

Programme No.	Name of the programme	Brief description	Subsidy margin (% range)
(v)	Electricity at LTAR	Provision of goods (electricity) for less than adequate remuneration	10-20
(ii), (iii), (vi)	Land-use rights at LTAR	Provision of land-use rights for less than adequate remuneration	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	Preferential lending	Direct transfer of funds - loans from State-owned lenders below the benchmark rate	0-1
(xxxviii)-(liv)	Grants	Direct transfer of funds - grants expensed in the POI and asset grants over the AUL	0-1
(ix)-(xxxi)	VAT refunds / additional VAT credit	Revenue foregone - VAT credited or refunded	0-1
(xxii)	HNTE 15% rate	Revenue foregone - income tax at 15% instead of 25%	1-5
(ix)	R&D additional deduction	Revenue foregone - additional deduction of R&D expenses	0-1
(xxvi)	Special-equipment tax credit	Revenue foregone - credit for purchase of special equipment	0-1
Total			**10-20**

Wanhua group: Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd.; Wanhua Chemical Group (Yantai) Olefins Co., Ltd.

Programme No.	Name of the programme	Brief description	Subsidy margin (% range)
(v)	Electricity at LTAR	Provision of goods (electricity) for less than adequate remuneration	20-30
(ii), (iii), (vi)	Land-use rights at LTAR	Provision of land-use rights for less than adequate remuneration	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	Preferential lending	Direct transfer of funds - loans from State-owned lenders below the benchmark rate	1-5
(xxxviii)-(liv)	Grants	Direct transfer of funds - grants expensed in the POI and asset grants over the AUL	0-1
(ix)-(xxxi)	VAT refunds / additional VAT credit	Revenue foregone - VAT credited or refunded	0-1
G.5(vii)	Ethylene at LTAR	Provision of goods (ethylene) for less than adequate remuneration	0-1
Total			**30-40**

Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd. (Chlor-Alkali Chemical Branch Company)

Programme No.	Name of the programme	Brief description	Subsidy margin (% range)
(v)	Electricity at LTAR	Provision of goods (electricity) for less than adequate remuneration	50-60
(ii), (iii), (vi)	Land-use rights at LTAR	Provision of land-use rights for less than adequate remuneration	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	Preferential lending	Direct transfer of funds - loans from State-owned lenders below the benchmark rate	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	Bill discounting	Direct transfer of funds - bills discounted below the benchmark rate	0-1
(xxxviii)-(liv)	Grants	Direct transfer of funds - grants expensed in the POI and asset grants over the AUL	0-1
(ix)	R&D additional deduction	Revenue foregone - additional deduction of R&D expenses	0-1
(xxiii)	Western Region 15% rate	Revenue foregone - income tax at 15% in the Western Region	0-1
Total			**50-60**

Chlor-Alkali group: Guangxi Huayi Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.; Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.

Programme No.	Name of the programme	Brief description	Subsidy margin (% range)
(v)	Electricity at LTAR	Provision of goods (electricity) for less than adequate remuneration	10-20
(ii), (iii), (vi)	Land-use rights at LTAR	Provision of land-use rights for less than adequate remuneration	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	Preferential lending	Direct transfer of funds - loans from State-owned lenders below the benchmark rate	1-5
(xxxviii)-(liv)	Grants	Direct transfer of funds - grants expensed in the POI and asset grants over the AUL	0-1
(xxii)	HNTE 15% rate	Revenue foregone - income tax at 15% instead of 25%	0-1

(ix)	R&D additional deduction	Revenue foregone - additional deduction of R&D expenses	0-1
(xxvi)	Special-equipment tax credit	Revenue foregone - credit for purchase of special equipment	0-1
G.5(vii)	Ethylene at LTAR	Provision of goods (ethylene) for less than adequate remuneration	0-1
Total			**10-20**

Tianchen group: Tianchen Chemical Co., Ltd.

Programme No.	Name of the programme	Brief description	Subsidy margin (% range)
(v)	Electricity at LTAR	Provision of goods (electricity) for less than adequate remuneration	70-80
(xxxii)-(xxxvii)	Preferential lending	Direct transfer of funds - loans from State-owned lenders below the benchmark rate	1-5
(xxxviii)-(liv)	Grants	Direct transfer of funds - grants expensed in the POI and asset grants over the AUL	0-1
Total			**70-80**

Inner Mongolia Yihua Chemical Industry Co., Ltd.

Programme No.	Name of the programme	Brief description	Subsidy margin (% range)
(v)	Electricity at LTAR	Provision of goods (electricity) for less than adequate remuneration	50-60
(ii), (iii), (vi)	Land-use rights at LTAR	Provision of land-use rights for less than adequate remuneration	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	Preferential lending	Direct transfer of funds - loans from State-owned lenders below the benchmark rate	1-5
(xxxviii)-(liv)	Grants	Direct transfer of funds - grants expensed in the POI and asset grants over the AUL	0-1
Total			**50-60**

Yibin Tianyuan group: Yibin Haifeng Herui Co., Ltd.

Programme No.	Name of the programme	Brief description	Subsidy margin (% range)
(v)	Electricity at LTAR	Provision of goods (electricity) for less than adequate remuneration	20-30
(iv)	Steam coal at LTAR	Provision of goods (steam coal) for less than adequate remuneration	1-5
(ii), (iii), (vi)	Land-use rights at LTAR	Provision of land-use rights for less than adequate remuneration	0-1
(xxxii)-(xxxvii)	Preferential lending	Direct transfer of funds - loans from State-owned lenders below the benchmark rate	1-5
(xxxviii)-(liv)	Grants	Direct transfer of funds - grants expensed in the POI and asset grants over the AUL	0-1
(ix)-(xxxi)	VAT refunds / additional VAT credit	Revenue foregone - VAT credited or refunded	1-5
(xxii)	HNTE 15% rate	Revenue foregone - income tax at 15% instead of 25%	0-1
(ix)	R&D additional deduction	Revenue foregone - additional deduction of R&D expenses	0-1
Total			**30-40**

Summary of subsidy margins

Producer group	Route	Electricity	Coal	Land	Loans	Bill disc.	ESC*	Grants	VAT refunds	HNTE	R&D	Spec. equip.	Western Region	Export grants*	Ethylene	Subsidy margin (%)
Qingdao Haiwan	Ethylene	5-10	0-1	0-1	5-10	-	-	0-1	-	-	0-1	0-1	-	-	-	10-20
Tianjin Bohua	Ethylene	1-5	-	0-1	5-10	-	-	0-1	-	0-1	-	-	-	0-1	0-1	10-20
Junzheng group	Carbide	10-20	0-1	0-1	1-5	0-1	1-5	0-1	-	0-1	0-1	0-1	-	-	-	10-20
Chiping Xinfa group	Carbide	10-20	-	0-1	0-1	-	-	0-1	0-1	1-5	0-1	0-1	-	-	-	10-20
Wanhua group	Ethylene	20-30	-	0-1	1-5	-	-	0-1	0-1	-	-	-	-	-	0-1	30-40
Erdos	Carbide	50-60	-	0-1	0-1	0-1	-	0-1	-	-	0-1	-	0-1	-	-	50-60
Chlor-Alkali group	Ethylene	10-20	-	0-1	1-5	-	-	0-1	-	0-1	0-1	0-1	-	-	0-1	10-20
Tianchen group	Carbide	70-80	-	-	1-5	-	-	0-1	-	-	-	-	-	-	-	70-80
Yihua	Carbide	50-60	-	0-1	1-5	-	-	0-1	-	-	-	-	-	-	-	50-60
Yibin Tianyuan group	Carbide	20-30	1-5	0-1	1-5	-	-	0-1	1-5	0-1	0-1	-	-	-	-	30-40

* on total export turnover (Tianjin Bohua: on its own denominator). Ethylene: Section G.5(vii). Electricity of the Wanhua group and of the Guangxi Huayi / Shanghai Chlor-Alkali group is on PUC turnover; all programmes of Qingdao Haiwan and Tianjin Bohua are on their own denominator (Section G.3, item i)); all other programmes on total company turnover.

G.7. Producers, exporters and traders

71. Duty is determined for the producer groups only; no separate rate is determined for traders. The producer group's rate applies to its goods whether exported directly or through any trader in China or in a third country; trader resale prices are used only to measure the CIF of the producer's goods. Goods of non-cooperating or unlisted producers, through any exporter, attract the residual duty.

G.8. Non-cooperating producers and rejected responses (residual)

72. For non-cooperating producers (including Zhejiang Jiahua Energy Chemical Industry Co., Ltd.), the producer groups whose responses are rejected and all other producers, the subsidy margin is determined on facts available as the sum of the highest rate found for each programme among the cooperating groups (rejected groups excluded): electricity 70-80% (Tianchen), coal 1-5% (Haifeng), land 0-1% (Yihua), loans 5-10% (Bohua), bill discounting 0-1% (Erdos), export seller's credit 1-5% (Junzheng), grants 0-1% (Bohua), VAT refunds 1-5% (Haifeng), HNTE 1-5% (Chiping), R&D 0-1% (Haifeng), special equipment 0-1% (Chlor-Alkali group), Western Region 0-1% (Erdos), export grants 0-1% (Bohua), ethylene 0-1% (Chlor-Alkali group) - total 90-100%.

Programme	Highest subsidy margin (% range)	Producer group
Electricity	70-80	Tianchen
Coal	1-5	Haifeng
Land	0-1	Yihua
Loans	5-10	Bohua
Bill discounting	0-1	Erdos
Export seller's credit	1-5	Junzheng
Grants	0-1	Bohua
VAT refunds	1-5	Haifeng
HNTE	1-5	Chiping

R&D	0-1	Haifeng
Special equipment	0-1	Chlor-Alkali group
Western Region	0-1	Erdos
Export grants	0-1	Bohua
Ethylene	0-1	Chlor-Alkali group
Residual subsidy margin	**90-100**	

H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK

H.1. Submissions by the domestic industry

73. The domestic industry submitted that subject imports increased by 107% over the injury period while demand increased by 25%; that the share of subject imports in total imports rose from 35% to 51%; that subject imports undercut the domestic industry's prices (0-10%) and depressed them (selling price fell more than cost); that inventories more than doubled; and that the domestic industry suffered losses, cash losses and negative return on capital employed in the POI. It requested provisional and retrospective duties. It further submitted that the CIF price of subject imports is below its variable cost; that, as it was selling below cost even in the base year, price suppression and depression should be seen in relation to 2021-22, the last year in which it was profitable; that it incurred losses even before interest in the POI; and that its ability to raise capital investment has been adversely impacted.

H.2. Submissions by other interested parties

74. Sandeep Organics submitted that injury must be shown to be caused by the subsidised imports through the effects of the subsidies and that injury from other factors (non-subsidised imports, demand, consumption pattern, competition, technology, export performance, productivity) must not be attributed to them. The GOC submitted that downstream industries have expressed concern about supply and prices.

75. Other interested parties further submitted that:

a) the import volumes have been overstated by the applicants and are inconsistent with the DGFT data for tariff item 3904 10 20;

b) the increase in imports is a consequence of the increase in demand and the demand-supply gap in India;

c) the decline in the selling price of the domestic industry is commensurate with the decline in its cost of sales, and there is no price suppression or depression;

d) the capacity, production and sales of the domestic industry have remained stable;

e) the profitability of the domestic industry has fluctuated; its PBIT and PBDIT were positive in 2024-25 even in the absence of anti-dumping duty, and the claim that imports were below its variable cost is inconsistent with such improvement;

f) the annual reports of DCM Shriram Limited and DCW Limited show profits before tax of INR 909 crores and INR 49.4 crores respectively in 2024-25, and the vinyl business of DCM Shriram Limited recorded a PBDIT of INR 116 crores against INR 29 crores in the previous year, due to lower energy and carbon material prices;

g) the application does not segregate the injury caused by imports from other countries, which are significant and at prices comparable to the subject imports;

h) imports from Indonesia, Japan and Thailand attract concessional customs duty, and a duty only on China PR will lead to an increase in imports from those countries; and

i) the Indian rupee has depreciated by about 10% after the POI, from about INR 87 to about INR 95.70 per USD, which has already provided protection to the domestic industry.

H.3. Examination by the Authority

76. The Authority has examined the injury to the domestic industry in accordance with the Rules, having regard to the volume of subsidised imports, their effect on prices in the domestic market for the like article, and the consequent impact on the domestic industry.

77. The submissions of the interested parties which have not been specifically addressed below have been addressed in the relevant parts of these findings.

78. As regards the submission that the depreciation of the Indian rupee after the POI has already provided protection to the domestic industry, the injury and causal link are required to be determined with reference to the POI. In any case, the post-POI exchange-rate movement affects imports from all sources as well as the cost of the imported inputs of the domestic industry, and does not eliminate the effect of subsidised imports.

I. Volume effect of subsidised imports and impact on the domestic industry

(i) Assessment of demand

79. Demand or apparent consumption of the product in India has been defined as the sum of the domestic sales of the Indian producers and imports from all sources. The volume and value of imports have been determined on the basis of the transaction-wise import data of DGCI&S.

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Sales of domestic industry	Indexed	100	100	94	98
Sales of other domestic producers	Indexed	100	93	95	99
Imports from subject country	MT	7,95,569	9,40,504	14,21,132	15,23,004
Imports from other countries	MT	13,95,924	17,14,915	15,34,654	14,36,060
Demand (excluding captive)	MT	34,56,822	38,67,869	41,52,485	42,08,259
Trend	Index	100	112	120	122

80. Demand increased throughout the injury period, by 22% over the period as a whole.

(ii) Imports

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Subject imports - China PR	MT	7,95,569	9,40,504	14,21,132	15,23,004
Trend	Index	100	118	179	191
Imports - other countries	MT	13,95,924	17,14,915	15,34,654	14,36,060
Trend	Index	100	123	110	103
Total imports	MT	21,91,493	26,55,419	29,55,786	29,59,064
Trend	Index	100	121	135	135
Subject imports share in total imports	%	36	35	48	51

Subject imports in relation to demand	%	23	24	34	36
Subject imports in relation to Indian production of the DI	Indexed	100	120	180	195
Subject imports in relation to Indian production	Indexed	100	124	183	196

81. Subject imports increased in absolute terms by 91% over the injury period and in relation to demand and to the production of the domestic industry. Of the subject imports in the POI, the cooperating producer groups account for the export volumes shown in Section H.II(ii); the domestic industry's secondary data show about *** MT exported through traders. While the imports from the subject country increased consistently, the imports from other countries declined after 2023-24. The share of subject imports in total imports rose from 36% in the base year to 51% in the POI.

82. As regards the contention that the import data is overstated in comparison with DGFT data, the product under consideration is imported under several sub-headings of heading 3904 and not only under 3904 10 20. The DGFT data at the 8-digit level is, therefore, not representative of the total imports of the product under consideration.

83. As regards the contention that the increase in imports is due to the demand-supply gap, demand increased by about 22% over the injury period, whereas the subject imports increased by about 91%, far in excess of the increase in demand. The market share of the subject imports increased from 23% to 36%; while the subject imports increased continuously over the injury period, imports from third countries declined significantly after 2023-24. The adverse effect of the subsidised imports is also visible in the price parameters of the domestic industry.

(iii) Market share

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Market share of DI in demand	Indexed	100	89	78	81
Market share of other Indian producers	Indexed	100	84	79	81
Market share of subject imports	%	23.0	24.3	34.2	36.2
Market share of other imports	%	40.4	44.3	37.0	34.1

84. The share of the domestic industry, and of the Indian industry as a whole, declined over the injury period, as did the share of imports from other countries after 2023-24. The share of subject imports in demand increased significantly from 23% in the base year to 36% in the POI; the subject imports have taken over the market share of the Indian industry as well as of the imports from other countries.

II. Price effect of subsidised imports

(i) Price undercutting

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Landed price of subject imports	INR/MT	99,225	73,064	70,770	65,592
Trend	Index	100	74	71	66
Selling price of the DI (indexed)	Index	100	80	81	75
Price undercutting	%	-	-	-	0-10%

85. For the purpose of price undercutting, the selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country in the POI:

Particulars	Unit	POI
Selling price	INR/MT	***
Landed price	INR/MT	65,592
Price undercutting	INR/MT	***
Price undercutting	%	***
Price undercutting	Range	0-10%

86. The subject imports are undercutting the prices of the domestic industry, and the undercutting is positive and significant. Even though the domestic industry has been selling at a loss in the POI, the landed price of the subject imports is below its selling price.

87. The landed price of subject imports declined by about 34% over the injury period. Price undercutting during the POI was positive (in the range of 0-10%). The domestic industry's selling price declined by 25% against a 22% decline in its cost of sales, indicating price depression. The landed values of every cooperating producer group (USD ***/MT) are below the NIP of USD ***/MT.

(ii) Price underselling / injury margin

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Price underselling (NIP - landed value)	USD/MT	-	-	-	*** (Section H.II(ii))

88. The non-injurious price (NIP) of the domestic industry has been provisionally taken as INR ***/MT (USD ***/MT at INR 86.76/USD), subject to verification of the domestic industry's costs. The landed value is the CIF to India x 1.0825 (basic customs duty 7.5% and social welfare surcharge at 10% of BCD). Where a producer reported FOB sales, USD ***/MT (actual freight and insurance on Inner Mongolia Yihua's CIF shipments) has been added; for Tianchen, the CIF is the weighted CIF of the export invoices of Chongqing Chuandong Chemical (Group) Co., Ltd. linked by it to its purchases from Xinjiang Tianye Foreign Trade Co., Ltd., corresponding to the quantity supplied (USD ***/MT). The export prices (CIF) of the producer groups are taken on the basis of the information submitted, subject to verification at the final stage.

Producer group	Qty to India (MT)	CIF (USD/MT)	Landed value (USD/MT)	NIP (USD/MT)	Injury margin (USD/MT)	Injury margin (% of LV, range)	Subsidy margin (% range)	Subsidy margin (USD/MT)	Lower of the two
Qingdao Haiwan	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	Subsidy margin
Tianjin Bohua	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	Injury margin
Junzheng group	***	***	***	***	***	20-30%	10-20%	***	Subsidy margin
Chiping Xinfa group	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	Injury margin
Wanhua group	***	***	***	***	***	10-20%	30-40%	***	Injury margin

Erdos	***	***	***	***	***	10-20%	50-60%	***	Injury margin
Chlor-Alkali group	***	***	***	***	***	10-20%	10-20%	***	Subsidy margin
Tianchen group	***	***	***	***	***	10-20%	70-80%	***	Injury margin
Yihua	***	***	***	***	***	10-20%	50-60%	***	Injury margin
Yibin Tianyuan group	***	***	***	***	***	10-20%	30-40%	***	Injury margin
Residual	-	-	-	***	***	20-30%	90-100%	***	Injury margin (highest cooperating)

(iii) Price suppression and depression

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Cost of sales	INR/MT	***	***	***	***
Cost of sales of the DI (indexed)	Index	100	83	82	78
Selling price	INR/MT	***	***	***	***
Selling price of the DI (indexed)	Index	100	80	81	75
Landed price	INR/MT	99,225	73,064	70,770	65,592
Landed price (indexed)	Index	100	74	71	66

89. The cost of sales and the selling price of the domestic industry declined over the injury period. However, while the cost of sales declined by 22%, the selling price declined by 25%, in line with the 34% decline in the landed price of the subject imports. The domestic industry has been selling below its cost of sales throughout the injury period and has not been able to increase its prices to the extent of its cost. The Authority provisionally holds that the subject imports have depressed the prices of the domestic industry.

90. The domestic industry has further submitted that, since 2023-24, the CIF price of the subject imports has been below its variable cost:

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
CIF price - China PR	INR/MT	91,757	67,226	65,503	60,390
Variable cost	INR/MT	***	***	***	***
Difference	INR/MT	***	***	***	***
Difference	%	***	***	***	***

III. Economic parameters relating to the domestic industry

91. Annexure II to the Rules requires that the examination of the impact of the subsidised imports on the domestic industry include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilisation of capacity; factors affecting domestic prices; the magnitude of the margin of subsidy; and actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth and ability to raise capital investments. These parameters have been examined below.

(i) Production, capacity, capacity utilisation and sales

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Installed capacity	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	102	102	102
Production	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	98	99	98
Capacity utilisation	%	***	***	***	***
Trend	Index	100	97	98	97
Domestic sales	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	100	94	98

92. The capacity of the domestic industry increased marginally, while its production, capacity utilisation and domestic sales declined marginally over the injury period. The domestic industry has submitted that, owing to the nature of the production process and the long-term arrangements for the supply and shipment of VCM, production cannot easily be stopped or slowed down, and that it has maintained volumes by compromising on profitability. The injury to the domestic industry is thus primarily reflected in its price and profitability parameters.

(ii) Profitability, return on investment and cash profits

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Cost of sales	Indexed	100	83	82	78
Selling price	Indexed	100	80	81	75
Profit/(loss) before tax	INR/MT	***	***	***	***
Profit before tax per MT (indexed)	Index	-100	-468	-227	-560
Profit/(loss) before tax	INR lakh	***	***	***	***
Cash profit/(loss)	INR lakh	***	***	***	***
Cash profit (indexed)	Index	100	-273	-5	-315
Return on capital employed	%	***	***	***	***
Return on capital employed (indexed)	Index	100	-67	39	-162

93. It is seen that:

a) the domestic industry incurred losses throughout the injury period; the losses per unit increased by about 460% and were the highest in the POI;

b) the domestic industry suffered cumulative losses of more than INR *** crores over the injury period, equal to about ***% of its average capital employed;

c) the domestic industry earned cash profits in 2022-23 but incurred cash losses from 2023-24, the cash losses being the highest in the POI; and

d) the return on capital employed declined over the injury period and was negative in the POI.

94. The domestic industry incurred losses even at the level of profit before interest and tax in the POI and is, thus, unable to bear even its interest cost.

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
PBIT	INR/MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	-55	28	-105

95. As regards the contention that profitability fluctuated and improved in 2024-25, the domestic industry incurred losses at the profit before tax level throughout the injury period. The improvement at the PBIT level in 2024-25 was not sustained, and the domestic industry suffered its steepest losses in the POI, with losses even at the PBIT and PBDIT levels. The overall trend shows a significant deterioration over the injury period.

96. As regards the reliance on the company-level annual reports of the applicants, the injury analysis is required to be carried out with reference to the performance of the domestic industry in respect of the like article. The company-level profits include the results of other businesses, and the vinyl segment of DCM Shriram Limited includes products other than the like article; these cannot be used to negate the injury established on the basis of product-specific data.

(iii) Employment, wages and productivity

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
No. of employees	Nos.	***	***	***	***
Employees (indexed)	Index	100	101	105	101
Wages	INR lakh	***	***	***	***
Trend	Index	100	107	135	140
Production per day	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	98	99	98
Production per employee	MT/No.	***	***	***	***
Trend	Index	100	97	95	97

97. The number of employees remained almost constant over the injury period while wages increased; production per day declined marginally with the decline in production. The domestic industry has submitted that employment and wages depend on the overall operations of the company and legislative requirements. No injury is found on these parameters.

(iv) Inventories

Particulars	UoM	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Opening inventory	MT	***	***	***	***
Closing inventory	MT	***	***	***	***
Average inventory	MT	***	***	***	***
Trend	Index	100	77	193	219

98. The average inventories of the domestic industry more than doubled over the injury period, although its production declined marginally, showing that the domestic industry has been unable to sell its product in the domestic market despite selling at prices below its cost of sales.

(v) Growth and ability to raise capital

Particulars	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
Capacity	%	-	2%	0%	0%
Production	%	-	-2%	1%	-1%
Domestic sales	%	-	-0.2%	-6%	4%
Profit/(loss) before tax	%	-	-367%	54%	-158%
Cash profit	%	-	-373%	98%	-5814%
Return on capital employed	%	-	-167%	158%	-519%

99. The production and capacity utilisation of the domestic industry remained broadly stable, while its market share declined as subject imports gained about 14 percentage points. Inventories more than doubled. The domestic industry incurred losses throughout the injury period, with the steepest losses, cash losses and negative return on capital employed in the POI.

100. The growth of the domestic industry in volume parameters remained stable, whereas the growth in price parameters - profits, cash profits and return on capital employed - was negative in 2023-24, positive in 2024-25 and again significantly negative in the POI. As the domestic industry has incurred financial losses throughout the injury period and cash losses in the POI, its ability to raise capital investment has been adversely impacted.

101. Factors affecting domestic prices: the price of the subject imports is lower than the selling price and the cost of sales of the domestic industry, and their landed price is below the non-injurious price, which has forced the domestic industry to sell below cost, resulting in financial and cash losses. The prices of imports from other countries were higher than those from China PR, and the difference increased over the injury period. The Authority provisionally concludes that the price of the subject imports has adversely impacted the prices of the domestic industry.

(vi) Magnitude of subsidy margin

102. The subsidy margins of the cooperating producer groups range from 10-20% to 70-80% and the residual margin is 90-100%, all above de minimis (Section G.6). The impact on the domestic industry of the magnitude of the subsidy margin cannot be considered negligible.

(vii) Conclusion on injury

103. In view of the above, the Authority provisionally concludes that:

a) imports of the subject goods from the subject country have increased in absolute terms and in relation to production and consumption in India, at a pace far higher than the increase in demand;

b) the imports from the subject country are undercutting the prices of the domestic industry even when the domestic industry has sold the subject goods at a loss;

c) the domestic industry has been forced to reduce its selling price by more than the decline in its cost of sales, so that the subject imports have depressed its prices;

d) the market share of the domestic industry, and of the Indian industry as a whole, has declined while that of the subject imports has increased;

e) the inventories of the domestic industry have more than doubled, and it has maintained its volume parameters only by compromising on profitability;

f) the domestic industry has incurred losses throughout the injury period, which increased significantly in the POI, together with cash losses and losses at the PBIT level in the POI; and

g) the return on capital employed of the domestic industry has turned negative, and its ability to raise capital investment has been adversely impacted.

IV. Causal link and non-attribution

104. The Authority is required to examine any known factors other than the subsidised imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by those factors is not attributed to the subsidised imports. These include the volume and prices of imports not sold at subsidised prices, contraction in demand or changes in the pattern of consumption, trade-restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology, and the export performance and productivity of the domestic industry.

a. Imports from other countries

105. Non-subject imports declined from 2023-24 to the POI and their CIF price (INR 67,218/MT in the POI) was above that of subject imports (INR 60,593/MT). Imports from Japan, Taiwan, Korea, Indonesia, USA and Thailand individually exceeded de minimis. The domestic industry has submitted that the landed prices of imports from other countries are driven by the landed price from China PR; as the subject goods are a commodity product, producers in India and exporters from other countries have been forced to reduce their prices to compete with the prices from China PR. The import prices from the various sources are as follows:

Country	Unit	2022-23	2023-24	2024-25	POI
China PR	INR/MT	91,663	67,496	65,376	60,593
Japan	INR/MT	98,871	73,852	73,201	69,615
Taiwan	INR/MT	89,326	69,443	71,483	67,004
USA	INR/MT	70,594	66,164	67,136	65,725
Korea RP	INR/MT	87,980	68,465	69,315	66,614
Thailand	INR/MT	88,334	71,694	70,753	64,502
Indonesia	INR/MT	89,334	68,964	68,143	64,348
Other countries	INR/MT	76,995	69,036	69,991	66,949
Total imports	INR/MT	89,290	69,122	68,078	63,808
Countries other than China PR	INR/MT	87,938	70,014	70,579	67,218
Difference: China PR less others	INR/MT	3,725	-2,518	-5,203	-6,625

106. The import price from China PR declined continuously over the injury period. While it was above the price of imports from other countries in 2022-23, it has been below them since, and the gap has widened; the subject imports were the lowest-priced imports in the POI. With the decline in their price, the market share of the subject imports increased while that of other countries declined. As the subject goods are a commodity product, the domestic industry competes with the lowest-priced imports into the country.

b. Contraction in demand

107. Demand grew by 22%; no contraction. The injury to the domestic industry is provisionally held not to be due to contraction in demand.

c. Changes in pattern of consumption

108. None reported. There has been no material change in the pattern of consumption of the product under consideration.

d. Trade-restrictive practices / competition

109. None reported. The BCD exemption of 02.04.2026-30.06.2026 is outside the POI. There are no trade-restrictive practices which could have caused injury to the domestic industry.

e. Developments in technology

110. None reported; both ethylene and carbide routes are long established. There has been no change in technology for the production of the subject goods which could have caused injury to the domestic industry.

f. Export performance

111. Exports of the DI were negligible. The injury information examined relates only to the performance of the domestic industry in the domestic market; the injury cannot be attributed to its export performance.

g. Production

112. Production per day declined marginally with production. The decline in production per day cannot be a reason for the injury suffered by the domestic industry.

h. Input costs / DI's own performance

113. Cost of sales declined by 22% while the selling price declined by 25%; the decline in the selling price exceeded that in costs, and the losses of the domestic industry are not attributable to the cost of raw materials, including imported VCM.

i. Purchases by the DI from subject producers

114. Erdos sold the product under consideration to one of the applicants during the POI. Its effect on standing and injury will be examined further at the final stage.

j. Other domestic producers

115. Finolex Industries Limited and Reliance Industries Limited (60-70% of Indian production) also import the subject goods; their performance is not part of the injury analysis of the domestic industry.

k. Existing anti-dumping duty

116. None in force - the AD final findings of 14.08.2025 were not given effect; no effect to attribute.

l. Performance of other products

117. The Authority has examined data relating only to the performance of the subject goods. The performance of other products produced and sold by the applicants is, therefore, not a possible reason for the injury to the domestic industry.

V. Conclusion on causal link

118. While the factors examined above show that the injury to the domestic industry is not due to other known factors, the following show that it is due to the subsidised imports from the subject country:

a) the subject imports increased in absolute and relative terms over the injury period, at a pace higher than the increase in demand in India;

b) while the domestic industry has been selling below its cost of sales, the subject imports have continued to undercut its prices;

c) the landed price of the subject imports declined significantly over the injury period, forcing the domestic industry to reduce its prices by more than the decline in its cost of sales;

d) the domestic industry maintained its production, domestic sales and capacity utilisation only by compromising on profitability, and its inventories increased significantly despite sales at a loss;

e) the domestic industry incurred financial losses throughout the injury period, the highest in the POI; its cumulative losses are significant in relation to its average capital employed, and it incurred cash losses in the POI; and

f) the return on capital employed became negative and was the lowest in the POI, and the ability of the domestic industry to raise capital investment has been adversely impacted.

119. On the information presently on record, the Authority provisionally finds that the domestic industry has suffered material injury, that there is a causal link between the subsidised imports and the injury, and that the other known factors examined do not break this causal link. This conclusion is subject to verification of the domestic industry's data.

I. INDIAN INDUSTRY'S INTEREST & OTHER ISSUES

I.1. Submissions by other interested parties

a) The domestic industry has enjoyed protection from imports for a prolonged period. Trade remedies are temporary measures, and an anti-subsidy duty following fourteen years of anti-dumping duty would result in perpetual protection.

b) There is a significant demand-supply gap in India, and imports are necessary to fulfil it.

c) Imports from Indonesia, Japan and Thailand enjoy concessional customs duty under free trade agreements; a duty only on imports from China PR will merely divert imports to other countries without benefiting the domestic industry.

I.2. Submissions by the domestic industry

a) There has been no adverse impact of anti-dumping duty in the past, and there will be none of the countervailing duty; its impact is less than 0.1% and, being minimal, is likely to be absorbed by the downstream industry and not passed on to the users.

b) Fair prices will be maintained as there is enough inter se competition in India; the duty does not restrict imports, and as the subject goods are not sold under long-term contracts, users can easily switch suppliers.

c) There are global overcapacities and abundant supply of the product, and the subject goods are being exported to India at subsidised prices.

I.3. Examination by the Authority

120. The Authority notes that the purpose of countervailing duty, in general, is to eliminate the injury caused to the domestic industry by subsidised imports, so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. The imposition of countervailing duty does not restrict imports from the subject country; consumers and users would continue to have access to the product from the subject country and from other sources at fair prices.

121. As regards the demand-supply gap, its existence is not a ground for permitting subsidised imports at prices which cause material injury to the domestic industry. Significant imports of the product are from non-Chinese sources: 95% of the imports were from other sources in 2020-21, and 64% in 2022-23. The Authority has in the past recommended duties on a number of products where there was a demand-supply gap in India. The duty is not intended to restrict imports but to restore a level playing field, which is likely to encourage capacity expansion; with the losses of the domestic industry increasing, no industry would be willing to invest in capacity expansion in the present market.

122. As regards the contention that the domestic industry has already enjoyed prolonged protection, the anti-dumping duty on imports from China PR expired in 2022, and no measure was in force on imports of the subject goods from the subject country during the POI. The present investigation concerns a distinct unfair trade practice, namely subsidisation, and the duty, if imposed, would be for a limited duration and subject to review. The information on record shows that the domestic industry has suffered financial losses and a material deterioration in profits, cash profits and return on investment over the injury period.

123. As regards the possible diversion of imports to other countries, the purpose of countervailing duty is to offset the subsidies on imports from the subject country, not to restrict imports. Imports from other countries are made at higher prices than the subject imports, and a shift to fairly priced sources would ensure fair competition in the Indian market. Users will continue to have access to the subject goods from multiple sources, including the subject country, at fair prices.

124. The applicants have submitted that the demand-supply gap in India is expected to narrow as new capacity is added. As the landed price of the subject imports is below the cost of sales of the domestic industry, the market situation is not conducive to such investment, and the imposition of countervailing duty is necessary to establish a fair market situation in India.

125. Apart from the general submission of the GOC on downstream supply and prices, no user or consumer has placed on record information quantifying the likely impact of the duty. Interested parties may furnish their comments on public interest, including the likely impact of the duty on downstream users, which the Authority will examine at the final stage.

J. CONCLUSION & RECOMMENDATIONS

126. The Authority provisionally concludes, on the basis of the information available at this stage and subject to verification at the final stage, that (a) the product under consideration has been exported to India from the subject country at subsidised prices; (b) the domestic industry has suffered material injury; and (c) the material injury has been caused by the subsidised imports.

127. The Authority notes that the investigation was duly initiated after consultations with the Government of China PR, and that the Government of China PR, the producers/exporters and the other interested parties were notified and given adequate opportunity to furnish positive information on the aspects of subsidisation, injury and causal link. Having initiated and conducted the investigation into subsidisation, injury and causal link in terms of the CVD Rules, and having recorded the present preliminary findings in terms of Rule 14 thereof, the Authority is of the view that the imposition of provisional countervailing duty is required to offset the subsidisation and the injury caused thereby to the domestic industry, pending completion of the investigation. Therefore, the Authority considers it necessary and recommends the imposition of provisional countervailing duty in terms of Rule 15 of the CVD Rules read with Section 9(2) of the Act on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country.

128. Having regard to the provisional findings above, the Authority considers it necessary to recommend imposition of provisional countervailing duty to prevent injury being caused during the investigation. Applying the lesser duty rule, the provisional countervailing duty recommended is the lower of the subsidy margin and the injury margin for each producer group. No group's subsidy margin is below the de minimis level of 1% ad valorem. The Authority recommends imposition of provisional countervailing duty on imports of the subject goods originating in or exported from the subject country, equal to the amount indicated in column (7) of the duty table below, in the currency and per unit of measurement indicated in columns (9) and (8) respectively, for such period as the Central Government may determine in accordance with the Act and the Rules.

DUTY TABLE

S. No.	Heading/ Subheading*	Description of goods	Country of origin	Country of export	Producer	Amount	Unit	Currency
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	3904	PVC Suspension Resin**	China PR	Any country including China PR	Qingdao Haiwan Chemical Co., Ltd.	86.75	MT	USD
2	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Tianjin Bohua Chemical Development Co., Ltd.	90.73	MT	USD
3	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Inner Mongolia Junzheng Chemical Industry Co., Ltd.; Ordos Junzheng Energy & Chemical Industry Co., Ltd.	99.06	MT	USD
4	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Chiping Xinfa Huaxing Chemical Co., Ltd.; Chiping Xinfa Polyvinyl Chloride Co., Ltd.	106.46	MT	USD

5	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Wanhua Chemical (Fujian) Co., Ltd.; Wanhua Chemical Group (Yantai) Olefins Co., Ltd.	99.95	MT	USD
6	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Inner Mongolia Erdos Electric Power and Metallurgy Group Co., Ltd. Chlor-Alkali Chemical Branch Company	135.55	MT	USD
7	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Guangxi Huayi Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.; Shanghai Chlor-Alkali Chemical Co., Ltd.	90.55	MT	USD
8	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Tianchen Chemical Co., Ltd.	89.81	MT	USD
9	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Inner Mongolia Yihua Chemical Industry Co., Ltd.	136.25	MT	USD
10	-do-	-do-	China PR	Any country including China PR	Yibin Haifeng Herui Co., Ltd.	83.72	MT	USD
11	-do-	-do-	China PR	Any	Any producer other than S. No. 1 to 10	143.82	MT	USD
12	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	143.82	MT	USD

* The Customs classification is only indicative and is not binding on the scope of the product under consideration.

** As described in Section C.

The application of the individual duty rates specified for the producers mentioned in the duty table above shall be conditional upon presentation to the Customs authorities of a valid commercial invoice, on which shall appear a declaration dated and signed by an official of the entity issuing such invoice, identified by his/her name and function, drafted as follows:

> *"I, the undersigned, certify that the (volume) of PVC Suspension Resin sold for export to India covered by this invoice was manufactured by (name and address of producer) in China PR. I declare that the information provided in this invoice is complete and correct."*

If no such invoice is presented, the duty applicable to all other producers shall apply. This requirement is without prejudice to the verification procedures independently undertaken by the Customs authorities under the applicable customs law and regulations.

129. The applicants have also requested retrospective imposition of countervailing duty. The Authority will examine this request at the final stage.

K. FURTHER PROCEDURE

The procedure as mentioned below would be followed subsequent to notifying the preliminary findings:

a) The Authority invites comments on these preliminary findings from all interested parties within twenty days from the date of their publication, and the same, to the extent considered relevant by the Authority, would be considered in the final findings.

b) The Authority would conduct an oral hearing in terms of Rule 7(6) of the Rules to provide an opportunity to the interested parties to present their views relevant to the subject investigation.

c) The date of the oral hearing will be published on the DGTR website (https://www.dgtr.gov.in).

d) The Authority would conduct further verification of the interested parties as deemed necessary.

e) The Authority would disclose the essential facts as per the Rules before issuing the final findings in the subject investigation.

AMITABH KUMAR, Designated Authority

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

KUMER CHAND MEENA
Digitally signed by KUMER CHAND MEENA
Date: 2026.10.28 14:24:03 +05'30'